वार्षिक रिपोर्ट

1993-94

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

नई दिल्ली

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

NIEPA DC
D09605

वार्षिक रिपोर्ट
1993-94

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
(1993-94)

अध्यक्ष

1. प्रोफेसर जी० राम रेड्डी

उपाध्यक्ष

2. प्रोफेसर एस० के० खन्ना*

सदस्य

3. श्री एस० वी० गिरि
4. श्री के० वेंकटेशन
5. डा० बिपन चंद्र
6. प्रोफेसर प्रणब कुमार सेन
7. प्रोफेसर ए० एस० निगवेकर
8. प्रोफेसर डी० आर० गडेकर
9. प्रोफेसर बशीरउद्दीन अहमद
10. प्रोफेसर डी० पी० सिंह
11. प्रोफेसर (श्रीमती) केर्मा लेंगडोह*
12. प्रोफेसर के० पी० सिंह**

सचिव

श्री इंद्रजीत खन्ना***

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-9605
Date 05-09-97

★ 27 जून, 1993 तक
*29 सितम्बर, 1993 से – प्रोफेसर रामलाल पारिख के स्थान पर
**2 फरवरी, 1994 से – श्री सुभाष यादव के स्थान पर
***8 नवम्बर, 1993 से श्री वाई. एन. चतुर्वेदी के स्थान पर

विषय-सूची

पृष्ठ स.

1.0	**प्रस्तावना**	1
1.1	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका तथा संगठन	1
1.2	वित्त	1
1.3	वर्ष के दौरान मुख्य कार्य	4
2.0	**शिक्षा प्रणाली - संस्थाओं, नामांकन तथा संकायों की संख्या में वृद्धि**	10
2.1	छात्र नामांकन	11
2.2	संस्थाएं	17
2.3	स्टाफ की संख्या	18
3.0	**स्तरों का अनुरक्षण और समन्वय**	20
3.1	शैक्षिक स्टाफ कालेज	20
3.2	विशेष सहायता कार्यक्रम (सेप)	21
3.3	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में आधारसंरचना को सुदृढ़ बनाना (कोसिस्ट)	22
3.4	पाठ्यचर्या विकास	25
3.5	प्रथम डिग्री स्तर पर पाठ्यक्रमों की पुनःसंरचना	25
3.6	कालेज विज्ञान सुधार कार्यक्रम (कोसिप) और कालेज मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान सुधार कार्यक्रम (कोहस्सिप)	25
3.7	विषय नामिकाएं	26
3.8	देशव्यापी कक्षा कार्यक्रम	26
3.9	गैर-प्रसारणीय वीडियो व्याख्यान	28
3.10	विश्वविद्यालय विज्ञान यंत्रीकरण केंद्र (यूसिक)	28
3.11	प्रथम डिग्री स्तर पर शिक्षा का व्यावसायीकरण	28
3.12	परीक्षा सुधार	30
3.13	पर्यावरण शिक्षा	30

4.0	**विश्वविद्यालयों को योजनागत एवं योजनेतर वित्तीय सहायता**	33
4.1	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सहायता-प्रदत्त विश्वविद्यालय	33
4.2	राज्य विश्वविद्यालयों को विकास अनुदान	33
4.3	केंद्रीय विश्वविद्यालय	33
4.4	समविश्वविद्यालय संस्थाएं	35
4.5	वर्ष के दौरान समविश्वविद्यालय संस्थाओं की मुख्य उपलब्धियां	35
4.6	राज्य विश्वविद्यालय	41
5.0	**कालेजों को वित्तीय सहायता**	43
5.1	वित्तीय सहायता के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त कालेज	43
5.2	कालेजों को योजनागत अनुदान	43
5.3	स्वायत्त कालेज	44
5.4	कालेज विकास परिषदें	45
5.5	केंद्रीय विश्वविद्यालय के कालेजों को योजनागत/योजनेतर सहायता	46
5.6	शताब्दी समारोह अनुदान	46
6.0	**नवीन और अंत: विद्याशाखा क्षेत्रों में अनुसंधान तथा अध्ययन**	47
6.1	अतिचालकता कार्यक्रम	47
6.2	वायुमंडलीय विज्ञान	48
6.3	नवीन क्षेत्रों में पाठ्यक्रम	48
6.4	सहयोगी कार्यक्रम	50
6.5	यू०जी०सी० कम्प्यूटरीकरण	50
6.6	क्षेत्र अध्ययन कार्यक्रम	50
7.0	**अंतर्विश्वविद्यालय केंद्र तथा सूचना केंद्र**	52
7.1	नाभिकीय विज्ञान केंद्र, नई दिल्ली	53
7.2	अंतर्विश्वविद्यालय खगोल-विज्ञान तथा खगोल-भौतिकी केंद्र (आई यू सी ए ए), पुणे	55
7.3	परमाणु ऊर्जा विभाग (डी ए ई) सुविधाओं के लिए अंतर्विश्वविद्यालय संकाय, इंदौर	56

7.4	क्रिस्टल संवृद्धि केंद्र, मद्रास	58
7.5	सामाजिक विज्ञान सूचना केंद्र, एम.एस. विश्वविद्यालय, बड़ौदा	59
7.6	सूचना तथा पुस्तकालय नेटवर्क (इन्फ्लिब्नेट), अहमदाबाद	60
7.7	शैक्षिक संचार संकाय (सी ई सी), नई दिल्ली	60
7.8	राष्ट्रीय विज्ञान सूचना केंद्र, बंगलौर	61
7.9	मानविकी तथा सामाजिक विज्ञानों के लिए अंतर्विश्वविद्यालय केंद्र, शिमला	63
7.10	राष्ट्रीय सूचना केंद्र, एस एन डी टी महिला विश्वविद्यालय	64
7.11	खगोल भौतिकी में पूर्वी अनुसंधान केंद्र (ई सी आर ए), कलकत्ता	64
7.12	एम एस टी राडार अनुप्रयोगों के लिए यू.जी.सी. - एस वी यू केंद्र, तिरुपति	65
8.0	**भारतीय संस्कृति, विरासत और मूल्यों का संवर्धन तथा परिरक्षण**	66
8.1	गांधी अध्ययन	66
8.2	बौद्ध अध्ययन	66
8.3	नेहरू अध्ययन	66
8.4	क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र (भंजा साहित्य)	67
8.5	मणिपुरी अध्ययन एवं अनुसंधान केंद्र तथा जनजातीय अध्ययन केंद्र	67
8.6	मूल्यपरक शिक्षा	67
8.7	प्रदर्शन कलाओं, संग्रहालय तथा पुरालेख सेलों का विकास	68
8.8	कार्यमूलक हिंदी पाठ्यक्रम	68
9.0	**तकनीकी, इंजीनियरी और कम्प्यूटर शिक्षा का विकास तथा सुविधाएं**	69
9.1	इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी का विकास	69
9.2	कम्प्यूटर सुविधाओं एवं कम्प्यूटर शिक्षा का विकास	69
9.3	कालेज शिक्षकों का प्रशिक्षण	70
9.4	स्नातकोत्तर स्तर पर कम्प्यूटर अनुप्रयोग	70
9.5	प्रबंध अध्ययनों का विकास	71
10.0	**अनौपचारिक शिक्षा**	72
10.1	प्रौढ़, अनुवर्ती तथा विस्तार शिक्षा	72
10.2	जनसंख्या शिक्षा	73
10.3	'एड्स' नियंत्रण के लिए कार्य योजना	73
10.4	दूरस्थ शिक्षा/पत्राचार पाठ्यक्रम	74
10.5	योजना फोरम	74

11.0	**मानव संसाधन विकास, शिक्षण और अनुसंधान**	75
11.1	संगोष्ठियां, परिचर्चाएं, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, कार्यशालाएं आदि	75
11.2	अंग्रेजी भाषा के शिक्षण को सुदृढ़ बनाना	75
11.3	राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	75
11.4	अभ्यागत एसोशिएटशिप	76
11.5	अतिथि/अंशकालिक शिक्षक	76
11.6	अभ्यागत प्रोफेसर/अध्येता	76
11.7	शिक्षक अध्येतावृत्तियां	77
11.8	अनुसंधान वैज्ञानिकवृत्ति	77
11.9	विज्ञान, इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी, मानविकी, सामाजिक विज्ञानों में शिक्षकों के लिए लघु एवं बृहत् अनुसंधान परियोजनाएं	78
11.10	भारतीय लेखकों द्वारा विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों की रचना	79
11.11	अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए यात्रा अनुदान	79
11.12	वृत्तिक अवार्ड	79
11.13	इमेरिटस अध्येतावृत्ति	80
11.14	अनुसंधान तथा शिक्षण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परीक्षा	80
11.15	इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान अध्येतावृत्तियां	81
11.16	अनुसंधान एसोशिएटशिप	81
11.17	विकासशील देशों के छात्रों के लिए अध्येतावृत्ति/अनुसंधान एसोशिएटशिप	82
12.0	**शारीरिक शिक्षा तथा खेल-कूदों का संवर्धन**	83
12.1	शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा तथा खेल-कूद में तीनवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम	83
12.2	विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में खेलकूद के लिए आधार-संरचना तैयार करना	83
12.3	राष्ट्रीय साहसिक खेल प्रतिष्ठान (एन एफ ए) के साथ समझौता ज्ञापन	84
12.4	विश्वविद्यालयों में योग शिक्षा एवं अभ्यास के संवर्धन के लिए योजना	84
13.0	**अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, विकलांगों तथा समाज के कमजोर वर्गों के लिए सुविधाएं**	85
13.1	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सुविधाएं देने वाले कालेजों को सहायता और विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में विशेष सेलों की स्थापना	85
13.2	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण	86

14.0	**महिलाओं के लिए सुविधाएं**	88
14.1	उच्च शिक्षा में महिलाओं के नामांकन में वृद्धि	88
14.2	महिलाओं के नामांकन का राज्यवार, स्तरवार तथा संकायवार वितरण	89
14.3	महिला कालेज	91
14.4	विश्वविद्यालयों में महिला अध्ययनों का संवर्धन	92
14.5	महिलाओं के लिए अंशकालिक अनुसंधान एसोशिएटशिप	92
15.0	**अंतर्राष्ट्रीय सहयोग**	93
15.1	द्विपक्षीय विनिमय कार्यक्रम	93
15.2	शिष्टमंडल	93
15.3	विदेशी भाषा शिक्षक	94
15.4	अध्येतावृत्तियां तथा छात्रवृत्तियां	94
15.5	ऐसे शिक्षकों को यात्रा अनुदान जिन्हें विदेश में उनके अनुरक्षण के लिए अध्येतावृत्तियां/वजीफे देने का प्रस्ताव है	94
15.6	भारत-अमरीका अध्येतावृत्ति कार्यक्रम	95
15.7	सी एस आई आर - सी एन आर एस विनिमय कार्यक्रम	95
15.8	शैक्षिक सम्पर्क अंतर्विनिमय योजना (ए एल आई एस)	95
15.9	सार्क पीठें/अध्येतावृत्तियां/छात्रवृत्तियां	95
15.10	सैद्धांतिक भौतिकी के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (आई सी टी पी)	96
15.11	राष्ट्रमंडलीय शैक्षिक स्टाफ अध्येतावृत्तियां/छात्रवृत्तियां	96
15.12	कनाडियन अध्ययनों का विकास	97

छायाचित्रों की सूची

अध्याय 3: स्तरों का अनुरक्षण एवं समन्वय

1. शैक्षिक स्टाफ कालेज, हि० प्र० विश्वविद्यालय शिमला, में निदर्शन व्याख्यान ।

2. शैक्षिक स्टाफ कालेज, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर में एक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के सहभागियों के लिए एक प्रयोग का प्रदर्शन । (आवरण पृष्ठ पर)

3. शैक्षिक स्टाफ कालेज, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी में भौतिकी के पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में व्याख्यान ।

4. सामग्री विज्ञान केंद्र, नाभिकीय भौतिकी विभाग, मद्रास विश्वविद्यालय में विकसित किया गया बाइ - 2223 सुपर कंडटिंग टेप (6 सें. मी. लम्बाई और 1.3 सें. मी. चौड़ाई) ।

5. सामग्री विज्ञान केंद्र भौतिकी विभाग, मद्रास विश्वविद्यालय में विकसित की गई स्थायी चुम्बक सामग्री ।

6. ई एम आर सी, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली में एक कार्यक्रम की रिकार्डिंग की जा रही है । (आरवण पृष्ठ पर)

अध्याय 7 : अंतर्विश्वविद्यालय केंद्र तथा सूचना केंद्र

7. आई यू सी सी ए यंत्रीकरण प्रयोगशाला (पुणे) में विकसित किया जा रहा इमेजिंग पोलरीमीटर ।

8. कम्प्यूटर प्रयोगशाला, इन्फ्लिब्नेट, अहमदाबाद में काम करते हुए प्रशिक्षणार्थी ।

9. राष्ट्रीय विज्ञान सूचना केंद्र, बंगलौर में सी डी—आर ओ एम खोज सेवा ।

10. एम एस टी राडार, एस वी यू - यू जी सी केंद्र, तिरुपति का ऐन्टेना व्यूह ।

अध्याय 12 : शारीरिक शिक्षा तथा खेल-कूद संवर्धन

11. ताजा बर्फ से ढकी पहाड़ी पर चढ़ना एन एफ ए के अधीन साहसिक खेल ।

12. पैराग्लाइडिंग, मदर अर्थ तक धीरे धीरे फ्लोट करनाः एन एफ ए के अधीन साहसिक खेल ।

आवरण

1
प्रस्तावना

1.1 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका तथा संगठन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना संसद् के एक अधिनियम द्वारा 1956 में की गई थी। इसका उद्देश्य विश्वविद्यालयी शिक्षा का संवर्धन एवं समन्वय करना तथा शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के स्तरों का निर्धारण और अनुरक्षण करना था। आयोग को निधियां उपलब्ध कराने और स्तरों के निर्धारण तथा समन्वय करने की शक्तियां सौंपी गई हैं। उच्च शिक्षा के विकास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आयोग, अन्य बातों के अलावा, पात्र विश्वविद्यालयों, एवं कालेजों को अनुदान आबंटित तथा वितरित करता है और केंद्रीय तथा राज्य सरकारों को विश्वविद्यालय शिक्षा के सुधारार्थ आवश्यक उपायों के बारे में सलाह देता है। इस प्रयोजन के लिए आयोग ने मानविकी, सामाजिक विज्ञानों, वाणिज्य तथा विज्ञानों में प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए विनियम बनाए हैं और न्यूंनतम मान निर्धारित किए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा केंद्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग से अनुदान प्राप्त करने के लिए केवल उन्हीं कालेजों को सुपात्र घोषित किया जाता है जो इन मानकों को पूरा करते हैं।

अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष समेत आयोग के 12 सदस्य हैं। अन्य 10 सदस्यों में से दो केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि हैं, चार विश्वविद्यालय शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करते हैं और शेष चार की नियुक्ति कुलपतियों, विद्या व्यवसाय के सदस्यों तथा ख्यातिप्राप्त शिक्षाविदों में से की जाती है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष आयोग के पूर्णकालिक सदस्य हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्यकारी प्रमुख सचिव होता है। वह आयोग के सचिवालय का प्रमुख होता है जिसमें 60 से अधिक अधिकारी तथा लगभग 700 अन्य सहायक कर्मचारी सम्मिलित हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपने कार्यक्रमों को तैयार करने, उनका मूल्यांकन एवं परिवीक्षण करने में विश्वविद्यालयों, कालेजों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं तथा अन्य संस्थाओं के विषय-विशेषज्ञों से सहायता प्राप्त करता है।

1.2 वित्त

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अपनी कोई निधि नहीं है। आयोग, अपना उत्तरदायित्व विधिवत् निभाने के लिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माध्यम से, केंद्रीय सरकार से योजनेतर और योजनागत अनुदान प्राप्त करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अंतर्गत आयोग को सभी केंद्रीय

विश्वविद्यालयों, दिल्ली तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालयों से संबद्ध कालेजों तथा ऐतिहासिक कारणों से कई चुनींदा ऐसी संस्थाओं को, जिन्हें कई वर्षों से समविश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है, पूर्ण अनुरक्षण तथा विकास अनुदान आबंटित तथा वितरित करने की शक्ति सौंपी गई है। राज्य विश्वविद्यालयों, कालेजों तथा उच्च शिक्षा की अन्य संस्थाओं को विकास योजनाओं के लिए योजनागत अनुदान से सहायता प्राप्त होती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐसे कई कार्यक्रम संचालित करता है जिनके अंतर्गत उच्च शिक्षा की सभी मान्यताप्राप्त संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों को अनुसंधान, यात्रा आदि के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध होती है।

लगभग बीस वर्षों की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को उपलब्ध कराए गए योजनागत एवं योजनेतर संसाधनों का विवरण नीचे दिया जा रहा है :

सारणी 1.1
संसाधन (रूपये करोड़ में)

	5वीं योजना	6ठी योजना	7वीं योजना	8वीं योजना
योजनागत	216	233	575	612
योजनेतर	207	388	845	968*

* 31 मार्च 1995 तक

योजनागत अनुदान का उपयोग नए भवनों के निर्माण, प्रयोगशालाओं के लिए उपस्करों की खरीद जैसी भौतिक सुविधाओं के विकास एवं विस्तार तथा पुस्तकालयी सुविधाओं के विस्तार के लिए और शैक्षिक तथा प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सुविधाओं के लिए किया जाता है।

योजनेतर अनुदान का उपयोग मुख्यतया सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों, 10 समविश्वविद्यालय संस्थाओं, दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध 55 कालेजों तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के घटक कालेजों के अनुरक्षण व्यय में होता है।

इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय क्षेत्र में इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी, प्रबंधन एवं कम्प्यूटर पाठ्यक्रमों के लिए सरकार से पृथक् विकास अनुदान प्राप्त होते हैं।

अनुसंधान अध्येतावृत्तियों, स्वायत्त कालेजों, शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करने वाले शैक्षिक स्टाफ कालेजों, अंतर्विश्वविद्यालय केंद्रों के रूप में सामान्य सुविधाओं के निर्माण, नए क्षेत्रों में नवीन पाठ्यक्रमों तथा उच्च अनुसंधान हेतु विशेष सहायता के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदत्त सहायता में, विगत लगभग दस वर्षों के दौरान, महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

उच्च शिक्षा प्रणाली में छात्रों तथा संस्थाओं की बढ़ती हुई संख्या और इसके परिणामस्वरूप सभी प्रकार की आवश्यकताओं में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को उपलब्ध वित्तीय संसाधन, विशेषकर योजनागत आबंटनों के मामले में, विकास में संवर्धन तथा मानकों में सुधार, दोनों के लिए अभीष्ट धनराशि की तुलना में कम पड़ते हैं ।

वर्ष 1993-94 के दौरान प्राप्त योजनागत तथा योजनेतर अनुदानों तथा विभिन्न संस्थाओं और कार्यकलापों के लिए आबंटित की गई राशि का ब्यौरा निम्नलिखित तीन सारणियों में दिया गया है :

सारणी 1.2
वर्ष 1993-94 के दौरान प्राप्त अनुदान
(रूपये करोड़ में)

		योजना	योजनेतर
1.	सहायता अनुदान	141.50	336.95
2.	इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी	18.00	-
3.	अन्य	1.50	-
	जोड़	**161.00**	**336.95**

सारणी 1.3*
वर्ष 1993-94 के दौरान जारी किए गए योजनागत अनुदान

	संस्थाओं के प्रकार	रु० करोड़ में	कुल योजनागत अनुदान का प्रतिशत
1.	केंद्रीय विश्वविद्यालय	30.06	18.7
2.	समविश्वविद्यालय संस्थाएं	8.91	5.5
3.	राज्य विश्वविद्यालय	66.25	41.2
4.	अंतर्विश्वविद्यालय केंद्र	17.91	11.1
5.	राज्य विश्वविद्यालयों के कालेज	33.03	20.5
6.	केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कालेज	1.63	1.0
7.	विविध	3.14	2.0
	जोड़ (योजनागत)	**160.93**	**100.00**

* इसमें खेल-कूद आदि जैसी अन्य योजनाओं के माध्यम से दिए गए अनुदान शामिल नहीं हैं ।

सारणी 1.4*

वर्ष 1993-94 के दौरान जारी किए गए योजनेतर अनुदान

	संस्थाओं के प्रकार	रुपये करोड़ में	कुल योजनेतर अनुदान का प्रतिशत
1.	निम्नलिखित को अनुरक्षण अनुदान		
	(क) केंद्रीय विश्वविद्यालय	222.50	65.7
	(ख) समविश्वविद्यालय संस्थाएं	18.13	5.4
	(ग) दिल्ली विश्वविद्यालय तथा बी.एच.यू. के कालेज	75.98	22.4
2.	राज्य विश्वविद्यालय	2.91	0.9
3.	शिक्षक अवार्ड, अनुसंधान अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां आदि	8.60	2.5
4.	अंतर्विश्वविद्यालय केंद्र	2.75	0.8
5.	विश्वविद्यालयेतर संस्थाएं	0.40	0.1
6.	वि.अ.आ. का स्थापना व्यय	7.32	2.2
	जोड़ (योजनेतर)	**338.59**	**100.00**

* जारी किए गए अनुदानों की राशि प्राप्त किए गए अनुदानों की राशि से अधिक है जैसाकि सारणी 1.2 में दिखाया गया है । इसका कारण आंरभिक बकाया राशि से निधियों का उपयोग किया जाना, योजनेतर अनुदान पर ब्याज और पिछले वर्षों की अव्ययित बकाया राशि की वापसी है ।

1.3 वर्ष के दौरान मुख्य कार्य

(i) *पुन्नैया समिति*

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा संस्थाओं के निधीयन के मामले में आयोग के परामर्श हेतु न्यायमूर्ति के. पुन्नैया की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की । वर्ष के दौरान समिति के द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर आयोग ने विचार किया । आयोग ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों के निधीयन से संबंधित उसकी सिफ़ारिशों को सामान्य रूप से स्वीकार कर लिया । ये सिफ़ारिशें राज्य

सरकारों तथा सभी केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालय को भेज दी गई हैं । समिति की सिफ़ारिशों के क्रियान्वयन संबंधी ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं । दिल्ली के कालेजों के मामले में आयोग ने इच्छा व्यक्त की है कि समिति उस पर पुनर्विचार करे ।

पुन्नैया समिति की रिपोर्ट में इस बात पर स्पष्ट रूप से पुनः बल दिया गया है कि "विश्वविद्यालयों के अनिवार्य अनुरक्षण तथा विकास की आवश्यकताओं के लिए निधीयन का प्रमुख दायित्व राज्य का ही रहे ।" रिपोर्ट इस बात पर भी ज़ोर देती है कि राष्ट्र के लिए सार्वजनीन प्रारंभिक शिक्षा तथा संपूर्ण साक्षरता के लक्ष्य प्राप्त करना अनिवार्य है, साथ ही यह उच्च शिक्षा में विश्वव्यापी स्तरों की उपलब्धि से संबंधित अपनी खोज की उपेक्षा भी नहीं कर सकता । समिति उस प्रवृत्ति की निंदा करती है जो शिक्षा को विखंडित रूप में देखती है तथा एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र के विरुद्ध ला खड़ा करती है । इस रिपोर्ट का मत है कि प्राइमरी तथा सैकंडरी शिक्षा की गुणता स्वयं उच्च शिक्षा की गुणता पर निर्भर करती है ।

(ii) *प्रत्यायन परिषद्*

आलोच्य वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भारत सरकार से एक राष्ट्रीय उच्च शिक्षा प्रत्यायन बोर्ड की स्थापना का अनुमोदन प्राप्त हुआ । यह बोर्ड विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12 (ओ सी सी) के उपबंधों के अधीन एक स्वायत्त निकाय के रूप में होगा । इसके अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन हेतु अंतर्नियमावली तैयार करने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति की नियुक्ति की ।

(iii) *राज्य शिक्षा निदेशकों तथा सचिवों का सम्मलेन*

आयोग ने 6-7 जनवरी, 1994 को नई दिल्ली में राज्य शिक्षा निदेशकों तथा सचिवों के एक सम्मलेन का आयोजन किया । यह सम्मलेन राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) की कार्ययोजना के क्रियान्वयन में राज्य सरकारों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रयासों के समन्वयार्थ संयोजित किया गया था । सम्मलेन में निम्नलिखित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया :

- वर्तमान शिक्षा संस्थाओं में सुविधाओं का समेकन तथा विस्तार ।
- उच्च शिक्षा की संस्थाओं की दक्षता में सुधार लाना ।
- उच्च शिक्षा में छात्रों तथा शिक्षकों का एक राज्य से दूसरे राज्य को जाना ।
- उच्च शिक्षा पर डाटाबेस तैयार करना ।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालयों

को राज्य सरकारों द्वारा अनुरूपयोजी अनुदान का प्रावधान ।

निम्नलिखित के बारे में मतैक्य के साथ सम्मेलन का समापन हुआः

- राज्य स्तर पर किसी कालेज अथवा विश्वविद्यालय की स्थापना से पूर्व संभाव्यता सर्वेक्षण किया जाए;
- उच्च शिक्षा संस्थाओं के विकासार्थ आगामी 10-15 वर्षों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक मास्टर प्लान तैयार किया जाए;
- विश्वविद्यालय स्तर पर एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना की जाए;
- शैक्षिक प्रशासकों तथा कालेज प्रिंसिपलों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं;
- छात्रों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने को प्रोत्साहित किया जाए तथा इस उद्देश्य के लिए 5-10 प्रतिशत अधिसंख्य स्थान आरक्षित रखे जाएं;
- राज्यों को राज्य की सीमाओं के अंदर-अंदर तथा देश में शिक्षकों को एक संस्था से दूसरी संस्था में जाने की सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए ।

सम्मेलन में कहा गया कि भारत सरकार एक 'प्रत्यायन परिषद्' की स्थापना के लिए सहमत है जो समय-समय पर शैक्षिक संस्थाओं के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करेगी । उसने शिक्षा-संबंधी आंकड़ों को अद्यतन करने की आवश्यकता पर बल दिया तथा कालेजों/उच्च शिक्षा के निदेशकों को विभिन्न कालेजों से आंकड़े एकत्र करने तथा उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सांख्यिकी प्रभाग को भेजने के लिए कहा । उच्च शिक्षा पर राष्ट्रीय स्तर पर डाटाबेस की रचना के लिए राज्य सरकारों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मध्य पूर्ण समन्वय करने की सामान्य आवश्यकता पर बल दिया गया ।

(iv) *कुलपति सम्मलेन*

आयोग ने 20 दिसंबर, 1993 को दिल्ली विश्वविद्यालय में उपकुलपतियों का एक सम्मेलन भी आयोजित किया । सम्मलेन का विषय था – "पूर्वस्नातक शिक्षा की शैक्षिक आधार-संरचना : लचीलापन तथा नवप्रवर्तन की आवश्यकता ।" सम्मेलन में निम्नलिखित सिफ़ारिशें स्वीकार की गईं :

- **भारत में पूर्वस्नातक शिक्षा के स्तर को विश्व के विकसित देशों में प्रवर्तमान स्तरों के समतुल्य बनाना ।**
- **इस स्तर पर कुछ पाठ्यक्रमों को सम्मिलित करके पूर्वस्नातक शिक्षा के ज्ञान-आधार का विस्तार करना । ये पाठ्यक्रम, आधार अथवा केंद्रिक रूप में, पर्यावरण, जनसंख्या, शांति, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, मानव मूल्य, इतिहास तथा संस्कृति, नैतिक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का इतिहास आदि विषय हो सकते हैं ।**

- एक व्यावसायिक घटक विधा को लागू किया जाए जैसा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पूर्वस्नातक पाठ्यक्रमों की पुनः संरचना योजना में सुझाव दिया गया है ।
- पूर्वस्नातक पाठ्यक्रमों की पुनर्संरचना की योजना में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तावित व्यावसायिक घटक/विधा को जारी किया जाए ।
- छात्रों को कला, विज्ञान, वाणिज्य, आयुर्विज्ञान, इंजीनियरी आदि वर्तमान संकायों में से पाठ्यक्रम चुनने की अनुमति दी जाए ।
- पाठ्यक्रमों की संख्या, अवधि तथा अनुक्रमण से संबंधित सुधार शुरू किए जाएं तथा छात्रों को अपनी निजी गति पर तथा उनकी अपनी प्रवृत्तियों और रुचियों के मामले में अध्ययन हाथ में लेने के योग्य बनाने के लिए कोई क्रियाविधि तैयार की जाए ।
- वर्तमान वार्षिक परीक्षा प्रणाली अथवा सेमेस्टर प्रणाली के स्थान पर क्रेडिट प्रणाली को अपना कर किसी छात्र के ज्ञान तथा कौशल की जांच करने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया को सरल बनाया जाए ।
- खेल-कूद, पाठ्येतर कार्यकलापों आदि में छात्रों की सहभागिता के लिए क्रेडिट की व्यवस्था हो ।
- संस्थाएं बदलने में, एक कालेज से दूसरे कालेज को, परंपरागत विश्वविद्यालयों से मुक्त विश्वविद्यालयों तथा एक राज्य से दूसरे राज्य को जाने की सुविधा उपलब्ध हो । किसी परंपरागत विश्वविद्यालय तथा मुक्त विश्वविद्यालय में एक-साथ प्रवेश लेने पर कोई प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता नहीं हो ।
- किसी छात्र द्वारा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में प्राप्त क्रेडिटों को उच्च शिक्षा की परंपरागत प्रणाली से उसकी डिग्री में शामिल करने तथा उच्च शिक्षा की परंपरागत प्रणाली में प्राप्त क्रेडिटों को दूरस्थ शिक्षा प्रणाली से उसकी डिग्री में शामिल करने का प्रावधान किया जाए ।
- प्रवास प्रमाणपत्रों, अधिवास प्रमाणपत्रों, जाति प्रमाणपत्रों आदि की शर्तों को समाप्त करके प्रवेश प्रक्रिया को सरल किया जाए ।
- शिक्षण की आधुनिक विधियों को अपनाया जाए तथा छात्रों को शिक्षण की सहायक सामग्री किराए पर उपलब्ध कराई जाए ।
- ऐसी व्यवस्था तथा प्रक्रियाएं बनाई जाएं जो पाठ्यविवरणों तथा पाठ्यक्रमों की समीक्षा एवं उनके संशोधन के लिए विश्वविद्यालय में अंतर्निहित तंत्र का काम करें ।
- छात्रों को ऊर्ध्वाधर गतिशीलता उपलब्ध कराई जाए जिसके द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम लेने तथा व्यावसायिक विधा के पाठ्यक्रमों को परंपरागत पाठ्यक्रमों में परिवर्तित करने तथा परंपरागत पाठ्यक्रमों

को व्यावसायिक विधा के पाठ्यक्रमों में परिवर्तित करने का प्रावधान होना चाहिए ।

- डिग्रियों को नौकरियों से अलग करने की प्रक्रिया तैयार की जाए ।

(v) *विश्वविद्यालयों को दान पर आयकर में छूट*

आयकर महानिदेशक (छूट) ने धारा 80 जी की उपधारा (2) के खंड (ए) के उपखंड (III एफ) के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालयों/उच्च शिक्षा संस्थाओं को सम्मिलित कर रखा है । एतद्नुसार, विश्वविद्यालयों/उच्च शिक्षा संस्थाओं को दान देने वाले व्यक्ति, अब से आगे, अपनी कुल करयोग्य आय से ऐसी दान-राशियों की 100 प्रतिशत कटौती का दावा करने के पात्र होंगे । इस आशय का एक परिपत्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों को जारी किया गया था । आशा की जाती है कि इससे उच्च शिक्षा क्षेत्र को गैरसरकारी निधियां प्राप्त करने में प्रोत्साहन मिलेगा तथा देश में उच्च शिक्षा के संवर्धन के लिए विश्वविद्यालय स्थानीय व्यापार-गृहों, परोपकारियों तथा भारत और विदेश में स्थित अपने पूर्व छात्रों से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकेंगे और इसके परिणामस्वरूप उच्च शिक्षा के विकास के लिए विश्वविद्यालय-उद्योग संबंध सुदृढ़ होंगे ।

(vi) *प्रकाशन योजना*

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अनुसंधान संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, कालेजों में शिक्षकों तथा सर्जनशील विचारकों के साथ आयोग की सहकारिता के क्षेत्र को बढ़ाने की दृष्टि से अनुसंधान अध्ययनों और सामयिक लेखों को तैयार करने एवं प्रकाशन के लिए एक परियोजना प्रारंभ की है जो उच्च शिक्षा में शक्ति तथा गतिशीलता का वर्धन करेगी । निम्नलिखित के निर्माण एवं प्रकाशन हेतु सहायता के लिए व्यक्तियों, समूहों अथा संगठनों द्वारा परियोजना निदेशक से अथवा परियोजना निदेशक द्वारा व्यक्तियों, समूहों अथवा संगठनों से संपर्क किया जा सकता है :

- किसी विशिष्ट विषय पर अनुसंधान अध्ययन,
- कोई महत्वपूर्ण लेख अथवा विनिबंध,
- अथवा विशेष मामलों में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वित्तीय अथवा सामान्य सहायता मे आयोजित परिसंवाद, कार्यशाला अथवा सम्मेलन के टिप्पण, लेख तथा कार्यवाही और उसके निष्कर्ष ।

(vii) *संगठनात्मक तथा प्रक्रियात्मक प्रबंध ।*

प्रस्तावों के तुरन्त निपटान तथा उनेक समुचित कार्यान्वय को सुनिश्चित करने के लिए कई संगठनात्मक

तथा प्रक्रियात्मक परिवर्तन किए गए । इस प्रयोजन के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कई मंजूरीदाता सामितयां गठित की हैं । विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आने वाले प्रस्तावों पर विचार करने के लिए समय-समय पर इन समितियों की बैठकें होती हैं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रस्तावों की प्राप्ति तथा प्रक्रमण के लिए समय अनुसूची भी निर्दिष्ट की है । इन दोनों कार्यो से अनुदानों के जारी करने में विलम्ब में कमी लाने में पर्याप्त सहायता मिली है ।

इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रत्येक सदस्य को एक योजना-वर्ग के मूल्याकंन, कार्यान्वयन तथा परिवीक्षण प्रक्रिया के पर्यवेक्षण का दायित्व सौंपा गया हैं ।

(viii) ***योग***

विश्वविद्यालयों में योग के संवर्धन के लिए एक नई योजना, अनुशिक्षण तथा अभ्यास सहित, शुरू की गई ।

2
शिक्षा प्रणाली
संस्थाओं, नामांकन तथा संकायों की संख्या में वृद्धि

स्वतंत्रता के समय, वर्ष 1947 में, देश में केवल 20 विश्वविद्यालय तथा 700 कालेज थे । उच्च शिक्षा प्रणाली में छात्रों और शिक्षकों की संख्या बहुत ही कम थी । परंतु, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद चार दशकों में इन सभी संख्याओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । विश्वविद्यालयों की संख्या में छह गुना वृद्धि हुई है, कालेजों की संख्या में दसगुना वृद्धि हुई है, जबकि छात्र-नामांकन की संख्या में बीसगुना वृद्धि हुई है ।

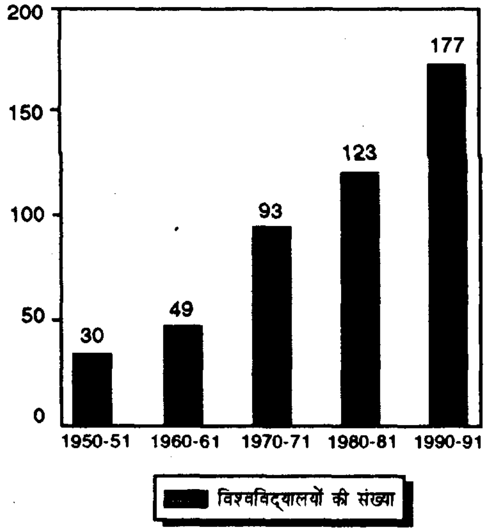

चित्र 2.1

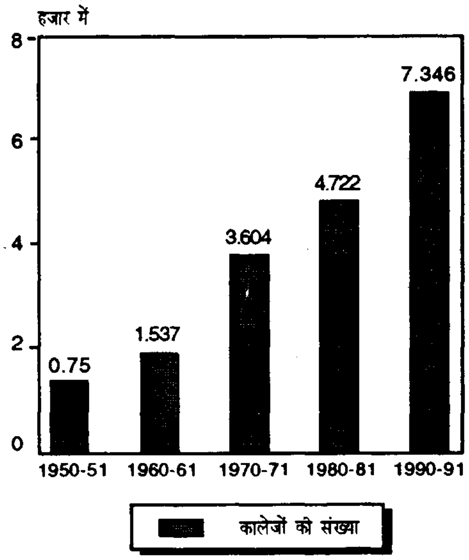

चित्र 2.2

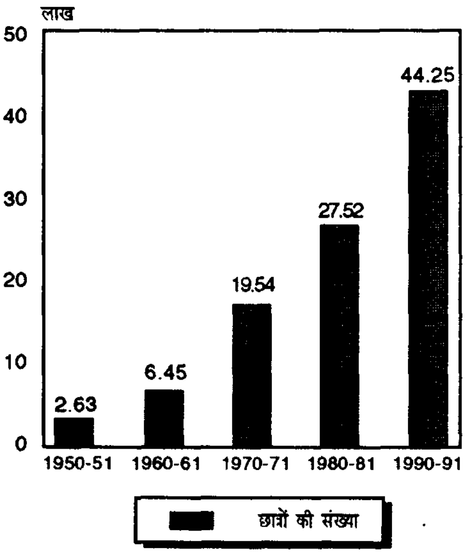

चित्र 2.3

2.1 छात्र नामांकन

इस अनुभाग में उच्च शिक्षा के कुछ पक्षों के प्रस्तुत किए गए आंकड़े अधिकतर मामलों में वर्ष 1993-94 तथा पिछले तीन वर्षों से संबंधित हैं । परंतु हम उच्च शिक्षा की संस्थाओं में छात्र नामांकन की प्रवृत्ति का बेहतर चित्र देखने के लिए विगत बीस वर्षों के आंकड़े लेकर शुरूआत करते हैं ।

जैसाकि चित्र 2.4 में प्रदर्शित किया गया है, इस अवधि के दौरान छात्र नामांकन में वृद्धि सामान्य किंतु स्थिर रही । नामांकन वृद्धि की मिश्रित दर 4.2 प्रतिवर्ष थी ।

उक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीय औसत मिश्रित दर की तुलना में राज्य स्तर पर काफी बड़े अंतर रहे हैं । तमिलनाडु की 8.1 प्रतिशत वृद्धि दर सर्वाधिक तथा उड़ीसा की 3.0 प्रतिशत वृद्धि दर निम्नतम रही । तेरह राज्यों तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र की औसत वृद्धि दर अखिल भारतीय स्तर पर 4.2 प्रतिशत की औसत से कम थी ।

वर्ष 1993-94 के दौरान, उच्च शिक्षा की संस्थाओं में लगभग 50.07 लाख छात्र नामांकित किए गए ।

चित्र 2.4

छात्र नामांकन की अखिल भारतीय वृद्धि (1974-75 से 1993-94 तक)

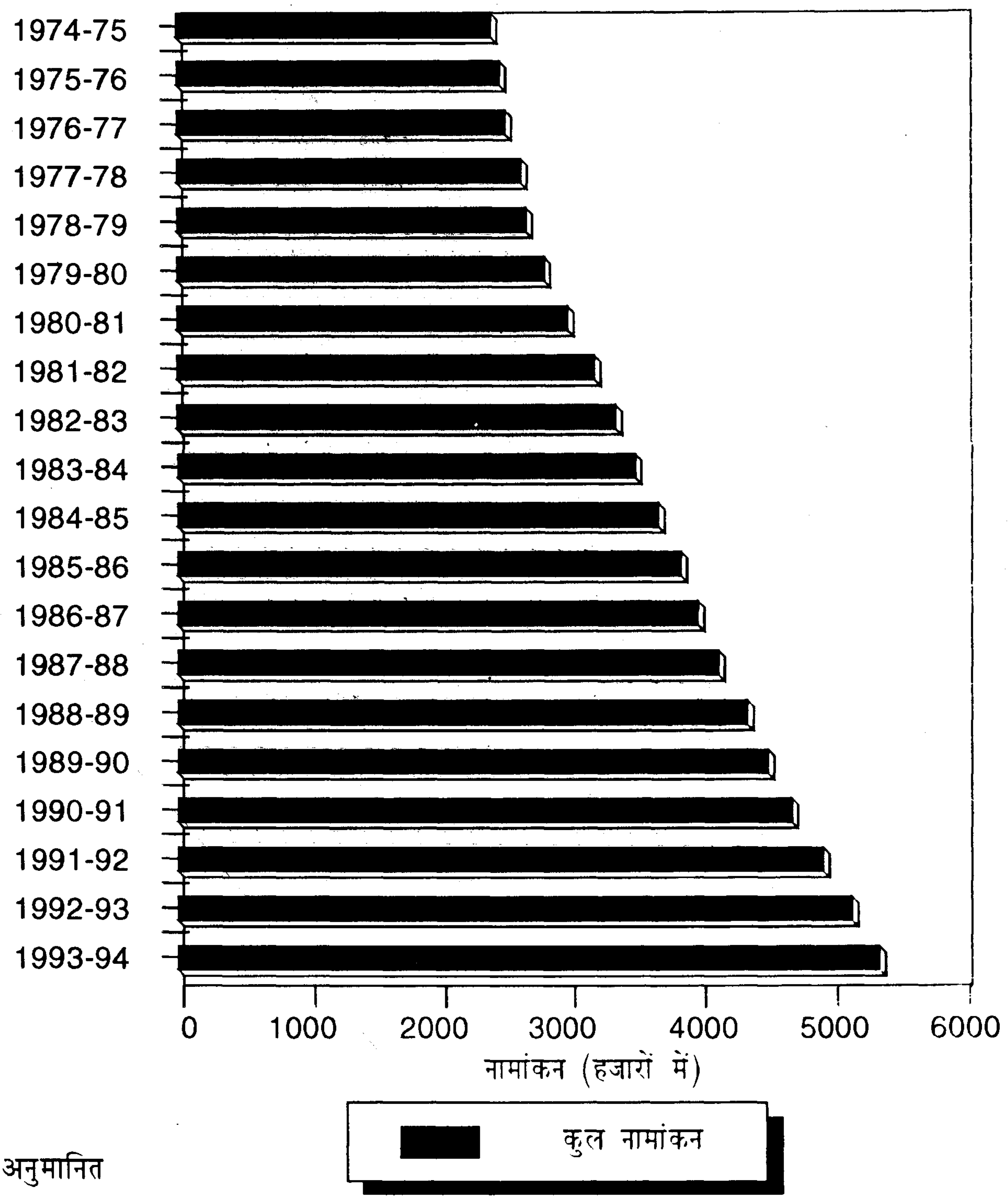

+ अनुमानित

स्तरवार नामांकन

उच्च शिक्षा प्रणाली में बहुत भारी संख्या में छात्रों को पूर्वस्नातक स्तर पर विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकित किया जाता है । इस स्तर पर कुल छात्रों में से 88 प्रतिशत छात्र हमारे कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में नामांकित होते हैं । एम.ए./एम.एससी., स्तरीय पाठ्यक्रमों में नामांकित छात्रों की प्रतिशतता 9.4 है जबकि कम छात्र (1.1 प्रतिशत) उच्च शिक्षा की संस्थाओं में अनुसंधान में कार्यरत हैं । इसी प्रकार मात्र 1.3 प्रतिशत छात्र डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों में नामांकित होते हैं । (परिशिष्ट-IV)

चित्र 2.5

स्तरवार नामांकन विश्वविद्यालय एवं संबद्ध कालेज (1993-94)

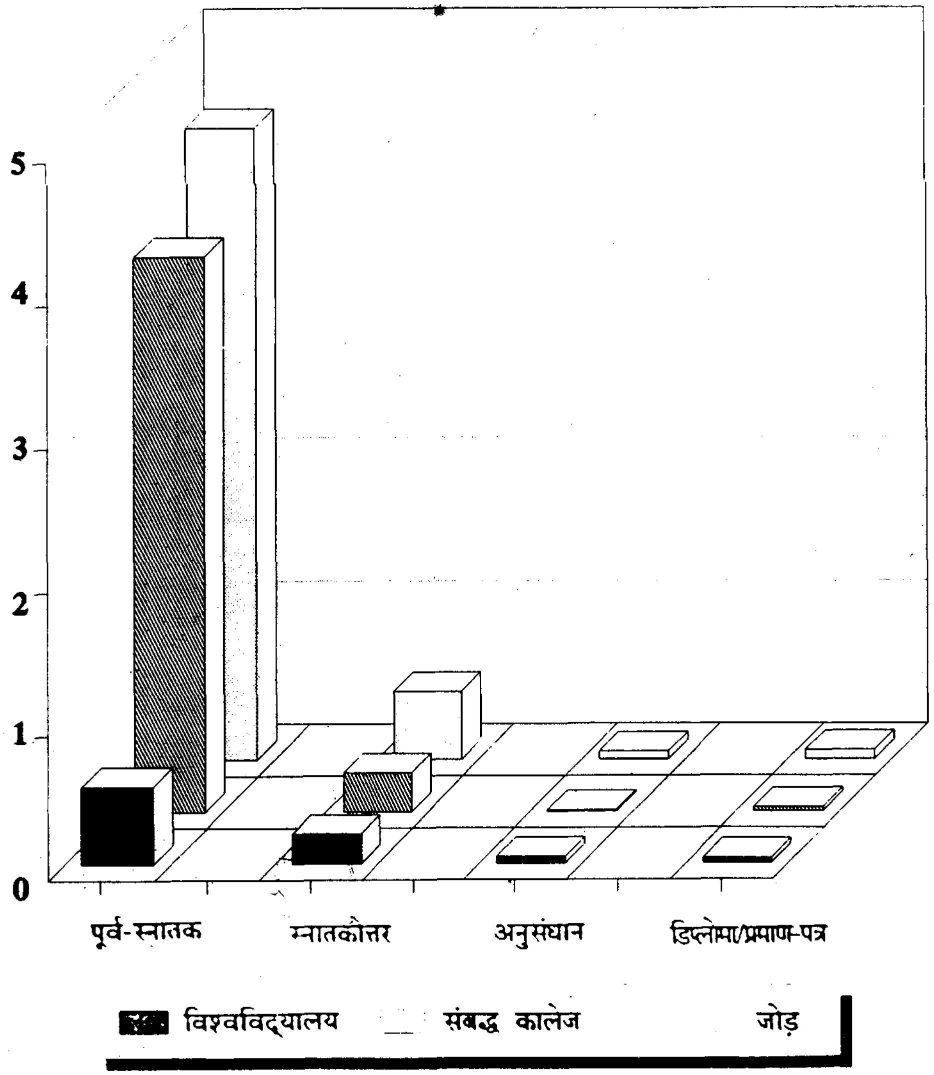

जैसा कि चित्र 2.5 में दर्शाया गया है, उच्च शिक्षा प्रणाली में अधिकतर छात्र संबद्ध कालेजों में नामांकित हैं । कुल पूर्वस्नातक छात्रों में से लगभग 85 प्रतिशत तथा स्नातकोत्तर छात्रों में से 55 प्रतिशत से कुछ अधिक इन कालेजों में होते हैं जबकि शेष छात्र विश्वविद्यालयों तथा उनके कालेजों में हैं । इसके विपरीत, एम.फिल. अथवा पीएच.डी. के लिए कार्यरत अनुसंधान छात्रों की 84.9 प्रतिशत संख्या विश्वविद्यालयों में है । डिप्लोमा/प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों में नामांकन के मामले में भी कालेजों की अपेक्षा विश्वविद्यालय विभागों तथा कालेजों, दोनों को मिलाकर, की संख्या अधिक है ।

यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि विगत बीस वर्षों के दौरान छात्रों का स्तरवार वितरण वस्तुतः अपरिवर्तित रहा है ।

संकायवार नामांकन

संकायों में छात्रों का वितरण क्या है? इसकी जानकारी अधिकतर छात्रों के बारे कहां उपलब्ध है? उत्तर चित्र 2.6 में दिया गया हैं ।

उच्च शिक्षा में दस छात्रों में से चार कला संकाय में हैं जोकि सामाजिक विज्ञानों, इतिहास तथा संस्कृति और भाषाओं में नामांकित है । दस छात्रों में से दो विज्ञान पाठ्यक्रमों में नामांकित हैं । वाणिज्य का अनुपात भी वही हैं जो विज्ञान का है ।

दूसरी दृष्टि से देखें तो चित्र 2.6 हमें यह बताता है कि दस छात्रों में से छह विज्ञान, इंजीनियरी, आयुर्विज्ञान तथा सम्बद्ध विद्याशाखाओं के पाठ्यक्रमों और वाणिज्य समेत वृत्तिक एवं रोज़गारपरक कार्यक्रमों के लिए नामांकित होते हैं ।

वाणिज्य में छात्र नामाकंन में आठवें दशक में वृद्धि होने लगी । प्रतीत होता है कि वाणिज्य में होने वाली वृद्धि कला तथा मानविकी के संकायों की कीमत पर हुई । इस परिवर्तन को छोड़कर, हाल के वर्षों में संकायवार नामाकंन के इस प्रतिरूप में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया ।

चित्र 2.6

विश्वविद्यालयों में संकायवार छात्र नामांकन (1989-90 से 1993-94)

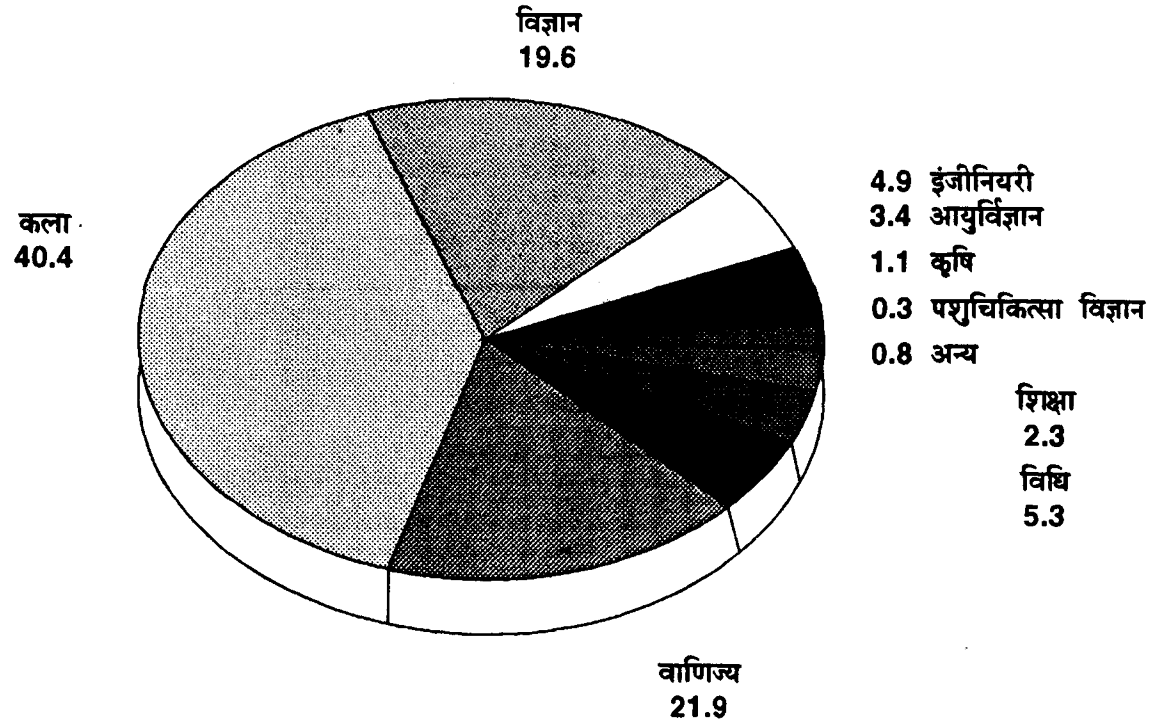

टिप्पणी : वर्ष 1989-90 से 1993-94 के दौरान संकायवार छात्र नामांकन के प्रतिशतता—वितरण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ ।

चित्र 2.7

राज्यवार कालेजों की संख्या
(1989-90 से 1993-94)

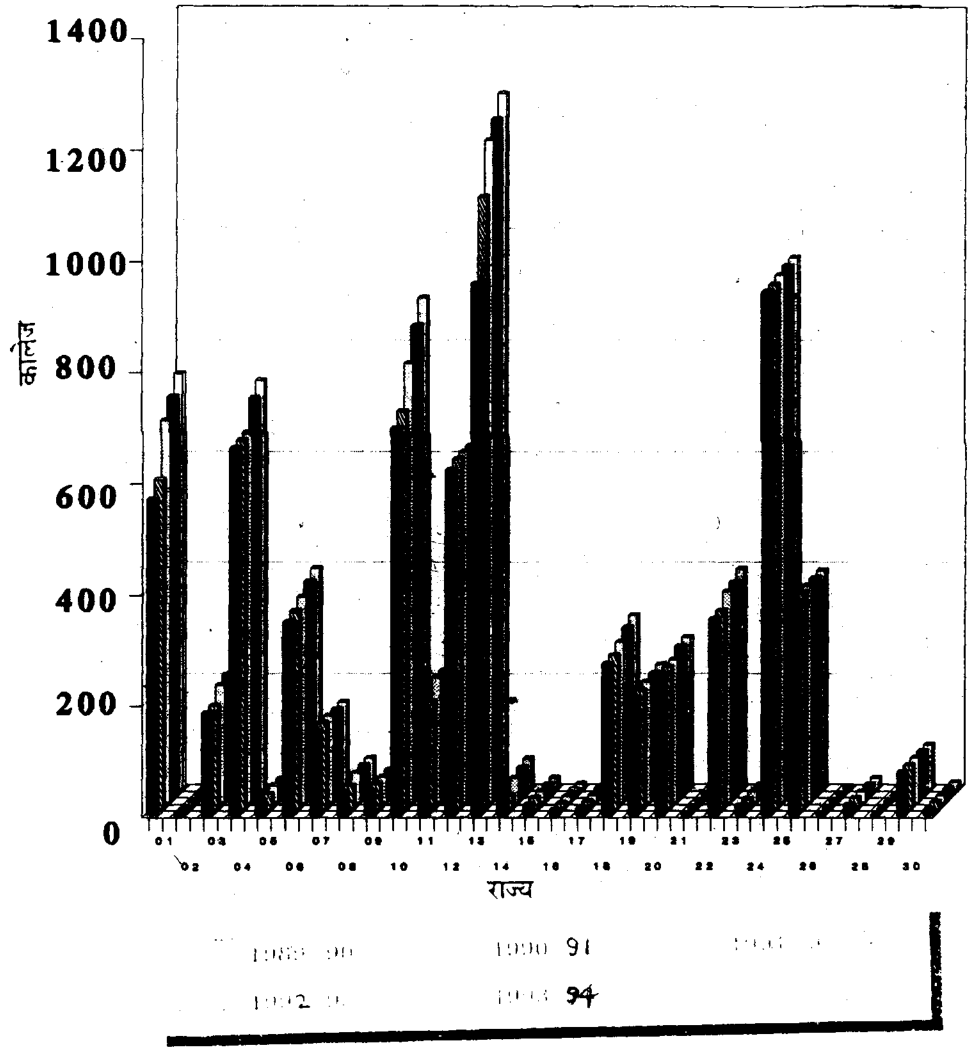

01 आं०प्र०, 02. अरुणाचल, 03 असम. 05 गोवा, 06 गुजरात. 07 हरियाणा, 08 हि. प्र०, 09 ज.क., 10 कर्नाटक, 11 केरल, 12 म. प्र. 13 महाराष्ट्र, 14 मणिपुर, 15 मेघालय, 16 मिज़ोरम, 17 नागालैंड, 18 उड़ीसा, 19 पंजाब, 20 राजस्थान, 21 सिक्किम, 22 तमिलनाडु, 23 त्रिपुरा. 24 उ. प्र., 25 प.बं., 26 अंडमान निकोबार, 27 चंडीगढ़, 28 दमन और दीव, 29 दिल्ली, 30 पांडिचेरी

टिप्पणी : वर्ष 1969-90 से 1993-94 तक दादर और हवेली तथा लक्ष्यद्वीप में कालेजों की संख्या शून्य रही।

डाक्टरेट की उपाधियां

डाक्टरेट की प्रदत्त उपाधियों की संख्या में वृद्धि हुई है । वर्ष 1991-92 की 8743 की तुलना में वर्ष 1992-93 की संख्या 9070 है । वर्ष 1992-93 में प्रदत्त उपाधियों की कुल संख्या में से कला संकाय में डिग्रियों की संख्या 3621 थी जो सर्वाधिक थी । दूसरा स्थान विज्ञान संकाय का था जिसमें 3386 डिग्रियां प्रदान की गईं ।

2.2 संस्थाएं

नामाकंन में इतनी भारी वृद्धि उच्च शिक्षा संस्थाओं, विशेषकर कालेजों की संख्या में वृद्धि के बिना संभव नहीं थी । (चित्र 2.2)

चित्र 2.7 में दर्शाए गए आंकड़ों से स्पष्ट है कि कालेजों की वृद्धि दर राज्यों में भिन्न-भिन्न है । सापेक्ष रूप से कहा जाए तो चित्र 2.7 में सं. 13 में उल्लिखित महाराष्ट्र में, इस चार वर्ष की अवधि के दौरान कालेजों की वृद्धि दर सर्वाधिक है । कर्नाटक (सं. 10) तथा आंध्र प्रदेश (सं. 1) में भी वृद्धि दर उल्लेखनीय रूप में उच्च रही है । मध्य स्तर पर असम (सं. 3), बिहार (सं. 4), गुजरात (सं. 6), उड़ीसा (सं.18), राजस्थान (सं. 2०) तथा तमिलनाडु (सं. 22) आते हैं । कुछ छोटे राज्यों में कालेजों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है जबकि तीन बड़े राज्यों, नामतः मध्यप्रदेश (सं. 12), उत्तर प्रदेश (सं. 24) तथा पश्चिम बंगाल (सं. 25) में कालेजों की वृद्धि दर कम रही है ।

वर्ष 1993-94 के दौरान लगभग 217 नए कालेज स्थापित किए गए, इस प्रकार उनकी कुल संख्या 8210 हो गई ।

वर्ष 1993-94 में स्थापित हुए नए कालेजों में से 155 कला, विज्ञान तथा वाणिज्य कालेज थे तथा 62 वृत्तिक कालेज थे ।

वर्ष 1993-94 में अंत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2 (एफ) के अंतर्गत मान्यताप्राप्त कालेजों की कुल संख्या 4570 थी जबकि गत वर्ष यह संख्या 4455 थी ।

पिछले वर्षो के दौरान, कालेजों की संख्या में वृद्धि मुख्यतः प्राइवेट संबद्ध कालेजों की संख्या में वृद्धि का परिणाम है । आज वर्तमान कुल कालेजों का लगभग 75 से 80 प्रतिशत इसी श्रेणी में आता है ।

वर्ष 1993-94 के अंत में 197 विश्वविद्यालय थे । आलोच्य वर्ष के दौरान स्थापित किए गए नए विश्वविद्यालय निम्नलिखित थे :

1. बी. एन. मंडल विश्वविद्यालय, माधेपुरा (बिहार)

2. विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हज़ारीबाग (बिहार)

3. वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा (बिहार)

4. असम विश्वविद्यालय, सिल्चर (असम)

5. तेज़पुर विश्वविद्यालय, तेज़पुर (बिहार)

5. शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, कलाडी, केरल

सारणी 2.1

उच्च शिक्षा संस्थाओं के प्रकार

	1993-94
केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालय	159
राज्य विधान द्वारा स्थापित संस्थाएं	4
समविश्वविद्यालय संस्थाएं	34
कालेज	8210

2.3 स्टाफ की संख्या

वर्ष 1992-93 के दौरान विश्वविद्यालयों तथा सम्बद्ध कालेजों में शिक्षण स्टाफ की कुल संख्या लगभग 2.86 लाख थी जबकि गत वर्ष यह संख्या 2.78 लाख थी ।

चित्र 2.8

पद के अनुसार शिक्षण स्टाफ का वितरण (1993-94)

विश्वविद्यालय विभाग / विश्वविद्यालय कालेज

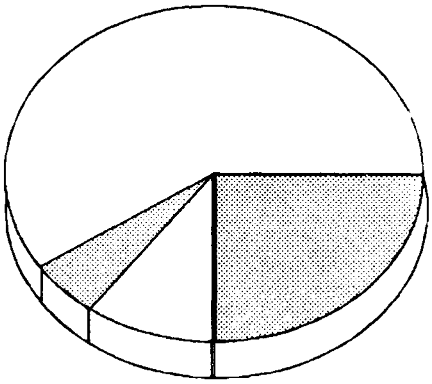

प्रोफेसर	रीडर	+लेक्चरर	अनुशिक्षक/निदर्शक	जोड़
8300	16990	36963	2594	64847

+ इनमें सहायक प्रोफेसर और सहायक लेक्चरर भी शामिल है ।

संबद्ध कालेज

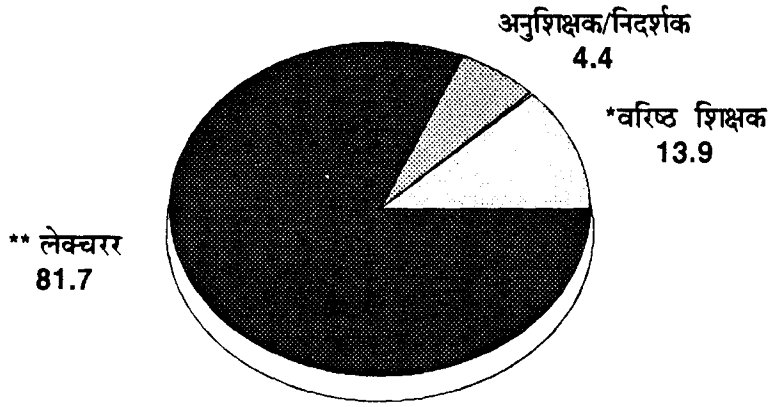

*वरिष्ठ शिक्षक	**लेक्चरर	अनुशिक्षक/निदर्शक	जोड़
30695	180418	9717	220830

* इनमें प्रिंसिपल, प्रोफेसर, रीडर और वरिष्ठ लेक्चरर शामिल है ।

** इनमें सहायक प्रोफेसर और सहायक लेक्चरर शामिल है ।

सम्बद्ध कालेजों तथा विश्वविद्यालयों के विभागों और कालेजों में उनके पदों के उल्लेख के साथ शिक्षकों की संख्या विषयक चार वर्षो के आंकड़े, जिनमें 1993-94 भी शामिल है, पृथक् से चित्र सं. 2.8 में दिए गए हैं ।

लेक्चरर वर्ग में शिक्षकों की संख्या सबसे अधिक है । वर्ष 1993-94 में विश्वविद्यालयों के विभागों और कालेजों में तथा सम्बद्ध कालेजों में ये क्रमशः शिक्षकों की संख्या का 57 प्रतिशत और 82 प्रतिशत थे ।

वर्ष 1993-94 में विश्वविद्यालयों तथा उनके कालेजों में शिक्षकों की कुल संख्या का 12.8 प्रतिशत प्रोफेसर थे और 26.2 प्रतिशत रीडर थे ।

वर्ष 1993-94 के दौरान वरिष्ठ शिक्षक (प्रिंसिपल, प्रोफेसर, रीडर और वरिष्ठ लेक्चरर) सम्बद्ध कालेजों में कुल शिक्षकों की संख्या का 13.9 प्रतिशत थे ।

उच्च शिक्षा की संस्थाओं का सबसे बड़ा भाग सम्बद्ध कालेजों के रूप में होने के कारण शिक्षा प्रणाली में सभी शिक्षकों की संख्या का 77.3 प्रतिशत सम्बद्ध कालेजों में ही विद्यमान था ।

3
स्तरों का अनुरक्षण और समन्वय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12 में व्यवस्था की गई है कि आयोग संबंधित विश्वविद्यालयों के साथ परामर्श करके सभी प्रकार के ऐसे कदम उठाएगा जिन्हें वह विश्वविद्यालय शिक्षा के संवर्धन एवं समन्वय तथा शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के स्तरों का अनुरक्षण करने के लिए उपयुक्त समझता है । साधनों की कमी के बावजूद आयोग ने उच्च शिक्षा की संस्थाओं को सहायता सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया है । वि.अ.आ. के विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत उनको धन प्रदान किया जा रहा है ताकि वे अपनी प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों में सुधार कर सकें, पाठ्यविवरणों में संशोधन कर सकें, परीक्षा में सुधार कर सकें, संकाय हायर कर सकें, अनुसंधान को बढ़ावा दे सकें, प्रशासनिक और संकाय स्टाफ के ज्ञान और कौशल के स्तर में सुधार कर सकें । इन लक्ष्यों तथा उद्देश्यों से सम्बद्ध योजनाओं/कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा नीचे दी जा रही है :

3.1 शैक्षिक स्टाफ कालेज

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) का पालन करते हुए वि.अ.आ. ने शैक्षिक स्टाफ कालेजों (ए.एस.सी.) के लिए एक योजना तैयार की है और एतदर्थ उसने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के वास्ते 'स्टाफ' विकास कार्यक्रम विषयक विभिन्न देशों के उपयोगी अनुभवों से लाभ उठाया है । वि.अ.आ. के अधिकांश अन्य 'संकाय विकास कार्यक्रमों' का लक्ष्य उच्च कोटि के अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देना है लेकिन इस योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना है ।

अभिविन्यास/पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन करने के लिए आयोग ने विभिन्न विश्वविद्यालयों/कालेजों/संस्थाओं में 45 शैक्षिक स्टाफ कालेजों और 51 स्टाफ केंद्रों का पता लगाया है । 45 शैक्षिक स्टाफ कालेजों में से प्रत्येक कालेज से वर्ष में एक बार 4 सप्ताह की अवधि के लिए पांच-छह कार्यक्रमों का आयोजन करने की आशा की जाती है । प्रत्येक स्टाफ कालेज को अपने पाठ्यक्रमों में प्रवेशार्थ वि.अ.आ. द्वारा निर्धारित संग्राही क्षेत्र से 90 प्रतिशत शिक्षकों को लेना होगा तथा बाकी 10 प्रतिशत को उस क्षेत्र के बाहर से अखिल भारतीय आधार पर लेना होगा । आयोग ने शैक्षिक स्टाफ कालेजों के कार्य की समीक्षा की और आठवीं योजना की समाप्ति तक इनको जारी रखने का निर्णय किया ।

इस योजना के अन्तर्गत अभिविन्यास कार्यक्रमों का आयोजन नवनियुक्त लेक्चररों के लिए किया जाता है तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन उन शिक्षकों के लिए किया जाता है जो कुछ वर्षों तक सेवा में रह चुके होते हैं । वृत्तिक उन्नति योजना के अन्तर्गत पदोन्नति का पात्र होने के लिए प्रत्येक लेक्चरर को एक अभिविन्यास और एक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम अथवा दो पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में भाग लेना आवश्यक है ।

शैक्षिक स्टाफ कालेज, हि० प्र० विश्वविद्यालय शिमला, में निदर्शन व्याख्यान ।

शैक्षिक स्टाफ कालेज, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर में एक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के सहभागियों के लिए एक प्रयोग का प्रदर्शन ।

सामग्री विज्ञान केंद्र, नाभिकीय भौतिकी विभाग, मद्रास विश्वविद्यालय में विकसित किया गया बाइ - 2223 सुपर कंडटिंग टेप (6 सें. मी. लम्बाई और 1.3 सें. मी. चौड़ाई) ।

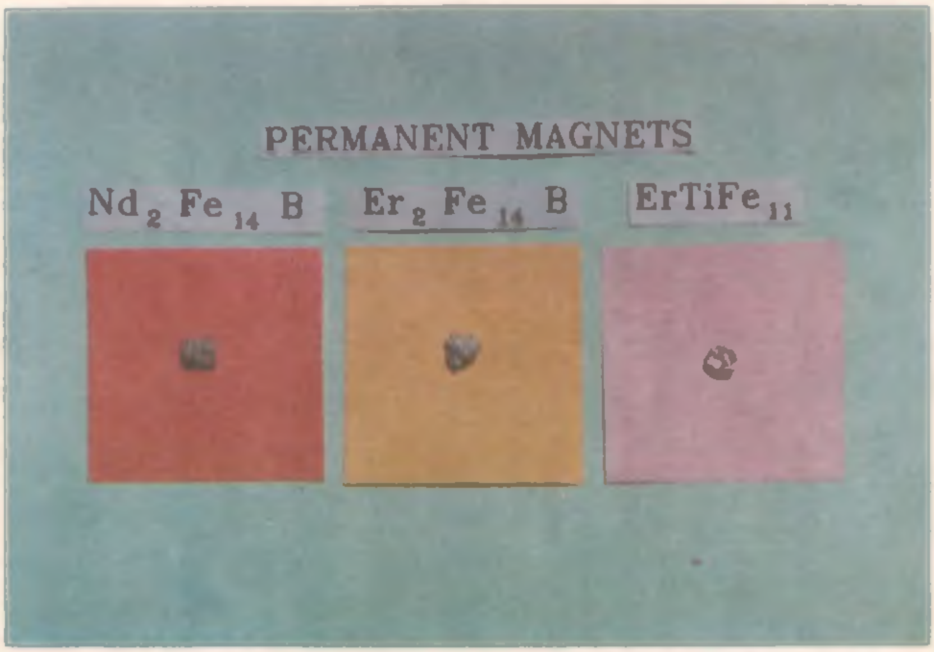

सामग्री विज्ञान केंद्र भौतिकी विभाग, मद्रास विश्वविद्यालय में विकसित की गई स्थायी चुम्बक सामग्री ।

इस योजना के अधीन प्रशिक्षित किए जाने वाले शिक्षकों की बड़ी संख्या को देखते हुए आयोग ने समस्या की जांच करने के लिए वर्ष के दौरान एक स्थायी समिति नियुक्त की है । इस स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुसार आयोग ने उन शिक्षकों के लिए शैक्षिक स्टाफ कालेज पाठ्यक्रम में भाग लेने की आवश्यकता में ढील देने का फैसला किया है जिन्होंने ग्रीष्म संस्थान/स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम अथवा किसी विख्यात शैक्षित संस्था की किसी वर्कशाप में भाग लिया हो ।

आन्ध्रप्रदेश में अप्रशिक्षित कालेज शिक्षकों की एक बड़ी संख्या को प्रशिक्षित करने हेतु आन्ध्रप्रदेश की उच्च शिक्षा राज्य परिषद् से वर्ष के दौरान प्रार्थना किए जाने पर आयोग ने लागत-सहभागिता के आधार पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन करने में परिषद् की सहायता करने का भी फैसला किया है जिसमें वि.अ.आ. का हिस्सा कुल लागत का 60 प्रतिशत होगा ।

3.2 विशेष सहायता कार्यक्रम (सेप)

उच्च शिक्षा के विकास का एक महत्वपूर्ण अंग अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाना है । इसके लिए वि. अ.आ. मुख्यतः तीन कार्यक्रमों का — सेप, कोसिस्ट और कोसिप का सहारा लेता है । ऐसे विभागों को चुनिंदा आधार पर कोहस्सिप सहायता दी जाती है जिन्होंने उच्च कोटि के अनुसंधान कार्य को करने में अभिरुचि दिखाई हो अथवा जो अनुदेश और अधिगम के विख्यात केंद्र हों । आशा की जाती है कि कुछ ही समय में ये विभाग विश्व में अन्यत्र प्रमुख संस्थाओं में विद्यमान स्तरों के अनुरूप स्तर को प्राप्त कर लेंगे ।

विशेष सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत वि.अ.आ. विज्ञान, इंजीनियरी प्रौद्योगिकी, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में विश्वविद्यालय विभागों को अनुसंधान सहायता उपलब्ध करा रहा है । 'सेप' के अन्तर्गत निम्नलिखित तीन स्तरों पर सहायता दी जाती है :

(i) उच्च अध्ययन केंद्र (केस);

(ii) विशेष सहायता विभाग (डी एस ए); और

(iii) विभागीय अनुसंधान सहायता (डी आर एस)

'सेप' विभाग				
	मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग		विज्ञान, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी विभाग	
	1992-93	1993-94	1992-93	1993-94
उच्च अध्ययन केन्द्र	16	16	41	41
विशेष सहायता विभाग	102	110 (क)	111	115
विभागीय अनुसंधान सहायता	20	40 (ख)	44	81

(क) समीक्षा के उपरांत एक विभाग को छोड़ दिया गया/मान्यता रद्द कर दी गई और डी आर एस से डी एस ए में उन्नयन द्वारा दो विभाग जोड़े गए ।

(ख) दो विभागों को डी एस ए के रूप में प्रोन्नत किया गया और दो को संस्वीकृत योजना को कार्यान्वित करने में असफल हो जाने के कारण छोड़ दिया गया ।

सेप के अन्तर्गत आवश्यक जनशक्ति, पुस्तक और पत्रिका, भवन और उपस्कर के नवीकरण/उन्नयन के लिए सहायता प्रदान की जाती है, साथ ही पांच वर्षों के लिए शत-प्रतिशत आधार पर आवर्ती व्यय के लिए भी सहायता दी जाती है ।

वर्ष 1992-93 के दौरान विशेष सहायता योजना की समीक्षा की गई तथा विज्ञान विषयों के लिए (गणित और सांख्यिकी सहित) सहायता की सीमा सीएएस'; डी एस ए और डी आर एस के लिए क्रमशः रु. 60 लाख, रु. 50 लाख और रु. 35 लाख कर दी गई । मानविकी और सामाजिक विज्ञानों के लिए दी जाने वाली सहायता का स्तर उपर्युक्त सीमा का लगभग आधा है । तथापि मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान के ऐसे विभागों के लिए जिन्हें वैज्ञानिक उपस्कर और कम्प्यूटर की आवश्यकता होती है सहायता को विज्ञान और इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी विभागों को दी जाने वाली सहायता सीमा के 75 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है ।

उपर्युक्त किसी भी वर्ग के अन्तर्गत जब किसी विभाग को सहायता के लिए चुना जाता है तो इसकी शैक्षिक उपलब्धियों की जांच सम्बद्ध विषय के विशेषज्ञों द्वारा की जाती है और इनकी सिफारिशों को प्राथमिक अनुमोदन के लिए वि.अ.आ. के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है । इसके पश्चात् या तो विशेषज्ञ समिति उस विभाग का निरीक्षण करती हैं अथवा सम्बद्ध विभागों के प्रतिनिधियों को अपनी आवश्यकताओं विशेषज्ञ समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है । 'सेप' कार्यक्रम में नियमित तथा सतत परिवीक्षण की आन्तरिक व्यवस्था की जाती है । अनुसंधान निष्पादन के आधार पर किसी विभाग को सहायता उसी स्तर पर जारी रखी जाती है, या उसे अगले उच्च स्तर तक बढ़ाया जाता है अथवा किसी विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के आधार पर उसको बंद कर दिया जाता है ।

इन योजनाओं के माध्यम से विभागों ने पर्याप्त आधार संरचनात्मक सुविधाओं को प्राप्त कर लिया है । इसी की वजह से वे डी एस टी, सी एस आई आर, आई सी ए आर, डी ओ ई, एम एच आर डी आदि विभिन्न एजेंसियों से धन प्राप्त करने में तथा विदेशस्थ विख्यात वैज्ञानिकों एवं शिक्षाविदों के साथ वास्तविक सम्पर्क बनाने में समर्थ हो सके हैं । इनमें से कुछ तो इन केंद्रों के साथ सहयोगी अनुसंधान कार्य में भी लग सके हैं ।

3.3 विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में आधार-संरचना को सुदृढ़ बनाना (कोसिस्ट)

वि.अ.आ. चुनिंदा आधार पर विश्वविद्यालयों/संस्थानों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों को अत्याधुनिक और कीमती उपस्कर को प्राप्त करने के लिए सहायता देता है ताकि वे स्नातकोत्तर शिक्षण एवं अनुसंधान

के अग्रणी क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगी बनने में समर्थ हो सकें । इन विभागों को स्थायी समिति द्वारा निर्धारित कड़े मानकों के आधार पर चुना जाता है । अन्तिम चयन के लिए सम्बद्ध क्षेत्रों में विशेषज्ञ दलों से परामर्श लिया जाता है ।

समवर्ती परिवीक्षण और मूल्यांकन इस योजना का अभिन्न अंग है । अनुसंधान की गुणवत्ता और मात्रा, जनशक्ति का वैज्ञानिक प्रशिक्षण, शिक्षणविधि में किए गए नवीन परिवर्तन, छात्रों का मूल्यांकन, पाठ्यचर्या का आधुनिक बनाया जाना तथा कार्यक्रम के सुचारु कार्यान्वयन में किसी गतिरोध को दूर करना मूल्यांकन के विषय हैं ।

कोसिस्ट के अन्तर्गत सहायताप्राप्त विभागों को कार्यमूलक स्वायत्तता प्रदान की गई हैं ।

चूंकि सहायता का अधिकांश भाग अत्याधुनिक उपस्कर को प्राप्त करने के लिए दिया जाता है अतः उपस्कर की लागत का 5 प्रतिशत इन विभागों को इनमें रखरखाव के लिए प्रदान किया जाता है ।

वि.अ.आ. ने इन कार्यक्रमों का मूल्यांकन देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के एक दल द्वारा अखिल भारतीय आधार पर कराया है । सभी की राय थी कि इस कार्यक्रम ने छात्रों तथा शिक्षकों दोनों में ही उत्साह एवं स्पर्धात्मक भावना को जन्म दिया है । इन विभागों द्वारा प्राप्त की गई आधारिक सुविधाओं के कारण न केवल भारत की अपितु विदेशों की निधीयन एजेंसियों से भी इन्हें अतिरिक्त धन प्राप्त हुआ है ।

वर्ष 1993-94 के दौरान कोसिस्ट कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता के लिए 20 नए विभागों को चुना गया है । समीक्षाधीन वर्ष में आयोग ने योजना के अन्तर्गत नवीन तथा चालू गतिविधियों के लिए रु. 935/- लाख का अनुदान दिया है ।

आयोग ने 1992-93 में विशेष सहायता की योजना और कोसिस्ट की समीक्षा करते हुए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्णय लिए :

1. सेप-कोसिस्ट एक समेकित कार्यक्रम होगा ।

2. 'कोसिस्ट' स्तर की सहायता केवल उन्हीं विभागों को प्रदान की जाएगी जिन्होंने सेप का कम से कम एक चरण (पांच वर्ष) पूरा कर लिया हो और उसकी समीक्षा की जा चुकी हो ।

3. सेप/कोसिस्ट योजना के अन्तर्गत गतिविधियों के एक अंग के रूप में राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा ।

4. निम्नलिखित शैक्षिक गतिविधियों के लिए विशेष प्रस्ताव प्राप्त होने पर सेप/कोसिस्ट विभागों को अतिरिक्त सहायता दी जा सकती है :

(i) पड़ौसी विश्वविद्यालयों एवं कालेजों के शिक्षकों के लिए एक मास का ग्रीष्मकालिक संस्थान चलाना । इसके खर्च का स्वरूप वैसा ही होगा जैसाकि वि.अ.आ. के शैक्षिक स्टाफ कालेज कार्यक्रम में पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों पर लागू होता है ।

(ii) उन्हें अनुसंधान का अनुभव प्राप्त कर सकने हेतु पड़ौसी विश्वविद्यालयों/कालेजों से चार योग्य छात्रों को छह सप्ताह का सम्पर्क प्रदान करना ।

(iii) विदेश में किसी अभिज्ञात विश्वविद्यालय विभाग अथवा अनुसंधान संस्थान के साथ सहयोग करने के लिए ।

(iv) यदि विभाग अन्य एजेंसियों से धन जुटा पाने में समर्थ हो जाता है तो इसे उन मदों के लिए रु. 7.00 लाख तक का अनुरूपयोजी अनुदान प्रदान किया जाएगा जिन्हें वि.अ.आ. से भिन्न निधीयन एजेंसियों द्वारा मंजूर नहीं किया गया है किन्तु जो परियोजना की सफलता के लिए आवश्यक हैं ।

वर्ष 1993-94 के दौरान आयोग ने विशेष सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता देने के लिए अनेक प्रस्तावों पर विचार किया गया/त्रिचरणीय प्रक्रिया के द्वारा नीवन विभागों का चयन किया गया । सर्वप्रथम इन प्रस्तावों की जांच विषय विशेषज्ञ दल द्वारा की गई और इसके बाद सेप-कोसिस्ट समेकित कार्यक्रम विषयक संयुक्त स्थायी समिति द्वारा अंतिम चयन के लिए इनकी जांच की गई । संयुक्त स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर चुने गए विभागों से कार्यान्वयन हेतु अपेक्षित वित्तीय निवेशों को अंतिम रूप दिए जाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति के समक्ष अपने प्रस्तावों को पेश करने का अनुरोध किया गया । आयोग ने इन सुझावों को स्वीकार कर लिया तथा सहायता देने को सहमत हो गया ।

विज्ञान, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी, मानविकी और सामाजिक विज्ञान के उन विभागों की संख्या नीचे दी गई है जिन्हें सेप के अधीन सहायता के लिए वर्ष 1993-94 के दौरान चुना गया था और जो 1 अप्रैल, 1994 से काम शुरू करेंगे :-

सहायता का स्तर	विज्ञान, इंजी., प्रौदयो.	मानविकी, सामाजिक विज्ञान
विशेष सहायता विभाग (डी एस ए)	3	7
विभागीय अनुसंधान सहायता (डी आर एस)	37	24
जोड़	**40**	**31**

आलोच्य वर्ष के दौरान विभागों की बड़ी संख्या की समीक्षा की गई है और उनके उनका अन्नयन करने (डी आर एस से डी एस ए) तथा उन्हें जारी रखने अथवा बंद किए जाने की बाबत किए गए फैसले से विश्वविद्यालयों को अवगत करा दिया गया हैं ।

3.4 पाठ्यचर्या विकास

वि.अ.आ. ने 27 पाठ्यचर्या विकास केंद्र (सी डी सी) स्थापित किए हैं । इसमें 10 विज्ञान में हैं और 17 मानविकी और सामाजिक विज्ञान में । इनका उद्देश्य है - विभिन्न स्तरों पर विभिन्न विषयों में वर्तमान पाठ्यविवरण की समीक्षा करना और वर्तमान पाठ्यक्रमों को आधुनिक बनाने के हेतु उपाय सुझाना तथा उनको यूनिट पाठ्यक्रमों में पुनर्गठित करना और साथ ही अधिगम पर जोर देते हुए वैकल्पिक शिक्षाशास्त्रीय मॉडलों का विकास करना । ये केंद्र 1986 से कार्य कर रहे हैं तथा केंद्रों से प्राप्त मॉडल पाठ्यचर्या मुद्रित दस्तावेजों के रूप में संस्थाओं और शिक्षकों के लिए इमदादी दरों पर उपलब्ध हैं । वर्ष 1993-94 के दौरान पाठ्यचर्या विकास केंद्रों की उन सिफारिशों को भी मुद्रित कर दिया गया जो पुस्तकालय और सूचना विज्ञान पाठ्यक्रमों (बी. लिब. और एम. लिब.) के बाबत थीं । इन दस्तावेजों को मुद्रित करने के लिए वि.अ.आ. 50 प्रतिशत सहायिकी प्रदान करता हैं ।

3.5 प्रथम डिग्री स्तर पर पाठ्यक्रमों की पुन:संरचना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पांचवीं योजना के समय से 'प्रथम डिग्री स्तर पर पाठ्यक्रमों की पुनः संरचना' की योजना चला रहा है । इसका उद्देश्य प्रथम डिग्री पाठ्यक्रमों को रोजगारपरक तथा विकासात्मक एवं पर्यावरणात्मक जरूरतों के अनुसार संगत बनाना है । पुनर्गठित पाठ्यक्रमों में आधार-पाठ्यक्रम, मूल पाठ्यक्रम तथा अनुप्रयोगपरक पाठ्यक्रम शामिल हैं । आधार-पाठ्यक्रमों का उद्देश्य छात्रों में भारतीय इतिहास, संस्कृति, स्वतंत्रता आंदोलन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका, एशिया एवं अफ्रीका की संस्कृति, गांधीवादी विचारधारा आदि का बोध पैदा करना है । दूसरी ओर मूल पाठ्यक्रम छात्रों की चुने हुए विषयों को व्यापक जानकारी प्राप्त करने में सहायता करते हैं जिनमें एक अथवा अधिक विषयों का गहन अध्ययन शामिल हैं । अनुप्रयुक्त पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को कार्य जगत का ज्ञान कराना है ।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पाठ्यक्रमों की पुन:संरचना के लिए कालेजों का चयन एक विशेषज्ञ समिति की सहायता से किया जाता है । संशोधित और पुनर्गठित पाठ्यक्रमों को चलाने के वास्ते इन कालेजों को पांच वर्ष की अवधि के लिए रु. 7.5 लाख तक की सहायता दी गई है ।

3.6 कालेज विज्ञान सुधार कार्यक्रम (कोसिप) और कालेज मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान सुधार कार्यक्रम (कोहस्सिप)

'कोसिप' 1971 में शुरू किया गया था । इसका उद्देश्य एक ऐसी बहुमुखी पद्धति के द्वारा सम्बद्ध कालेजों में पूर्वस्नातकीय स्तर पर विज्ञान विषयों के शिक्षण में गुणात्मक सुधार करना है जिसमें विषयवस्तु,

अनुदेश की विधि, पाठ्यविवरण, पाठ्यचर्या, प्रयोगशाला अभ्यास, कार्यशाला, पुस्तकालय एवं शिक्षण सामग्री में सुधार शामिल होता है ।

31 मार्च, 1994 को स्थिति के अनुसार कोसिप का कार्यान्वयन 314 कालेजों में किया जा रहा था ।

कालेज मानविकी और सामाजिक विज्ञान सुधार कार्यक्रम (कोहस्सिप) 1974-75 में लागू किया गया । इस कार्यक्रम के भाग के रूप में नई शिक्षण विधियां, पुस्तकालय सेवा विस्तार, अन्तःविषयक कार्यक्रम, परीक्षा सुधार, उपचारी शिक्षण एवं क्षेत्र/परियोजना कार्य लागू किए गए ।

31.3.1993 तक इस कार्यक्रम के प्रथम चरण में 685 कालेजों (इनमें 50 शिक्षक प्रशिक्षण कालेज शामिल हैं) और द्वितीय चरण में 99 कालेजों को सहायता प्रदान की. गई ।

चूंकि कोसिप/कोहस्सिप के कार्यक्रमों की समीक्षा की जा रही थी अतः कार्यक्रम के अन्तर्गत इस वर्ष किसी नए कालेज को सहायता प्रदान नहीं की गई । 1993-94 के दौरान कार्यक्रम के लिए संशोधित मार्गनिर्देश जारी किए गए ।

3.7 विषय नामिकाएं

वि.अ.आ. के पास विश्वविद्यालयों से लिए गए विशेषज्ञों के पैनल हैं जो उसको विभिन्न विषयों में शिक्षण और अनुसंधान की गुणवत्ता को बढ़ाने, विश्वविद्यालयों में उपलब्ध अनुसंधान और शिक्षण सुविधाओं की बाबत स्थिति रिपोर्ट तैयार करने, महत्वपूर्ण क्षेत्रों को निर्दिष्ट करने के उपायों के बारे में परामर्श देते हैं । इन नामिकाओं की सिफारिशें पाठ्यक्रमों को अद्यतन तथा आधुनिक बनाने तथा शिक्षण एवं अनुसंधान में नवीन आयामों को लागू करने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती हैं । प्रति दो वर्ष के बाद इन नामिकाओं का पुनर्गठन किया जाता है ।

इस समय ऐसे 27 विषय हैं जिनके लिए वि.अ.आ. को परामर्श देने के वास्ते नामिकाओं का गठन किया गया है । 1992-93 के दौरान इन नामिकाओं की बैठकें आयोजित की गईं और इनकी सिफारिशों को 1993-94 के दौरान कार्यान्वित किया गया ।

3.8 देशव्यापी कक्षा कार्यक्रम

दूरदर्शन ने वि.अ.आ. को सप्ताह में छह दिन दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक तथा सप्ताह में चार दिन प्रातः छह बजे से 7 बजे तक का समय उच्च शिक्षा से संबंधित अंग्रेजी में तैयार किए गये देशव्यापी कक्षा कार्यक्रमों को प्रसारित करने के लिए प्रदान किया है । इस प्रकार वि.अ.आ. देश के दूरवर्ती क्षेत्रों में उच्च शिक्षा को पहुंचाने में समर्थ हो सका है । हिंदी में तैयार किए गए इसी प्रकार के कार्यक्रम जिन्हें 'देशव्यापी कक्षा' कहा जाता है सप्ताह में तीन दिन आधे घंटे के लिए प्रातः 6 बजे से 6.30 तक प्रसारित किया जाता है । हिंदी प्रसारण 2 फरवरी, 1994 से शुरू किया गया था । दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारित

किए जाने वाले शैक्षिक कार्यक्रम मुख्यतः उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले कुछ चुने हुए विश्वविद्यालयों, संस्थाओं में स्थापित मीडिया केंद्रों में तैयार किए जाते हैं । ये दो प्रकार के होते हैं—शैक्षिक मीडिया अनुसंधान केंद्र (ई एम आर सी) तथा दृश्य-श्रव्य अनुसंधान केंद्र (ए वी आर सी) । यद्यपि इन दोनों प्रकार की संस्थाओं की भूमिका एक समान ही है तथापि आधार—संरचनात्मक सुविधाओं की दृष्टि से ई एम आर सी अधिक सुसज्जित हैं और ए वी आर सी अभी विकासशील स्थिति में हैं ।

शैक्षिक मीडिया अनुसंधान केंद्रों (ई एम आर सी) तथा दृश्य-श्रव्य अनुसंधान केंद्रों (ए वी आर सी) वाली संस्थाओं की सूचना नीचे दी गई है :-

शैक्षिक मीडिया अनुसंधान केंद्र (ई एम आर सी)

1. जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली
2. पूना विश्वविद्यालय, पुणे
3. केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद
4. गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद
5. सेंट ज़ेवियर कालेज, कलकत्ता
6. जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर
7. मदुरै कामराज विश्वविद्यालय, मदुरै

दृश्य-श्रव्य अनुसंधान केंद्र (ए वी आर सी)

1. उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद
2. रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की
3. अन्ना विश्वविद्यालय, मद्रास
4. मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल
5. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर
6. पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला
7. कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर
8. डा. हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर

मार्च 1994 के अंत तक इन मीडिया केंद्रों ने विभिन्न विषयों में लगभग 4300 कार्यक्रम तैयार किए हैं । 1.4.93 से 31.3.94 की अवधि के दौरान विभिन्न मीडिया केंद्रों ने 11,541 मिनट की अवधि के कुल 698 कार्यक्रम तैयार किए । इनमें हिंदी में तैयार किए गए 1357 मिनट की अवधि के 66 कार्यक्रम शामिल हैं । इस समय दूरदर्शन पर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का लगभग 85 प्रतिशत भाग देश में ही तैयार किया जाता है । आलोच्य वर्ष के दौरान (पटियाला को छोड़कर) समस्त केंद्रों को उच्च गुणवत्ता वाले कार्यक्रमों की प्रस्तुति सुनिश्चित करने के लिए बीटाकम रिकार्डिंग उपस्कर की मंजूरी प्रदान की गई है ।

3.9 गैर-प्रसारणीय वीडियो व्याख्यान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पूर्वस्नातक छात्रों के लिए 15 विषयों में गैर-प्रसारणीय वीडियो व्याख्यान टेप तैयार करने की एक योजना शुरू की है । 31.3.94 को विद्यमान स्थिति के अनुसार 7 विषयों में वीडियों व्याख्यान पूरे किए जा चुके हैं । आशा है अगस्त 1994 तक कुछ अधिक विषयों में भी टेप जारी किए जा सकेंगे ।

3.10 विश्वविद्यालय विज्ञान यंत्रीकरण केंद्र (यूसिक)

शिक्षण एवं अनुसंधान में अत्याधुनिक यंत्रों के अधिकतम प्रयोग के लिए वि.अ.आ. ने यूसिकों की स्थापना द्वारा 'सर्वसामान्य पूल' की संकल्पना का सूत्रपात किया है । इन केंद्रों का उद्देश्य विश्वविद्यालय के लिए यंत्रीकरण के सभी पहलुओं का ध्यान रखना है जिसमें यंत्रों का रख-रखाव और मरम्मत तथा विभिन्न स्तरों पर जनशक्ति का प्रशिक्षण शामिल है ।

यूसिकों की सहायता के लिए बंगलौर और बम्बई में प्रादेशिक यंत्रीकरण केंद्रों की स्थापना भी की गई हैं । वि.अ.आ. स्टाफ के वेतन, उपस्कर, कार्यशाला, आकस्मिकता एवं भवन के लिए शत-प्रतिशत आधार पर वित्तीय, सहायता देता हैं । इस योजना के परिणामस्वरूप विश्वविद्यालयों में वैज्ञानिक उपस्कर का अधिकतम उपयोग हुआ है ।

31.3.1994 को विद्यमान स्थिति के अनुसार 'यूसिकों' की स्थापना के लिए 72 विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान की गई थी । इस संख्या में दो प्रादेशिक केंद्र भी शामिल हैं जिनमें से एक भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर है तथा दूसरा पश्चिमी प्रादेशिक यंत्रीकरण केंद्र, बम्बई है ।

3.11 प्रथम डिग्री स्तर पर शिक्षा का व्यावसायीकरण

शिक्षा को रोजगारपरक बनाए जाने से संबंधित योजना की सिफारिश काफी समय पहले की गई थी । किन्तु यह कोठारी आयोग (1964-66) ही था जिसने खास तौर पर यह सिफारिश की थी कि +२ स्तर पर समस्त छात्र संख्या के लगभग आधे भाग को व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए । इसका उल्लेख

शिक्षा नीति में किया गया था तथा अधिक जोर देते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इसे दोहराया गया हैं । 1987 से +2 स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने केंद्र द्वारा प्रायोजित एक बृहत् योजना शुरू की है ।

+2 स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा का प्रथम डिग्री के साथ सार्थक संबंध का पता लगाने के लिए वि.अ.आ. ने एक मूल समिति की स्थापना की जिसका विचारार्थ विषय इस प्रकार है :-

(i) +2 स्तर पर (उच्चतर माध्यमिक स्तर) गृहविज्ञान, सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, पराचिकित्सा क्षेत्र तथा उद्योग एवं व्यवसाय, इलेक्ट्रानिक्स एवं अन्य क्षेत्रों में पाठ्यक्रमों की जांच करना;

(ii) उन क्षेत्रों का पता लगाना जिनके लिए विश्वविद्यालयों एवं कालेजों में ऐसे डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को विकसित किया जा सके जो छात्रों को +2 स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की अपेक्षा अधिक कौशल प्रदान करे सकें;

(iii) पाठ्यक्रमों का डिज़ाइन तथा शिक्षकों की आवश्यकताओं एवं कार्यशालाओं में उपस्कर को विकसित करना;

(iv) विभिन्न वर्गों के नियोक्ताओं के साथ मिलजुल कर काम करना तथा अन्ततः पाठ्यक्रमों की विषयवस्तु को इस प्रकार संशोधित करना ताकि प्रदान किए जाने वाले कौशल नियोक्ताओं के लिए उपयोगी हो सकें ।

समिति ने पाठ्यक्रमों की विषयवस्तु को कालेजों के लिए इस तरह विकसित किया जिससे इनको प्रारंभिक वर्षों में विद्यमान प्रणाली को बाधा पहुँचाए बिना लागू किया जा सके । समिति ने निम्नलिखित संकायों के लिए कालेज स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को विकसित किया :

1. कला, मानविकी और सामाजिक विज्ञान
2. वाणिज्य, अर्थशास्त्र और प्रबंध
3. भौतिक, रासायनिक एवं जीव-विज्ञान
4. इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी

कृषि तथा पराचिकित्सा क्षेत्र में ऐसे अनेक विषय हैं जिनमें रोजगार की बड़ी गुंजाइश है किन्तु फिलहाल इन्हें शामिल नहीं किया गया है क्योंकि ये पाठ्यक्रम वि.अ.आ. के क्षेत्र में नहीं आते हैं ।

मूल समिति के सदस्यों को विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट पाठ्यक्रमों के विकास का समन्वय करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई । देश में विभिन्न स्थानों पर नियोक्ताओं के दल ने 35 व्यावसायिक विषयों के पाठ्यक्रमों और अपेक्षित आधार-संरचना की पहचान की तथा विशेषज्ञ दलों द्वारा तैयार की गई कार्यान्वयन नीति की चर्चा की ।

मूल दल द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर आयोग ने 18 अक्तूबर 1993 को हुई अपनी बैठक में विचार किया । आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा विषयक इस रिपोर्ट का अनुमोदन कर दिया । तथापि यह उल्लेख भी किया कि इन सिफारिशों का कार्यान्वयन भारत सरकार से वि.अ.आ. की वार्षिक योजना 1994-95 के लिए अतिरिक्त राशि मिलने पर ही किया जाएगा ।

फरवरी 1994 में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सूचित किया कि योजना आयोग ने प्रथम डिग्री शिक्षा को व्यवसायपरक बनाने के लिए रु. 26 करोड़ की अतिरिक्त राशि देना मंजूर कर लिया है ।

इस पर आयोग ने कुलपतियों, शिक्षा सचिवों एवं उच्च शिक्षा के निदेशकों को आयोग के विचारार्थ विश्वविद्यालयों/कालेजों से उपयुक्त प्रस्ताव भेजने का अनुरोध करते हुए लिखा । प्रथम डिग्री व्यावसायिक शिक्षा पर रिपोर्ट के साथ अनुमोदित 35 पाठ्यक्रमों के विस्तृत पाठ्यविवरण की दो फ्लोपियों को विश्वविद्यालयों के पास भेजा गया ।

3.12 परीक्षा सुधार

वि.अ.आ. परीक्षा में सुधार करने के लिए विभिन्न उपायों के कार्यान्वयन पर जोर देता रहा है जिसमें कि सतत आन्तरिक मूल्यांकन, प्रश्न बैंकों का विकास, ग्रेडिंग पद्धति, सेमेस्टर पद्धति तथा पाठ्यविवरण, प्रश्नपत्र, एवं परीक्षा लेने से संबंधित न्यूनतम सुधार जैसी बातें शामिल हैं । इस योजना की समीक्षा की गई तथा संशोधित मार्ग-निर्देशों को आलोच्य वर्ष के दौरान विश्वविद्यालयों के पास भेजा गया ।

3.13 पर्यावरण शिक्षा

उच्चतम न्यायालय ने एक याचिका के विषय में अन्य बातों के साथ-साथ वि.अ.आ. को निदेश दिया कि वह विश्वविद्यालयों को पर्यावरण विषयक पाठ्यक्रम चालू करने का तथा कालेज शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर पर्यावरण को एक अनिवार्य विषय बनाने की संभावना पर विचार करने का आदेश दे । इसका पालन करते हुए वि.अ.आ. ने रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान एक परिपत्र सभी विश्वविद्यालयों के पास भेजा जिसमें पर्यावरण शिक्षा के पाठ्यक्रमों को लागू करते के वास्ते प्रस्तावों को आमंत्रित किया गया था । विश्वविद्यालयों से प्राप्त हुए इन प्रस्तावों पर आयोग द्वारा गठित पर्यावरण शिक्षा विषयक एक विशेषज्ञ दल ने विचार किया । परिणामस्वरूप आयोग ने 1993-94 के दौरान पर्यावरण शिक्षा के विषय में निम्नलिखित कार्यक्रमों का अनुमोदन किया :

पर्यावरण के बारे में जागरूकता के संबंध में 9 विश्वविद्यालयों, यथा—गुवाहाटी विश्वविद्यालय, उत्कल विश्वविद्यालय, बरतुल्लाह विश्वविद्यालय, केरल विश्वविद्यालय, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर, उस्मानिया विश्वविद्यालय, पूना विश्वविद्यालय, कुमाऊं विश्वविद्यालय, आंध्र विश्वविद्यालय — में

कार्यशालाओं/संगोष्ठियों का आयोजन करना । इनमें ए. पी. उच्च शिक्षा परिषद्, हैदराबाद नौ में से एक का आयोजन अपने तत्त्वावधान में करेगी ।

सी ई सी, नई दिल्ली के सहयोग से प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण विधिक कार्रवाई की भारतीय परिषद्, नई दिल्ली की पर्यावरण विधिक सोसायटी द्वारा आयोजित किए जाने वाले 10-15 कार्यशालाओं/संगोष्ठियों/पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के बारे में एक प्रस्ताव भी पास किया गया ।

'फ्लाईऐश' के जमाव तथा इसके बड़े पैमाने पर उपयोग क्षेत्रों का पता लगाने हेतु निम्नलिखित विश्वविद्यालयों द्वारा शुरू किए जाने वाली छह अनुसंधान परियोजनाओं का अनुमोदन -

1. पंजाब विश्वविद्यालय
2. अन्ना विश्वविद्यालय
3. जामिया मिलिया इस्लामिया
4. नागपुर विश्वविद्यालय
5. आंध्र विश्वविद्यालय
6. उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय

विभिन्न विभागों में स्नातकोत्तर स्तर पर पर्यावरण शिक्षा पर विशेष पेपर प्रारंभ करने के लिए निम्नलिखित विश्वविद्यालयों को सहायता :

1.	अवध विश्वविद्यालय	इतिहास
2.	कलकत्ता विश्वविद्यालय	शरीरक्रिया-विज्ञान
3.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय	रसायन
4.	गुजरात विद्यापीठ	ग्रामीण अर्थशास्त्र
5.	एच एन बी गढ़वाल विश्वविद्यालय	इतिहास
6.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	आर्थिक अध्ययन एवं योजना
7.	जादवपुर विश्वविद्यालय	गणित
8.	मंगलौर विश्वविद्यालय	वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान
9.	शिवाजी विश्वविद्यालय	अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल
10.	श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय	भूगोल

पर्यावरण शिक्षा में एम.एससी. पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए निम्नलिखित विश्वविद्यालयों को सहायता :

1. जम्मू विश्वविद्यालय
2. पांडिचेरी विश्वविद्यालय
3. अवध विश्वविद्यालय
4. जादवपुर विश्वविद्यालय
5. मंगलौर विश्वविद्यालय
6. एच एन बी गढ़वाल विश्वविद्यालय
7. मैसूर विश्वविद्यालय
8. बंगलौर विश्वविद्यालय
9. नागार्जुन विश्वविद्यालय
10. जामिया मिलिया इस्लामिया

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने देशव्यापी कक्षा कार्यक्रम के माध्यम से पर्यावरण संबंधी जानकारी को बढ़ावा देने के लिए लगभग 100 उपाख्यान प्रसारित किये । आयोग विश्वविद्यालयों/कालेजों द्वारा पूर्व-स्नातक स्तर पर आधारी पाठ्यक्रम के रूप में अपनाई जाने वाली पाठ्यक्रम-सामग्री पर एक पुस्तिका और साथ ही पर्यावरण संबंधी जागरूकता पर विज्ञप्ति पत्रक/पत्रिकाएं जैसा लोकप्रिय साहित्य भी तैयार कर रहा है ।

4
विश्वविद्‌यालयों को योजनागत एवं योजनेतर वित्तीय सहायता

4.1 विश्वविद्‌यालय अनुदान आयोग द्‌वारा सहायता-प्रदत्त विश्वविद्‌यालय

विश्वविद्‌यालयों और विश्वविद्‌यालय अनुदान आयोग द्‌वारा उनको प्रदत्त वित्तीय सहायता का प्रकार यह है :-

(i) केंद्रीय विश्वविद्‌यालय : इस वर्ग में 9 विश्वविद्‌यालयों को अनुरक्षण अनुदान और 11 विश्वविद्‌यालयों को विकास अनुदान प्रदान किया जाता है ।

(ii) राज्य विश्वविद्‌यालय : 100 से अधिक राज्य विश्वविद्‌यालयों को विकास अनुदान दिया जाता है ।

(iii) समविश्वविद्‌यालय : इस वर्ग में 8 संस्थाओं को पूर्ण अनुरक्षण अनुदान तथा 2 संस्थाओं को आंशिक अनुरक्षण अनुदान और 18 संस्थाओं को विकास अनुदान प्रदान किया जाता है ।

4.2 राज्य विश्वविद्‌यालयों को विकास अनुदान

आयोग ने वर्ष 1991 के दौरान विशेषज्ञ समितियों की सलाह पर राज्य विश्वविद्‌यालयों के 8वीं योजना के विकास कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया । आयोग ने वर्ष 1993-94 के दौरान कृषि विश्वविद्‌यालय को छोड़कर राज्य विश्वविद्‌यालयों की 8वीं योजना अवधि के लिए अपनी समस्त वचनबद्धता के भाग के रूप में कुल रु० 66.84 करोड़ का विकास अनुदान प्रदान किया ।

4.3 केंद्रीय विश्वविद्‌यालय

योजनेतर अनुदान शिक्षणेतर एवं शिक्षण स्टाफ के वेतन, प्रयोगशालायों, पुस्तकालयों, भवनों आदि के अनुरक्षण संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए दिया जाता है । इसके अतिरिकत, विशिष्ट प्रयोजनों के लिए भी योजनेतर सहायता प्रदान की जाती है और इनमें मीडिया केंद्रों/इंजीनियरी और प्रौद्‌योगिकी कालेजों / संकायों तथा छात्रवृत्तियों और अध्येतावृत्तियों के लिए दिए जाने वाले अनुदान शामिल है ।

वर्ष 1993-94 के दौरान 9 केंद्रीय विश्वविद्‌यालयों का अनुरक्षण व्यय पूरा करने के लिए रु० 222.50 करोड़ की राशि जारी की गई । इस राशि में प्रत्येक केंद्रीय विश्वविद्‌यालय को पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा प्रयोगशाला की उपभोज्य वस्तुओं के लिए दी जाने वाली एक-एक करोड़ रुपये की राशि शामिल है ।

गत पांच वर्षो के दौरान केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अनुरक्षण व्यय में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही है ।

योजनागत अनुदान : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केंद्रीय विश्वविद्यालयों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के मेडीकल कालेजों और उनसे संलग्न अस्पतालों तथा दिल्ली कालेजों के भवनों के विकासार्थ उपयोजना के अंतर्गत अलग से निधियां आबंटित करता है ।

वर्ष 1993-94 के दौरान योजनागत अनुदान के अंतर्गत केंद्रीय विश्वविद्यालयों को रु० 3006.31 लाख की राशि जारी की गई । इसमें दो नये स्थापित किए गए केंद्रीय विश्वविद्यालय - असम और तेजपुर के लिए जारी की गई रु० 60 लाख की राशि भी शामिल है ।

वर्ष 1993-94 के दौरान केंद्रीय विश्वविद्यालयों को दी गई योजनागत एवं योजनेतर सहायता (रु० लाख में)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	योजनेतर	योजनागत (विकास)
1.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	5742.17	369.99
2.	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	6042.85	629,78
3.	दिल्ली विश्वविद्यालय	3290.99	197.78
4.	हैदराबाद विश्वविद्यालय	1049.95	383.54
5.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	1909.59	222.21
6.	जामिया मिलिया इस्लामिया	1146.24	504.82
7.	उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय	1427.86	259.76
8.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय	448.79	212.97
9.	विश्वभारती	1490.33	165.46
10.	असम विश्वविद्यालय	-	30.00
11.	तेजपुर विश्वविद्यालय	-	30.00

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों तथा समविश्वविद्यालयों के लिए परिक्रामी निधि की एक योजना शुरू की है । वि.अ.आ. इस निधि का उपयोग इन संस्थाओं के कर्मचारियों को गृह-निर्माण पेशगी देने में करता है । निधियां कर्मचारियों की संख्या, प्राप्त आवेदनों की संख्या तथा निधियों की उपलब्धता के आधार पर प्रतिवर्ष वितरित की जाती हैं ।

4.4 समविश्वविद्यालय संस्थाएं

वि.अ.आ. अधिनियम की धारा 3 में यह व्यवस्था की गई है कि विश्वविद्यालय को छोड़कर किसी अन्य उच्च शिक्षा संस्था को जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में अति उच्च स्तरीय कार्य कर रही है, समविश्वविद्यालय संस्था घोषित किया जा सकता है । ऐसी संस्था को एक विश्वविद्यालय का शैक्षिक दर्जा एवं विशेषाधिकार प्राप्त होंगे और वह एक सामान्य प्रकार का बहुसंकाय वाला विश्वविद्यालय न होकर विशेषज्ञता के क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को सुदृढ़ करेगा ।

वर्ष 1993-94 के दौरान निम्नलिखित तीन विश्वविद्यालयों को समविश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया :

1. गोखले राजनीति तथा अर्थशास्त्र संस्थान, पुणे, महाराष्ट्र ।
2. मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी, मणिपाल, कर्नाटक ।
3. श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती न्यायशास्त्र महाविद्यालय, कांचीपुरम, तमिलनाडु ।

31 मार्च, 1994 को ऐसी संस्थाओं की संख्या 34 थी ।

4.5 वर्ष के दौरान समविश्वविद्यालय संस्थाओं की मुख्य उपलब्धियां

(i) अविनाशीलिंगम् संस्थान

वर्ष 1993-94 के दौरान संस्थान ने शारीरिक शिक्षा में एक तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम प्रारंभ किया । संस्थान ने वर्ष के दौरान शिक्षण तथा अनुसंधान के लिए अंतर्विद्यशाखा कार्यक्रम भी शुरू किया । संस्थान ने तमिलनाडु सरकार के समुदाय पोषण परियोजना के पर्यवेक्षकों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया । संस्थान ने विदेश के विश्वविद्यालयों के साथ संपर्क कार्यक्रम भी चला रखे हैं । संस्थान के अनेक संकाय सदस्यों ने विदेश तथा देश में अकादमिक सम्मेलनों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं में भाग लिया । संकाय के सदस्यों ने अनेक लेख और 7 मोनोग्राफ प्रकाशित किए । संस्थान के गृह-विज्ञान संकाय के अनेक सदस्यों ने सामुदायिक सेवाओं तथा विस्तार कार्यक्रमों में भाग लिया ।

(ii) श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती न्यासशास्त्र महाविद्यालय

इस महाविद्यालय को वर्ष 1993-94 के दौरान समविश्वविद्यालय संस्था का दर्जा प्रदान किया गया । इस महाविद्यालय में विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञानों की अनुप्रयुक्त शाखाओं में वैदिक शिक्षा तथा समकालीन शैक्षिक कार्यक्रमों से संबंधित पाठ्यक्रमों पर जोर दिया जाता है ।

(iii) जैन विश्वभारती संस्थान

इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य ऐसे माडल का विकास करना है जिसमें शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री

17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No. D-9605
Date 05-09-97

प्राप्त करना ही नहीं है बल्कि मानव जीवन की गुणवत्ता मे सुधार लाना और अहिंसक सामाजिक व्यवस्था तथा विश्वशांति के युग में प्रवेश कराना भी है । आलोच्य अवधि के दौरान, संस्थान ने पूर्वस्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तरों पर निम्नलिखित पाठ्यक्रम प्रारंभ किए :

1. अहिंसा और शांति के लिए अनुसंधान
2. जीवन निर्वाह विज्ञान तथा प्रेक्षा ध्यान में एम.एससी.
3. जैन विज्ञान में एम.ए.
4. प्राकृत भाषा एवं साहित्य में एम.ए.
5. पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विज्ञान का स्नातक
6. कम्प्यूटर विज्ञान तथा व्यवसाय प्रबंध में पाठ्यक्रम

(iv) टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान

आलोच्य वर्ष के दौरान संस्थान ने स्वास्थ्य प्रशासन और अस्पताल प्रशासन में कार्यक्रम तथा सामाजिक कार्य में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम शुरू किया । संस्थान ने कम्प्यूटर अनुप्रयोग, सामाजिक कार्य कल्याण संगठन में वित्तीय प्रबंध तथा सामाजिक कार्य में स्वास्थ्य-प्रबंध का बुनियादी पाठ्यक्रम भी शुरू किया । यह संस्थान सामाजिक कार्य में शिक्षण और अनुसंधान के अंतरविद्यशाखा कार्यक्रम प्रदान करता है । आलोच्य वर्ष के दौरान सोलह अंतरविद्यशाखा अनुसंधान परियोजनाएं प्रारंभ की गई । अनेक संकाय सदस्यों ने भारत और विदेश में आयोजित संगोष्ठियों, सम्मेलनों, आदि में भाग लिया । वर्ष की दौरान शिक्षकों ने विख्यात पत्रिकाओं में अनेक निबंध प्रकाशित किए । संस्थान ने शिक्षण स्तरों में सुधार करने के लिए अनेक उपाय किए और महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष सेल, समन्वित ग्रामीण स्वास्थ्य एव विकास परियोजना तथा पर्यावरण प्रौद्योगिकी और संसाधन विकास केंद्र जैसे अनेक अंतरविद्यशाखा कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं । संस्थान ने वर्ष के दौरान 100 से भी अधिक संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया ।

(v) भारतीय खान स्कूल

आलोच्य वर्ष के दौरान संस्थान ने शैल उत्खनन इंजीनियरी में एम.टेक. पाठ्यक्रम शुरू किए तथा एम. टेक ईंधन इंजीनियरी तथा एम.टेक (आई ई एम) पाठ्यक्रमों की पुनः संरचना की । अंतः विद्याशाखा कार्यक्रम के अधीन संस्थान ने एम.टेक. पेट्रोलियम खोज पाठ्यक्रम आरंभ किया । उनके संकाय सदस्यों ने शैक्षिक सम्मेलनों, संगोष्ठियों कार्यशालाओं में भाग लिया । संस्थान ने अपने संकाय सदस्यों के अनेक शोधलेख तथा मोनोग्राफ प्रकाशित किए । संस्थान ने शिक्षण तथा अनुसंधान में सुधार करने के उपाय किए हैं । यह संस्थान समाज एवं पड़ोसियों से संपर्क स्थापित करता रहा है । शिक्षण-अधिगम में सुधार करने

के उद्देश्य से सभी पाठ्यक्रमों के लिए प्रश्न-पत्र तैयार करने के वास्ते बाहर के व्यक्तियों को नियुक्त करने की पद्धति शुरू की गई है । आलोच्य वर्ष के दौरान खनन एवं खनिज उद्योगों के प्रबंधाधिकारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम भी शुरू किया गया ।

(vi) केंद्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान

आलोच्य वर्ष के दौरान इस संस्थान ने मानव संसाधन विकास पर विशेष जोर दिया ताकि अंग्रेजी और विदेशी भाषा के शिक्षकों को अपने नियमित पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त शिक्षण एवं अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों में सक्रिय और रचनात्मक भूमिका निभाने में मदद मिल सके । संस्थान ने वर्ष के दौरान 5 पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों और 13 संगोष्ठियों का आयोजन किया ।

भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सहायता से संस्थान ने देश में अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थान/क्षेत्रीय अंग्रेजी शिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षकों को शिक्षा प्रदान की । यह संस्थान शैक्षिक मीडिया अनुसंधान केंद्र का संचालन भी कर रहा है । संस्थान ने यू.जी.सी. कार्यक्रम में दूरदर्शन पर प्रसारित किए जाने के लिए 79 शैक्षिक टीवी कार्यक्रम तैयार किए । आलोच्य वर्ष के दौरान शैक्षिक मीडिया अनुसंधान केंद्र द्वारा तैयार किए गए कुल 178 टीवी कार्यक्रम प्रसारित किए गए । यह संस्थान निम्नलिखित जैसे, शिक्षक विकास कार्यक्रम तथा विशिष्ट उद्देशीय पाठ्यक्रम आयोजित करने में विश्वविद्यालयों कालेजों, स्कूलों तथा केंद्रीय संगठनों की सहायता करता रहा । संस्थान अदन विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग को भी शैक्षिक सहायता प्रदान कर रहा है ।

पूर्व मध्यमा	दो वर्ष	माध्यमिक विद्यालय के समकक्ष
उत्तर मध्यमा	दो वर्ष	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के समकक्ष
शास्त्री	तीन वर्ष	बी.ए. के समकक्ष
आचार्य	दो वर्ष	एम.ए. के समकक्ष

अध्ययन के दौरान छात्रों के तीन भाषाएं पढ़नी होंगी, यथा

1. तिब्बती (अनिवार्य)
2. संस्कृत(अनिवार्य)
3. हिंदी या अंग्रेजी (ऐच्छिक)

इनके अतिरिक्त, छात्र अपनी पसंद से निम्नलिखित विषयों में से किसी एक के लिए तीन भाषाओं का चयन कर सकते हैं:

1. एशिया का इतिहास, पुरातत्व विज्ञान तथा संस्कृति
2. तिब्बत का इतिहास
3. राजनीति विज्ञान
4. अर्थशास्त्र
5. पाली
6. ऐच्छिक संस्कृत

शिक्षा की परम्परागत विधि को ध्यान में रखते हुए छात्रों को प्रत्येक वर्ष कुछ मूलपाठ कंठस्थ करने पड़ते हैं । आचार्य स्तर पर मौखिक परीक्षा वाद-विवाद भी परीक्षा प्रणाली के अंग माने जाते हैं । शास्त्रार्थ या वादविवाद को शिक्षार्जन का अभिन्न तथा वैकल्पिक अंग माना जाता है ।

संस्थान संगोष्ठियों, परिचर्चाओं और कार्यशालाओं का आयोजन करता रहा हैं । इसका उद्देश्य अनेक विद्याशाखाओं में संवाद आयोजित करना तथा अनेक विषय में अनेक पुरातन संकल्पनाओं का पुन:स्थापन करने के लिए नए आयाम खोलना है । आलोच्य वर्ष के दौरान एक चिकित्साविद्या संकाय खोला गया जिसमें दो विभाग थे यथा, तिब्बती आयुर्विज्ञान विभाग तथा तिब्बती ज्योतिष विभाग ।

राजभाषा संसदीय समिति ने जनवरी में संस्थान का दौरा किया और केंद्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान में राजभाषा के कार्यान्वयन में की गई प्रगति की समीक्षा की ।

संस्थान ने छात्रों और शिक्षकों के लिए अनेक पुस्तकें एव पत्रिकाएं प्रकाशित कीं । संस्थान द्वारा अंग्रेजी शिक्षण और अधिनियम के सुधारार्थ तैयार एवं प्रस्तुत किए गए । 117 रेडियो कार्यक्रमों को आलोच्य वर्ष के दौरान आकाशवाणी से प्रसारित किया गया ।

(vii) केंद्रीय तिब्बती अध्ययन संस्थान

इस संस्थान की स्थापना तिब्बती अध्ययनों में शिक्षा प्रदान करने के लिए कीं गई है । इसका उद्देश्य, आधुनिक विश्वविद्यालयों के नवीन ढांचे के अंतर्गत शिक्षण की पारम्परिक तिब्बती विधि, जिसमें अध्ययन के समयबद्ध पाठ्यक्रम, लिखित परीक्षाएं और डिग्रियों का प्रदान किया जाना शामिल है, अभिरुचि प्रदर्शित करना है ।

यह संस्थान मुख्यत: अनुसंधानपरक है और अपने शिक्षण विभागों के माध्यम से छात्रों को संगठन के मूलभूत उद्देश्यों के अनुसार अनुसंधान एवं पुन:प्रतिष्ठापन कार्य करने के लिए उपयुक्त रूप से योग्य व्यक्ति बनाने का प्रयत्न करता है । इस उद्देश्य के साथ, पाठ्यक्रमों के पाठ्यविवरण इस ढंग से तैयार किए गए हैं ताकि छात्रों को तिब्बतशास्त्र के पारंपरिक विषयों में ठोस बुनियादी ज्ञान प्रदान किया जा सके और साथ ही वे आधुनिक विषयों तथा अनुसंधान कार्यविधि से पूर्णत: अवगत हो सकें ।

संस्थान ने कक्षा IX से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक के लिए 9 वर्ष का एक एकीकृत पाठ्यक्रम तैयार किया है जो इस प्रकार है :

7वीं शताब्दी में विकसित हुई तिब्बती चिकित्सा-शास्त्र प्रणाली का मूल आधार आयुर्वेद है जो भारतीय चिकित्सा शास्त्र की क्लासीकल पद्धति है । इसमें तिब्बत का स्वदेशी एवं चीन तथा अन्य मध्य एशियाई देशों का चिकित्साशास्त्र शामिल है । उसी प्रकार, ज्योतिष तिब्बती पद्धति भी शिक्षार्जन की एक महत्वपूर्ण शाखा है ।

वर्ष 1993-94 के दौरान वि.अ.आ. द्वारा समविश्वविद्यालय संस्थाओं को निम्नलिखित अनुदान दिए गए :

समविश्वविद्यालयों को प्रदत्त अनुदान - 1993-94
(रु० लाख में)

क्र.सं.	संस्थान का नाम	योजनेतर	योजनागत (विकास)
1.	अविनाशीलिंगम् गृह–विज्ञान संस्थान	84.27	19.34
2.	वनस्थली विद्यापीठ	20.00	20.54
3.	सी.आई.ई.एफ.एल., हैदराबाद	283.67	42.60
4.	सी.आई.एच.टी. अध्ययन	-	-
5.	दयालबाग शिक्षा संस्थान	105.34	31.08
6.	बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान	3.28	13.98
7.	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान	222.28	21.38

8.	गुजरात विद्यापीठ	195.42	67.13
9.	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय	138.50	28.72
10.	भारतीय खान स्कूल, धनबाद	555.14	13.73
11.	आई.आई.एस., बंगलौर	1.64	369.97
12.	जामिया हमदर्द	57.63	123.41
13.	राजस्थान विद्यापीठ	-	17.10
14.	श्री सत्य साई उच्च शिक्षा संस्थान	-	7.12
15.	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ	-	1.81
16.	टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, बम्बई	211.81	24.63
17.	जैन विश्वभारती	-	-
18.	लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ	0.62	4.83
19.	डकन कालेज स्नातकोत्तर अनुसंधान संस्थान, पूना	0.56	3.13
20.	श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती न्यायशास्त्र महाविद्यालय, कांचीपुरम	7.00	52.00
21.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति	-	16.50
22.	योजना तथा वास्तुकला विद्यालय	-	1.44
23.	बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा	135.26	9.38
24.	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, दिल्ली	0.65	0.96
25.	भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज़्ज़तनगर	-	0.84
26.	राष्ट्रीय कला संरक्षण तथा संग्रहालय विज्ञान इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय	1.21	2.17
27.	थापर इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, पटियाला	81.89	1.84
28.	गोखले राजनीति तथा अर्थशास्त्र संस्थान, पुणे	-	6.54
	जोड़	**2077.17**	**901.37**

4.6 राज्य विश्वविद्यालय

विभिन्न राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा बनाये गये कानूनों के अंतर्गत स्थापित किए गए राज्य विश्वविद्यालयों की संख्या 159 है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12(ख) के अनुसार 17 जून, 1972 के बाद स्थापित किया गया कोई भी विश्वविद्यालय केंद्रीय सरकार, वि.अ. आ. या केंद्रीय सरकार से धनराशि प्राप्त करने वाले किसी भी संगठन से अनुदान प्राप्त करने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि आयोग इन बातों से संतुष्ट नहीं हो जाता कि विहित मानकों तथा प्रक्रियाओं के अनुसार उक्त विश्वविद्यालय अनुदान प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है ।

फिलहाल, 100 राज्य विश्वविद्यालय (कृषि विश्वविद्यालयों को छोड़कर) ऐसे हैं जो वि.अ.आ. से अनुदान प्राप्त करने के पात्र हैं ।

सुपात्र विश्वविद्यालयों को विशिष्ट योजनाओं के लिए अनुदान समेत विकास अनुदान इस उद्देश्य से दिया जाता है ताकि वे ऐसी आधार-संरचनात्मक सुविधाएं मुहैया कर सकें जो उन्हें सामान्यतः राज्य सरकार या उसको सहायता प्रदान करने वाले अन्य निकायों से उपलब्ध नहीं होतीं । सहायता सामान्यतः संकाय पदों, अकादमिक भवन, छात्रावासों, उपस्करों, पुस्तकों तथा पत्रिकाओं, स्टाफ क्वार्टरों तथा अन्य उन सुविधाओं के लिए दी जाती है जिनका उद्देश्य शिक्षण और अनुसंधान की गुणवत्ता का संवर्धन करना तथा साथ ही सामाजिक जीवन को प्रोत्साहित करना हो । यद्यपि विश्वविद्यालय के सामान्य विकास के लिए योजना अवधि के शुरू में ही परिव्यय की मात्रा निश्चित कर दी जाती है और उसका निर्धारण विश्वविद्यालय विशेष के विकास चरण के आधार पर किया जाता है लेकिन विशिष्ट योजनाओं के अधीन अनुदान विशेषज्ञों की उन सिफारिशों के आधार पर दिए जाते हैं जिन्हें वे योजनाओं की छानबीन करने के पश्चात् प्रस्तुत करते है ।

वर्ष 1993-94 के दौरान पात्र विश्वविद्यालयों को रु० 6683.93 लाख के योजनागत अनुदान दिए गए । योजनागत अनुदान के राज्यवार आबंटन का ब्यौरा निम्नलिखित सारणी में दिया गया है :

वर्ष 1993-94 के दौरान राज्य विश्वविद्यालयों को प्रदत्त अनुदान (कृषि विश्वविद्यालयों को छोड़कर)

राज्य	विश्वविद्यालयों की संख्या	प्रदत्त अनुदान (रु० लाख में)
आंध्र प्रदेश	10	971.08
असम	2	101.83
बिहार	7	175.82

आई यू सी सी ए यंत्रीकरण प्रयोगशाला (पुणे) में विकसित किया जा रहा इमेजिंग पोलरीमीटर ।

कम्प्यूटर प्रयोगशाला, इन्फ्लिब्नेट, अहमदाबाद में काम करते हुए प्रशिक्षणार्थी ।

राष्ट्रीय विज्ञान सूचना केंद्र, बंगलौर में सी डी—आर ओ एम खोज सेवा ।

एम एस टी राडार, एस वी यू - यू जी सी केंद्र, तिरुपति का ऐन्टेना व्यूह ।

हिमाचल प्रदेश	1	43.55
जम्मू-व-कश्मीर	2	75.94
गोवा	1	37.69
गुजरात	6	400.60
हरियाणा	3	109.87
कर्नाटक	6	310.06
केरल	4	298.44
मध्यप्रदेश	10	405.88
महाराष्ट्र	7	71.30
मणिपुर	1	53.45
उड़ीसा	4	136.28
पंजाब	3	351.62
राजस्थान	4	230.53
तमिलनाडु	9	723.55
त्रिपुरा	1	11.40
उत्तर प्रदेश	15	791.93
पश्चिम बंगाल	7	743.11
जोड़	**103**	**6683.93**

5
कालेजों को वित्तीय सहायता

5.1 वित्तीय सहायता के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त कालेज

कालेजों में प्रायः पूर्व-स्नातक स्तर पर कुल नामांकन का 85 प्रतिशत तथा स्नातकोत्तर स्तर पर कुल नामांकन का 55 प्रतिशत नामांकन होता है । तथापि वि.अ.आ. से केवल वही विश्वविद्यालय विकास अनुदान प्राप्त करने के पात्र हैं जो वि.अ.आ. अधिनियम की धारा 2(च) तथा 12(ख) के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त हों । अनुदान की मात्रा विभिन्न पैरामीटरों के आधार पर परिकलित की जाती है यथा शिक्षण का स्तर, छात्र और संकायों की संख्या आदि ।

वि.अ.आ. ने क्षेत्रीय असंतुलनों तथा असमानताओं को दूर करने के लिए शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए, ग्रामीण अथवा सीमा क्षेत्रों में स्थित कालेजों तथा अनुसूचित जातियों/जनजातियों और महिलाओं के कालेजों को विकास अनुदान देने में मानकों में ढील दी है । अनुदान सामान्यतः भवनों के लिए जिनमें छात्रावास भी शामिल हैं, तथा पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ बनाने और शिक्षकों के संकाय संवर्धन कार्यक्रम के लिए दिए जाते हैं ।

वर्ष 1993-94 में देश में कालेजों की संख्या 8210 है । इनमें से 4570 कालेज वि.अ.आ. से सहायता प्राप्त करने के पात्र है । वर्ष 1993-94 के दौरान सुपात्र कालेजों ने रु. 3461.03 लाख का योजनागत अनुदान प्राप्त किया ।

5.2 कालेजों को योजनागत अनुदान

पिछली पद्धति से हटकर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न राज्यों में विशेषज्ञ समितियां इस उद्देश्य से भेजीं कि वे कालेजों के प्रिंसिपलों के परामर्श से आठवीं योजना के अंतर्गत कालेजों को दिए जाने वाले विकास अनुदान के परिव्यय को अंतिम रूप दे सकेंगी । इन समितियों में राज्य सरकारों तथा संबंधक विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया गया ।

वर्ष 1993-94 के दौरान इन समितियों की सिफारिशों के आधार पर वि.अ.आ. ने लगभग 800 कालेजों के लिए लगभग रु. 4.63 करोड़ का परिव्यय अनुमोदित किया । इस प्रकार, लगभग 3900 कालेजों के लिए, जिन्होंने अनुदान के लिए आवेदन किया था, परिव्यय की कुल राशि बढ़ाकर रु. 265.28 करोड़ कर दी गई । वर्ष 1993-94 के दौरान कालेजों को प्रदत्त विकास अनुदान सहित योजनागत अनुदान का राज्यवार ब्योरा नीचे सारणी में दिया गया है :

सारणी 5.1
कालेजों को योजनागत अनुदान - वर्ष 1993-94

राज्य	प्रदत्त अनुदान (रु. लाख में)
आंध्र प्रदेश	310.40
असम	85.73
अरुणाचल प्रदेश	2.89
बिहार	96.49
गुजरात	76.53
गोवा	1.80
हरियाणा	113.95
हिमाचल प्रदेश	8.51
जम्मू और कश्मीर	4.73
कर्नाटक	160.40
केरल	112.24
मध्यप्रदेश	380.48
महाराष्ट्र	380.39
मणिपुर	10.21
उड़ीसा	120.37
पंजाब	112.81
राजस्थान	136.98
त्रिपुरा	2.52
तमिलनाडु	642.30
उत्तरप्रदेश	548.88
पश्चिम बंगाल	152.42
जोड़	**3461.03**

5.3 स्वायत्त कालेज

वि.अ.आ. की एक और योजना है जिसके अंतर्गत संबंधक विश्वविद्यालय द्वारा घोषित स्वायत्त कालेज अपनी दी जाने वाली शिक्षा की विषय-वस्तु तथा गुणवत्ता के लिए पूर्णतः जिम्मेवार हैं । ऐसे कालेज अपने परीक्षा प्रश्नपत्र तैयार करने और अपनी परीक्षाएं आयोजित करने के लिए भी जिम्मेवार हैं । कालेज छात्रों का मूल्याकंन ऐसी डिग्रियां प्रदान करने के लिए करता है जिन्हें उनका मूल विश्वविद्यालय स्वीकार कर लेगा ।

स्वायत्त कालेजों को रु. 4.00 लाख से लेकर 7.00 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाती है जो उनके द्वारा दी जाने वाली शिक्षा के स्तर तथा पाठ्यक्रमों पर निर्भर होती है ।

31.3.1994 तक 108 कालेज स्वायत्त कालेजों के रूप में काम कर रहे थे । इन कालेजों का राज्यवार विवरण इस प्रकार है :

राज्य का नाम	कालेजों की संख्या
तमिलनाडु	44
आंध्र प्रदेश	20
मध्य प्रदेश	29
उड़ीसा	5
उत्तर प्रदेश	2
राजस्थान	6
गुजरात	2

5.4 कालेज विकास परिषदें

कालेज विकास परिषदें संबंधक विश्वविद्यालय तथा वि.अ.आ. के बीच आयोग के कालेज-क्षेत्र योजनाओं के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करती हैं । योजना के मार्ग-निर्देशों के अनुसार जो सातवीं योजना के प्रारंभ से लागू थे, इन परिषदों को वि.अ.आ. की महायता 31 मार्च 1991 तक उपलब्ध थी । वि.अ.आ. द्वारा इस अवधि को 31 मार्च, 1993 तक इन शर्त पर बढ़ाया गया था कि विश्वविद्यालय राज्य सरकारों से यह आश्वासन प्राप्त कर लेंगे कि वे 31 मार्च, 1995 के बाद जिम्मेदारी ले लेंगी । ऐसी आश्वासन प्राप्त होने पर वि.अ.आ. द्वारा दी जाने वाले महायता की अवधि 31 मार्च, 1995 तक बढ़ा दी जाएगी । इस योजना के अंतर्गत वर्ष के दौरान रु. 27.73 लाख की राशि जारी की गई ।

5.5 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कालेजों को योजनागत/योजनेतर सहायता

वर्ष 1993-94 के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेजों को उनके अनुरक्षण व्यय को पूरा करने के लिए रु. 7356.35 लाख तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कालेजों को रु. 58.26 लाख की राशि दी गई । वर्ष 1993-94 के दौरान दिल्ली कालेजों को रु. 48.85 लाख योजनागत अनुदान दिया गया ।

5.6 शताब्दी समारोह अनुदान

वि.अ.आ. ऐसे कालेजों (प्रत्येक) को रु 20.00/- लाख की विशेष सहायता देता है जिन्होंने अपनी स्थापना के 100 या उनसे अधिक वर्ष पूरे कर लिए हैं । यह सहायता पूंजीगत व्यय यथा भवनों आदि के निर्माण को पूरा करने के लिए दी जाती है ।

6
नवीन और अंत:विद्याशाखा क्षेत्रों में अनुसंधान तथा अध्ययन

6.1 अतिचालकता कार्यक्रम

अतिचालकता के क्षेत्र में आधुनिक विकास तथा उसके अनुप्रयोग के संभावित व्यापारिक महत्व को ध्यान में रखते हुए वि.अ.आ. वर्ष 1987 से विश्वविद्यालयों को मूलभूत और अनुप्रयुक्त - दोनों क्षेत्रों में शिक्षा एवं अनुसंधान क्षमताओं के विकास के लिए सहायता प्रदान करता रहा है ।

इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में एक स्थायी समिति वि.अ.आ. की सहायता करती है । समूह परिवीक्षण बैठकों तथा वार्षिक छमाही रिपोर्टों के माध्यम से आवधिक समीक्षा करना इस कार्यक्रम की मूल विशेषता है ।

आयोग ने इस योजना की अवधि आगे पांच वर्ष अर्थात् 1.4.1994 से 31.3.1999 तक बढ़ा दी है ।

आयोग ने इस प्रयोजन के लिए निम्नलिखित विश्वविद्यालयों को भी सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है :-

1. अन्ना विश्वविद्यालय
2. एच एन बी गढ़वाल विश्वविद्यालय
3. पूना विश्वविद्यालय
4. कल्याणी विश्वविद्यालय
5. बरकतुल्ला विश्वविद्यालय
6. मदुरै कामराज विश्वविद्यालय
7. उत्कल विश्वविद्यालय
8. मद्रास विश्वविद्यालय
9. राजस्थान विश्वविद्यालय
10. बनारस हिंदू विश्वविद्यालय

6.2 वायुमंडलीय विज्ञान

वि.अ.आ. ने वर्ष 1987-88 में विश्वविद्यालयों में मौसम विज्ञान संबंधी तथा वायुमंडलीय विज्ञानों का संवर्धन करने तथा मध्यम क्षेत्रीय पूर्वानुमान करने के लिए मौसम विज्ञान तथा भू-विज्ञान परिषद् में लगाये गये कम्प्यूटर तंत्रों में प्रशिक्षित व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम प्रारंभ किया ।

वि.अ.आ. के अध्यक्ष ने इस कार्यक्रम की प्रगति का मूल्यांकन किया और वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने के लिए निम्नलिखित विश्वविद्यालयों का अनुमोदन किया :

1. आंध्र विश्वविद्यालय
2. कलकत्ता विश्वविद्यालय
3. कर्नाटक विश्वविद्यालय
4. गुजरात विश्वविद्यालय
5. भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर
6. पूना विश्वविद्यालय

6.3 नवीन क्षेत्रों में पाठ्यक्रम

जैव-प्रौद्योगिकी, पर्यावरण-शिक्षा, ऊर्जा शिक्षा, इलेक्ट्रोनिक्स तथा 'फ्यूचरोलाजी' के कार्यक्रम 1992-93 तक क्रमशः डी.बी.टी., डी.एन.ई. तथा डी.ओ.ई. के सहयोग से स्वतंत्र कार्यक्रमों के रूप में कार्यान्वित किये जा रहे थे ।

आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान वित्तीय अभाव के कारण चूंकि इन एजेंसियों ने निधियां उपलब्ध कराने में अपनी असमर्थता व्यक्त की अतः इन कार्यक्रमों को वर्ष 1993-94 से एक व्यापक शीर्षक "नवीन क्षेत्रों में पाठ्यक्रम" में शामिल कर दिया गया हैं ।

वर्ष 1993 में वि.अ.आ. ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले अनेक पाठ्यक्रमों के लिए मार्गनिर्देश तैयार किए थे और उन्हें विश्वविद्यालयों में परिचालित किया गया था । इस योजना का उद्देश्य इन पाठ्यक्रमों को आधुनिक बनाना और प्रत्येक क्षेत्र में विशेषीकृत जनशक्ति तैयार करना है । इस कार्यक्रम के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम इस प्रकार हैं :-

1. मास्टर स्तर के पाठ्यक्रम

(i) व्यवसाय प्रशासन

(ii) कम्प्यूटर अनुप्रयोग

(iii) इलेक्ट्रोनिक विज्ञान

(iv) जैव-प्रौद्योगिकी

(v) 'फ्यूचरोलाजी'

(vi) पर्यावरण-विज्ञान/ऊर्जा

(vii) संचार (दृश्य-श्रव्य प्रस्तुति/ग्राफिक्स/कैमरामैन/संपादन/पत्रकारिता/ मुद्रण प्रौद्योगिकी/पुस्तक प्रकाशन में पृथक् एम.ए./एम.एससी.

2. मास्टर स्तर पर विशेष पेपर

(i) वायुमंडलीय विज्ञान

(ii) रिमोट सेंसिंग

(iii) भौतिकी, रसायन, गणित, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, जीवविज्ञान तथा पुस्तकालय सूचना विज्ञान में कम्प्यूटर अनुप्रयोग

(iv) रसायन, जीव-विज्ञान, भू-विज्ञान, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, इतिहास, समाजशास्त्र में प्रयोज्य पर्यावरण संबंधी अध्ययन ।

वर्ष 1993 में आयोग ने उपर्युक्त पाठ्यक्रमों को नवीन विषयक कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रारंभ करने के संबंध में प्रस्ताव मांगे थे । विशेषज्ञ दलों ने इलेक्ट्रोनिक्स, कम्प्यूटर अनुप्रयोग, रिमोट सेंसिंग, पर्यावरण तथा ऊर्जा विषयों के लिए वित्तीय सहायता से संबंधित प्रस्तावों पर विचार किया ।

तद्नुसार आयोग ने इलेक्ट्रानिक विज्ञान में एम.एससी. में एक पाठ्यक्रम के लिए 11 विभागों, कम्प्यूटर अनुप्रयोग पाठ्यक्रम के लिए 16 विश्वविद्यालयों/कालेजों, रिमोट सेंसिंग में 6 विश्वविद्यालयों और पूर्व-स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए 24 विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का अनुमोदन किया ।

आयोग ने पर्यावरण कार्यक्रम के भाग के रूप में "फ्लाईएश संचयन और इसके व्यापक पैमाने पर उपयोग के उपाय खोजने की आवश्यकताएं" पर 6 अनुसंधान परियोजनाएं भी अनुमोदित की हैं ।

वि.अ.आ. ने इन कार्यक्रमों पर होने वाले व्यय में अंशदान करने के लिए जैव-प्रौद्योगिकी विभाग तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् जैसी एजेंसियों से निवेदन किया है ।

6.4 सहयोगी कार्यक्रम

वि.अ.आ. ने वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद् और भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला (आई आई ए एस) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं ।

विश्वविद्यालयों में संयुक्त अनुसंधान एवं विकास संबंधी गतिविधियों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग - वैज्ञानिक तथा औद्योगिकी अनुसंधान परिषद् (यू.जी.सी. - सी.एस.आई.आर.) सहयोग स्थापित किया गया है । इसका उद्देश्य एक दूसरे की आधार-संरचना का इष्टतम उपयोग करने के लिए बढ़ावा देना, विचारों एव संकल्पनाओं तथा तकनीकों का आदान-प्रदान करना तथा मानव संसाधन का विकास करना है । यू.जी.सी. - सी.एस.आई.आर. के अन्योन्यक्रिया कार्यक्रम के लिए एक संयुक्त समन्वयक की नियुक्ति भी कर दी गई है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान के बीच सम्पन्न सहयोग का उद्देश्य मानविकी और सामाजिक विज्ञानों के लिए अंतर्विश्वविद्यालय सुविधाएं उपलब्ध कराना है ताकि विश्वविद्यालयों और कालेजों में इन क्षेत्रों में काम करने वाले शिक्षकों, स्कालरों और छात्रों के बीच अन्योन्यक्रिया को बढ़ावा दिया जा सके । इसका ब्यौरा इस रिपोर्ट के उप-अनुभाग 7.9 में दिया गया है ।

6.5 यू.जी.सी. कम्प्यूटरीकरण

यू.जी.सी. ने प्रशासन और लेखा कार्य सहित अपने कार्यक्रमों और प्रकार्यों का कम्प्यूटरीकरण करने का निर्णय लिया है । सॉफ्टवेयर विकसित करने और हार्डवेयर प्राप्त करने का कार्य प्रगति पर है ।

6.6 क्षेत्र अध्ययन कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के तीन उद्देश्य हैं :

(i) संबंधित क्षेत्र की समस्याओं और संस्कृति से संबंधित विशेषीकृत अध्ययनों के लिए स्कालरों को प्रशिक्षित करना ।

(ii) अंतर-विद्याशाखा अनुसंधान का विकास करना ।

(iii) तुलनात्मक दृष्टि से शिक्षण और अनुसंधान का विकास करना ।

वर्ष 1993-94 के अंत तक 15 विश्वविद्यालयों में निम्नलिखित 17 क्षेत्र अध्ययन केंद्र काम कर रहे

थे जिनको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से 100 प्रतिशत सहायता मिल रही थी :

1.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	–	पश्चिम एशियाई अध्ययन केंद्र
2.	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	–	नेपाल संबंधी अध्ययन
3.	दिल्ली विश्वविद्यालय	–	चीनी एवं जापानी अध्ययन
4.	कलकत्ता विश्वविद्यालय	–	दक्षिण पूर्वी एशियाई अध्ययन केंद्र
5.	बंबई विश्वविद्यालय	–	1. अफ्रीकन अध्ययन केंद्र 2. रूसी अध्ययन केंद्र
6.	मद्रास विश्वविद्यालय	–	दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशियाई अध्ययन केंद्र
7.	उस्मानिया विश्वविद्यालय	–	शहरी विकास एवं क्षेत्रीय योजना केंद्र
8.	श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय	–	भारत-चीन अध्ययन केंद्र
9.	गोखले राजनीति एवं अर्थशास्त्र संस्थान	–	पूर्व-यूरोपीय अर्थशास्त्र केंद्र
10.	राजस्थान विश्वविद्यालय	–	दक्षिण एशिया जिसमें सरकार और राजनीति के अध्ययन पर विशेष जोर दिया जाता है ।
11.	उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय	–	हिमालय संबंधी अध्ययन
12.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	–	1. खाड़ी के देश । 2. रूसी अध्ययन ।
13.	कश्मीर विश्वविद्यालय	–	मध्य एशिया, मंगोलिया
14.	आंध्र प्रदेश	–	'सार्क' देशों में सहयोग संभावनाएं
15.	गोवा	–	लेटिन अमरीकी देश

7
अंतर्विश्वविद्यालय केंद्र तथा सूचना केंद्र

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वि.अ.आ. अधिनियम में 1984 में हुए संशोधन का अनुसरण करते हुए विश्वविद्यालय प्रणाली में स्वायत्त केंद्र स्थापित करने की पहल की है । ऐसे केंद्रों से विश्वविद्यालयों को सामान्य सुविधाएं, सेवाएं और कार्यक्रम प्रदान करने की आशा की जाती है क्योंकि आधार-संरचना और निविष्टियों में अत्यधिक निवेश के कारण अलग-अलग विश्वविद्यालय ये सारी सुविधाएं नहीं जुटा सकते ।

वर्ष 1993-94 तक स्थापित किए गए केंद्र

	केंद्र	उद्देश्य
1.	नाभिकीय विज्ञान केंद्र	त्वरक-प्रधान अनुसंधान
2.	खगोलविज्ञान तथा खगोल भौतिकी अंतर्विश्वविद्यालय केंद्र, पुणे	खगोलविज्ञान तथा खगोल भौतिकी में अनुसंधान के लिए अधुनातन खगोलविज्ञान यंत्रीकरण ।
3.	डी ए ई सुविधाओं के लिए अंतर्विश्वविद्यालय संकाय, इंदौर	परमाणु ऊर्जा विभाग की सुविधाओं का उपयोग ।
4.	शैक्षिक संचार संकाय (सी ई सी)	वि.अ.आ. के मीडिया कार्यकलापों का समन्वय करने की नोडल एजेंसी (जन संचार के अधीन रिपोर्ट) ।
5.	पश्चिमी क्षेत्रीय यंत्रीकरण केंद्र, बंबई	देशी उपस्करों का डिज़ाइन तथा विकास और यंत्रीकरण में स्टाफ का प्रशिक्षण
6.	क्षेत्रीय यंत्रीकरण केंद्र, आई आई एससी, बंगलौर	देशी उपस्करों का डिजाइन एस सी, तथा विकास और यंत्रीकरण में स्टाफ का प्रशिक्षण ।
7.	क्रिस्टल संवृद्धि केंद्र, अन्ना विश्वविद्यालय	क्रिस्टल संवृद्धि में अनुसंधान तथा ज्ञान का प्रसार और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन ।

आई यू सी सी ए यंत्रीकरण प्रयोगशाला (पुणे) में विकसित किया जा रहा इमेजिंग पोलरीमीटर ।

कम्प्यूटर प्रयोगशाला, इन्फ्लिब्नेट, अहमदाबाद में काम करते हुए प्रशिक्षणार्थी ।

राष्ट्रीय विज्ञान सूचना केंद्र, बंगलौर में सी डी–आर ओ एम खोज सेवा ।

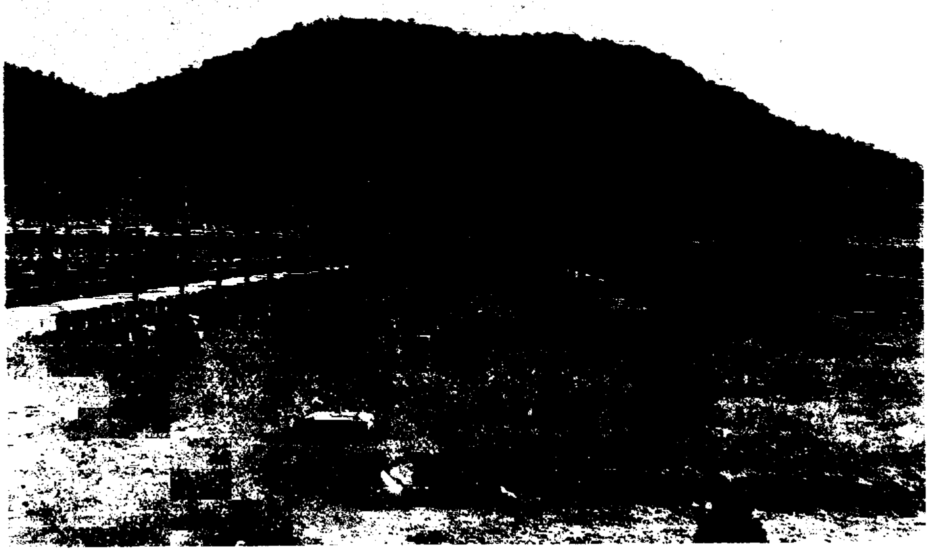

एम एस टी राडार, एस वी यू - यू जी सी केंद्र, तिरुपति का ऐन्टेना व्यूह ।

8.	एम.एस.टी. राडार केंद्र, श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति	वायुमंडलीय गतिविज्ञान में अध्ययन ।
9.	सूचना तथा पुस्तकालय नेटवर्क (इन्फ्लिब्नेट)	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पुस्तकालयों का नेटवर्किंग ।
10.	मानविकी तथा सामाजिक विज्ञानों के लिए अंतर्विश्वविद्यालय केंद्र, शिमला	अंतर्विश्वविद्याल केंद्र के एसोशिएटों के रूप में विश्वविद्यालयों और कालेजों के शिक्षकों को आमंत्रित करना और उन्हें नए विचारों एवं विधियों की जानकारी तथा अनुसंधान के लिए अवसर प्रदान करना ।
11.	पूर्वी खगोल-भौतिकी अनुसंधान केंद्र	खगोल-भौतिकी में अनुसंधान ।
12.	एम एस टी राडार केंद्र	शिक्षकों को एम एस टी राडार की सुविधा उपलब्ध कराना ।

आयोग ने विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञानों मे अद्यतन जानकारी संग्रह और प्रसार के लिए कुछ चुने हुए विश्वविद्यालयों में सूचना केंद्र भी स्थापित किए हैं । फिलहाल, ऐसे तीन केंद्र - भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर (विज्ञान में), एस एन डी टी विश्वविद्यालय बंबई, और एम.एस. विश्वविद्यालय, बड़ौदा (मानविकी और सामाजिक विज्ञानों में) कार्य कर रहे हैं ।

7.1 नाभिकीय विज्ञान केंद्र, नई दिल्ली

वर्ष 1993-94 के दौरान 'पेलेट्रान बीम' के इस्तेमाल के लिए नाभिकीय विज्ञान केंद्र के प्रयोक्ताओं की संख्या में लगातार वृद्धि होती रही हैं । प्रयोक्ता ग्रुपों में 37 विश्वविद्यालयों, 17 कालेजों और 17 अनुसंधान संस्थाओं के संकाय एवं छात्र शामिल हैं । मुख्य अन्वेषकों की संख्या 107 हैं जिन्होंने 'बीम टाइम' के लिए कभी-कभी अनुरोध किया था । इनमें पदार्थ विज्ञान प्रयोक्ता की संख्या 53, नाभिकीय भौतिकी प्रयोक्ताओं की संख्या 39 है । शेष 13 परमाणु ऊर्जा, जैव भौतिकी तथा विकिरण रसायन के प्रयोक्ता थें ।

पेलेट्रान सप्ताह में सात दिन लगातार काम करता है । सद्यकाल (अपटाइम) लगभग 97 प्रतिशत रखा गया है । त्वरक 5844 घंटे चला और खराबी के कारण 168 घंटे नष्ट हुए । वर्ष 1993 के दौरान प्रयोक्ताओं को प्रयोगों के लिए 23 विभिन्न प्रकार के आयन बीम सौंपे गए । अनुसंधान कार्य के

परिणामस्वरूप संदर्भित पत्रिकाओं में 43 लेख (प्रस्तुत लेखों सहित) प्रकाशित किए गए ।

त्वरक संबद्ध प्रणाली में जो विकास किए गए हैं उनसे पेलेट्रान से स्पंदित बीम में सुधार हुआ है । बीम लाइन में कला संसूचक सर्पिल गुहिका शामिल कर दी गई है । पेलेट्रान चेनों के निष्पादन के मानीटरन के लिए एक "पिक-अप लूप" लगा दिया गया है । एन एस सी वैज्ञानिकों ने मशीन में आंशिक मंदन लाकर निम्न ऊर्जा प्राप्त करने के लिए एक नई तकनीक का विकास किया है । एल आई एन ए सी अभिवर्धक कार्यक्रम के लिए विकसित किए गए उच्च आवृत्ति प्रवर्धक का अनुप्रयोग एन पी एल में सी वी डी सहित तनु फिल्म बनाने में किया गया । हिंद हाई वेकूम कं. बंबई ने विकसित जानकारी का इस्तेमाल करने में रुचि दिखाई है ।

आर्गोने राष्ट्रीय प्रयोगशाला के साथ एक संयुक्त सहयोगी परियोजना के रूप में एक नए प्रकार की अनुनादी संरचना तैयार की गई है । एक आदि प्ररूप तैयार कर लिया गया है और आजकल उसका परीक्षण किया जा रहा है । इस अनुनादक का प्रयोग पेलेट्रान के लिए रैखिक बूस्टर माड्यूलों के देश में ही विकसित करने के हेतु किया जाएगा ।

एक निम्नताप स्थायी का डिज़ाइन तैयार कर लिया गया है और उसका निर्माण करवा लिया गया है तथा उस पर परीक्षण किए जा रहे हैं । इसका प्रयोग अति-चालन चुम्बक के परीक्षण के लिए किया जाएगा तथा ए एन एल में नायोबियम अति-चालन अनुनादक विकसित किया जा रहा है ।

गामा संसचूक व्यूह (जी डी ए) में प्रायोगिक सुविधा में शनैः शनैः वृद्धि की जा रही है । इसे नए संसूचकों में रखा जा रहा है (इनमें से कुछेक कों संस्थागत सहयोग के माध्यम से मुहैया किया जा रहा है) । नई प्रायोगिक सुविधाओं की योजना अर्थात् आवेशित कण व्यूह तथा बी ए एफ ज़ेड (BaFz) बहुकता बाल, तैयार की जा रही है ताकि विश्वविद्यालय समुदाय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतियोगी अनुसंधान के लिए सर्वोत्तम सुविधाएं जुटाई जा सकें ।

गुरु आयन बीम सहित पदार्थ-विज्ञानों के अध्ययन भी विभिन्न क्षेत्रों यथा उच्च टी सी अतिचालक, डाइमंड जैसी 'सी' फिल्मों, इलेक्ट्रानिक सामग्री की इंजीनियरी, ट्राइबोलाजी आदि में किए हैं । पश्च विकीर्णित गुरु आयनों (आर बी एस) और प्रत्यास्थ प्रतिक्षेप संसूंचक (ई आर डी ए) का प्रयोग करते हुए हल्के और भारी घटकों का साथ-साथ पता लगाने के लिए नाभिकीय तकनीकें विकसित की जा रही हैं । अनुसंधान नाभिकीय संसूचकों और यंत्रों की सहायता से हाइड्रोजन गभीरता प्रोफाइल तैयार किया जा रहा है । विकिरण विज्ञान और विकिरण रसायन में प्रयोक्ताओं के लिए वायु में विस्तृत यूनीफार्म आयन बीम उपलब्ध कराने के लिए एक पृथक् लाइन चालू कर दी गई है ।

प्रायोगिक वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक पीएच.डी. पाठ्यक्रम का कार्यक्रम विशेष रूप से तैयार किया गया है । संरचना एवं अनुसूची तैयार की गई है ताकि विश्वविद्यालय छात्र समय-समय पर एक

पखवाड़े के लिए एन एस सी में आ सकें और लघु पाठ्यक्रमों में भाग ले सकें । वर्ष 1993-94 के दौरान निम्नलिखित कार्यशालाएं आयोजित की गईं :-

(i) उच्च प्रचक्रण स्थिति अध्ययन - बंबई

(ii) प्रतिक्षेप पृथकित्र सहित भौतिकी - वाल्टेयर

(iii) उच्च ऊर्जा गुरु आयनों सहित परमाणु भौतिकी - वाराणसी

स्नातकोत्तर कालेज शिक्षकों के लिए समय-समय पर परिचय कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिनका उद्देश्य उनको अनुसंधान के लिए प्रोत्साहित करना है । इन कार्यक्रमों का आयोजन मुंगेर, इंदौर और तिरुनेलवेली में किया गया ।

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया जिसमें तीनों (प्रत्येक) विश्वविद्यालयों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के कुछ छात्रों को आमंत्रित किया गया ।

7.2 अंतर्विश्वविद्यालय खगोल-विज्ञान तथा खगोल-भौतिकी केंद्र (आई यू सी ए ए), पुणे

वर्ष 1993-94 के दौरान आई यू सी ए ए ने सबसे पहले महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बैठक अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय खगोल वैज्ञानिक संघ (आई ए यू) की छठी एशियाई पेसिफिक क्षेत्रीय बैठक की सफल मेजबानी की ।

कैम्पस में अन्य अंतर्राष्ट्रीय बैठक यह थी - 20वीं आई एस वाई ए (युवा खगोल वैज्ञानिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्कूल) । इसका आयोजन भी आई ए यू ने किया था । इसके अतिरिक्त, सक्रिय मंदाकिनीय न्यूक्लीय और क्वासार पर प्रथम भारत-अमरीका कार्यशाला का आयोजन भी किया गया । यह कार्यशाला उन तीन कार्यशालाओं की शृंखला में पहली थी जिन्हें आई यू सी ए ए और हार्वर्ड स्मिथसोनियन केंद्र के बीच एक सहयोगी परियोजना के लिए अमरीका भारत निधि के अंतर्गत अनुमोदित किया गया था । इस परियोजना के तहत भारत और अमरीका के बीच वैज्ञानिकों का आदान-प्रदान भी किया जा सकता है ।

आई यू सी ए ए ने उच्च अनुसंधान के संवर्धनार्थ भारत-फ्रांस के संरक्षण में फ्रांस के वैज्ञानिकों के साथ गुरुत्वाकर्षण विकिरण के क्षेत्र में सहयोग करना शुरू कर दिया है । इसी क्षेत्र में आस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक समुदाय के साथ पहले से ही सहयोग किया जा रहा है । यह प्रस्ताव है कि चीनी खगोल विज्ञान समुदाय के साथ खगोल-भौतिकी में संयुक्त स्कूल आयोजित किए जाएं ।

विज्ञान को लोकप्रिय बनाने से संबंधित गतिविधि के भाग के रूप में निम्नलिखित कार्यशालाओं/व्याख्यानों का आयोजन किया गया : नए खगोल वैज्ञानिकों के लिए कार्यशालाएं, स्कूल के बच्चों के लिए एक सप्ताह की परियोजनाएं, और स्कूल के बच्चों के लिए व्याख्यान (व्याख्यानों) का प्रदर्शन । इन कार्यक्रमों की मुख्य विशेषता यह थी कि आई यू सी ए ए के मानद फैलो सर फ्रैड होयले ने स्कूल के बच्चों के लिए एक भाषण दिया ।

मानव संसाधान विकास पर जोर दिया जाता रहा और इसके लिए विश्वविद्यालय के छात्रों और खगोल-विज्ञान तथा खगोल-भौतिकी के क्षेत्र में अनुसंधानकर्ताओं के लिए कार्यशालाओं, स्कूलों, संगोष्ठियों आदि का आयोजन किया गया ।

आई यू सी ए ए में किए जाने वाले अनुसंधान कार्य में निम्नलिखित सैद्धांतिक विषय शामिल हैं : क्वांटम गुरुत्वाकर्षण और ब्रह्मांड विज्ञान, क्लासिकी गुरुत्वाकर्षण, ब्रह्मांड विज्ञान तथा संरचना विरचन, गुरुत्वीय तरंगों की खोज, क्वासार और परागांगेय खगोलविज्ञान, आकाश गंगा और तारा गुच्छ का विकास, तारकीय खगोलविज्ञान तथा वर्गीकरण, सौर परिवार । इन सैद्धांतिक क्षेत्रों के अतिरिक्त, प्रेक्षणीय प्रकाशकीय खगोल-विज्ञान और प्रकाशीय खगोल-विज्ञान के लिए यंत्र विकास पर भी विशेष जोर दिया गया ।

वर्ष के दौरान पत्रिकाओं और सम्मेलनों की कार्यवाहियों (15) में कुल 45 शोध लेख प्रकाशित किए गए और आई यू सी ए ए के सदस्यों द्वारा 3 पुस्तकों का सम्पादन/लेखन किया गया ।

विश्वविद्यालयों के शिक्षाविदों ने केंद्र के साथ अनेक तरीकों से अन्योन्यक्रिया की अर्थात् कार्यशालाओं आदि का आयोजन किया गया और उनमें भाग लिया गया; आई यू सी ए ए के पुस्तकालय और कम्प्यूटर सुविधाओं का प्रयोग किया गया तथा सहयोगी (सैद्धांतिक एवं प्रेक्षणात्मक) अनुसंधान कार्यक्रम आयोजित किए गए और यंत्रीकरण प्रयोगशाला में प्रेक्षण के लिए यंत्रों का विकास किया गया ।

7.3 परमाणु ऊर्जा विभाग (डी ए ई) सुविधाओं के लिए अंतर्विश्वविद्यालय संकाय इंदौर अंतर्विश्वविद्यालय संकाय–बंबई केंद्र

फिलहाल, 29 अनुसंधान परियोजनाएं चल रही हैं जिनमें ध्रुव रिएक्टर में विश्वविद्यालयों के प्रयोक्ता काम करते हैं । इन परियोजनाओं की समीक्षा मार्च 1993 में की गई थी । घन अवस्था तथा स्पेक्ट्रम विज्ञान प्रभाग के निदेशक ने इन परियोजनाओं की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया । प्रयोग करने के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र पर विश्वविद्यालय प्रयोक्ताओं का तांता लगा रहता है ।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में इन परियोजनाओं के चार प्रकाशन छप चुके हैं । इसके अतिरिक्त, परियोजना अन्वेषकों ने दिसम्बर में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, बंबई में आयोजित घन अवस्था भौतिकी पर परमाणु ऊर्जा विभाग की वार्षिक परिचर्चा में प्रस्तुत किए गए 15 लेखों के परिणाम घोषित किए । अन्य सम्मेलनों में तीन लेख प्रस्तुत किए गए ।

आई यू सी द्वारा प्रायोजित तेरह उम्मीदवारों ने न्यूट्रान विकीर्णन के अनुप्रयुक्त पहलुओं पर आयोजित आई ए ई - आर सी ए कार्यशाला में भाग लिया । यह कार्यशाला भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में नवम्बर, 22 से दिसम्बर 10, 1993 तक आयोजित की गई थी ।

अंतर्विश्वविद्यालय संकाय–इंदौर केंद्र

आई एन डी यू एस 1 पर फोटोइलेक्ट्रान स्पेक्ट्रोस्कोपी बीम लाइन

टोराइडी ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर जिसे फ्रांस के जोबिन वोन से मंगवाया गया था, इंदौर में पहुंच गया है । डा. चौधरी और डा. फेज मोनोक्रोमेटर पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कंपनी में दो सप्ताह के लिए गए ।

मिरर चैम्बर के डिज़ाइन को अंमित रूप दे दिया गया है । बर्लिन में बेस्सी के साथ सहयोगी कार्यक्रम के तहत डा. चौधरी ने तीन महीने का लिए 'बेस्सी' का दौरा किया और वहां वैज्ञानिकों के साथ मिरर चैम्बरों, लेसर संरेखण चैम्बरों आदि के डिज़ाइन के बारे में विस्तृत चर्चा की ।

फोटोइलेक्ट्रान स्पेक्ट्रोमीटर

बंगलौर स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान में आई यू सी द्वारा प्रायोजित परियोजना में फोटोइलेक्ट्रान स्पेक्ट्रोमीटर के विभिन्न हिस्से पुर्जे तैयार करने का कार्य प्रगति पर है ।

सोफ्ट एक्स-रे प्रणाली

इस परियोजना का आंशिक प्रायोजन डी एस टी द्वारा किया गया है । एलूमिनियम टार्गेट वाला घूर्णी एनोड एक्स-रे जनरेटर तैयार कर लिया गया है और चुम्बकीय सील का आयात कर लिया गया है । जनरेटर द्वारा एक्स-किरण तैयार की जा रही है । निर्वात-सुसंगत दुहरे क्रिस्टल मोनोक्रोमेटर प्रणाली तैयार कर ली गई है । नमूने के चैम्बर का डिज़ाइन तैयार कर लिया गया है । सम्पूर्ण प्रणाली 1994 के अंत तक तैयार हो जाएगी ।

आधार-संरचनात्मक सुविधाएं

एक पुराना हीलियम द्रवित्र प्राप्त कर लिया गया है और संस्थापित कर दिया गया है तथा बिजली के तार लगाने और पाइप डालने का काम पूरा हो गया है ।

प्रकाशध्वानिक सेलों की विरचना कोचीन विश्वविद्यालय द्वारा कर दी गई है । उनका परीक्षण कर लिया गया है । वर्ष 1994 के अंत तक एक प्रकाशध्वानिक स्पेक्ट्रोमीटर तैयार कर दिया जाएगा ।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास की सहायता से एक विशिष्ट ऊष्मा निम्नताप स्थापी तैयार कर लिया गया है जो 4.2 k तक नीचे जा सकता है । 1994 में ये प्रचालन के लिए तैयार हो जाएगा ।

सुविधाओं का उपयोग

विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं के 65 प्रयोक्ताओं ने विभिन्न आधार-संरचनात्मक सुविधाओं यथा - पावर डिफ्रेक्टोमीटर, 'एक्जेफ्स' (ई एक्स ए सफ एस) और 'एस्का' (ई एस सी ए) प्रणाली, निम्न तापमान

प्रतिरोधकता तथा ए सी सुग्राहिता सेट-अप का उपयोग किया । प्रयोक्ताओं ने एक से चार सप्ताह तक आई यू सी में व्यतीत किए ।

9 विश्वविद्यालय ग्रुप आई जी सी ए आर, कल्पक्कम में निम्न ऊर्जा त्वरक सुविधाओं से संबंधित परियोजनाओं से जुड़े हैं ।

बाहर के तथा आई यू सी के वक्ताओं ने आई यू सी, इंदौर में 37 संगोष्ठियों में भाषण दिया ।

अंतर्विश्वविद्यालय संकाय — कलकत्ता केंद्र

आधार-संरचनात्मक सुविधाएं

जादवपुर विश्वविद्यालय ने अपने साल्ट लेक कैम्पस में 10,000 वर्ग फुट स्थान प्रदान किया । ग्यारह प्रयोगशालाओं को किराये की पुरानी इमारत से नए कैम्पस में स्थानांतरित किया गया ।

उच्च शुद्धता जल प्रणाली, क्रिस्टल लैपन मशीन और बहुविसरण चूल्हे चालू कर दिए गए हैं । लक्ष्य प्रयोगशाला में अनेक लक्ष्य बनाए गए हैं ।

एक मासबौर स्पेक्ट्रोमीटर चालू कर दिया है और विश्वविद्यालयों के अनेक वैज्ञानिकों द्वारा उसका प्रयोग नियमित रूप से किया जा रहा है ।

एक निम्नतल रेडियो-रसायन प्रयोगशाला स्थापित किए जाने का प्रयास किया जा रहा है ।

कर्मशालाओं (वर्कशापों) के लिए उपस्कर प्राप्त हो गए हैं और उन्हें लगा दिया जाएगा ।

परियोजनाएं

परियोजनाओं की संख्या 33 है - भौतिकी में 24, रसायन में 7 और जैव-भौतिकी में 21 मार्च 11, 1994 को इन परियोजनाओं की समीक्षा की गई । वी ई सी सी में साइक्लोट्रोन में कुछ प्रचालनात्मक खराबी के कारण विश्वविद्यालय प्रयोक्ताओं को आबंटित प्रयोज्य शिफ्टों की संख्या उतनी नहीं थी जैसी कि योजना तैयार की गई थी ।

फरवरी 1994 के तीसरे सप्ताह में भौतिकी संस्थान, भुवनेश्वर में पी आई एक्स परियोजनाओं के लिए बीम लाइनों की 12 शिफ्टें आबंटित की गई ।

7.4 क्रिस्टल संवृद्धि केंद्र, मद्रास

आलोच्य वर्ष के दौरान केंद्र ने कुछ प्रकार के क्रिस्टलों की संवृद्धि की अति आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवश्यक यंत्र विकसित किए ।

आक्साइड सामग्री, सी.जी.एस - एम 2 क्रिस्टल संवृद्धि के लिए एक मशीन का डिज़ाइन तैयार कर लिया

गया है और उसका निर्माण किया जा रहा है । उसमें दोहरी आवृत्ति (10 के एच ज़ेड/25 के जी ज़ेड) 40 केवी का जनरेटर होगा । एक उच्च दाब क्रिस्टल अभिकर्षक (पुलर) सी जी सी एफ - एच पी एम एस का भी निर्माण किया जा रहा है जिससे III-V अर्धचालक सामग्री के प्रारंभिक चार्ज वाले 8 कि.ग्रा. के विशाल क्रिस्टलों का विकास हो सकेगा ।

विश्वविद्यालयों/कालेजों/संस्थाओं को सप्लाई किए गए किस्टल और क्रिस्टल संवृद्धि उपस्कर

देश की विभिन्न संस्थाओं को निम्नलिखित क्रिस्टलों की पूर्ति की गई - गैलियम आर्सेनाइड, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन, आर्थोफास्फेट, ट्राइग्लाइसीन सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड, बेरियम कैल्सियम टाइटेंटे, सैफायर और इंडियम फास्फाइड ।

गतिविधियां

उदयपुर सौर वेधशाला रने अपने अनुप्रयोगों के लिए क्रिस्टल संवृद्धि केंद्र में एकल क्रिस्टलों का व्यापक प्रयोग किया ।

20 अनुसंधान लेख प्रकाशित किए गए । 120 लेख राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रस्तुत किए गए ।

अन्ना विश्वविद्यालय को पी.,एच.डी. के छह शोध प्रबंध प्रस्तुत किए गए ।

केंद्र के वैज्ञानिकों ने अनेक कार्यशालाओं में भाग लिया । विभिन्न प्रयोगशालाओं/विश्वविद्यालयों के 20 वैज्ञानिकों ने विशिष्ट क्रिस्टलों की संवृद्धि के लिए क्रिस्टल संवृद्धि केंद्र का दौरा किया ।

इस केंद्र को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, आई यू सी-डी ए ई एफ इंदौर और तमिलनाडु सरकार सके रु० 17 लाख का अनुसंधान अनुदान मिला ।

7.5 सामाजिक विज्ञान सूचना केंद्र, एम.एस. विश्वविद्यालय, बड़ौदा

इस केंद्र ने देश के अन्य सहयोजित सूचना प्रणाली-संरूपों का अध्ययन पूरा किया ताकि सेवाओं की उपयोगिता बढ़ाई जा सके ।

अनुसंधान सामग्री के सार-संक्षेपण, वर्गीकरण और सूचीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई ।

अनुसंधान छात्रों को पुस्तकालय प्रचालन, पुस्तकालय सूचीकरण, केंद्र में प्राप्त पत्रिकाओं के वर्गीकरण आदि में प्रशिक्षण प्रदान किया गया ।

पुस्तकालय सूचीकरण नियमों (ए ए सी आर ज़ेड) के अनुसार पत्रिकाओं के लेखों की डाटा प्रविष्टियों की गई जिन लेखों को कम्प्यूटरीकृत सूचियों में रखा गया था उन लेखों के बारे में उन वर्गीकरण योजनाओं

का पालन किया गाया जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय सार सेवाओं द्वारा संबंधित चार सामाजिक विज्ञान विषयों के लिए स्वीकृत किया गया था ।

7.6 सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क (इन्फिलब्नेट), अहमदाबाद

उपयुक्त प्रशिक्षण नियमित रूप से चलाए जा रहे हैं ताकि पुस्तकालयों में कम्पयूटरीकरण शुरू किया जा सके । अब तक 6 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं । इनमें 5 पाठ्यक्रम प्रचालनात्मक पुस्तकालय स्टाफ के लिए एक महीने की अवधि वाले थे । पुस्तकालयाध्यक्षों एवं उप-पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए फरवरी 1994 में दो सप्ताह का एक पाठ्यक्रम आयोजित किया गया । इस पाठ्यक्रम का आयोजन आई आई एम, अहमदाबाद के सहयोग से किया गया था ।

19 और 20 फरवरी, 1994 के उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों में पुस्तकालयों के स्वचालन पर एक दो-दिवसीय राष्ट्रीय कन्वेंशन आयोजित किया गया । इस कन्वेंशन में सम्पूर्ण देश से आए लगभग 170 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और यह पूर्णतः सफल रहा । देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष इसी प्रकार के कन्वेंशन आयोजित करने की योजना बनाई जा रही है ।

कम्प्यूटर तथा सहबद्ध प्रणाली मुहैया करने के लिए वर्ष 1993-94 के लिए 11 विश्वविद्यालय पुस्तकालयों को निधियां मंजूर की गई । मानक समिति ने धारावाहिकों, पुस्तकों, शोधप्रबंधों, शोधनिबंधों के लिए मानक एवं फार्मेट निर्धारित कर दिए है । इनका प्रयोग पुस्तकालयों द्वारा डाटा आधार तैयार करने के लिए किया जाएगा । स्तरों और फार्मेटों पर एक विस्तृत पुस्तिका उन 60 विश्वविद्यालय पुस्तकालयों में वितरित कर दी गई है जिनके पास कम्प्यूटर हैं और जिनके कर्मचारियों को 'इनफ्लिब्नेट' में प्रशिक्षित किया गया है । इसके अतिरिक्त, यह पुस्तिका शेष केंद्रीय विश्वविद्यालयों को भी भेज दी गई है । इस पुस्तिका से पुस्तकालय के कर्मचारियों को डाटा प्रवृष्टि कार्य शुरू करने तथा एकरूपता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी ।

'इन्फ्लिब्नेट' ने 'एडीनेट' प्रारंभ करने की पहल की जिसमें शुरू में अहमदाबाद में पी एस टी एन के माध्यम से लगभग 25 महत्वपूर्ण संस्थाओं के पुस्तकालयों को जोड़ा जाएगा । इन पुस्तकालयों में उपलब्ध पत्रिकाओं का डाटा बेस इन्फिलब्नेट के मुख्यालय में तैयार कर दिया गया है । बुलेटिन बोर्ड की सुविधा भी शुरू कर दी गई है । इस नेटवर्क को इन्फिलब्नेट सेवाओं के लिए प्रायोगिक क्षेत्र के रूप में प्रयोग में लाने का प्रस्ताव हैं ।

7.7 शैक्षिक संचार संकाय (सी ई सी), नई दिल्ली

वि.अ.आ. के मीडिया केंद्रों की गतिविधियों का समन्वय करने और मीडिया गतिविधियों को कायम रखने और उनमें वृद्धि करने हेतु संस्थागत ढांचा उपलब्ध कराने तथा इस क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकीय प्रगति का पता लगाने और उसका उपयोग करने के लिए आयोग ने राष्ट्रीय स्तर पर एक नोडल एजेंसी के रूप

में शैक्षिक संचार संकाय (सी ई सी) की स्थापना की । नाभिकीय विज्ञान केंद्र में शैक्षिक संचार संकाय (सी ई सी) गतिविधियों को परियोजना के रूप में 1.4.1991 से शुरू किया गया था । यह संकाय 26 मई, 1993 को वि.अ.आ. अधिनियम की धारा 12 (सी सी सी) के अधीन एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था जिसका एक पूर्णकालिक निदेशक भी होगा ।

आलोच्य वर्ष के दौरान शैक्षिक संचार संकाय (सी ई सी) ने "तुर्रमतू" के लिए प्रायोजक प्राप्त किए । यह वि.अ.आ. के प्राग्विद्यालय टीवी परियोजना के अधीन तैयार किया गया 13 शैक्षिक कार्यक्रमों का एक धारावाहिक था । यह धारावाहिक प्रत्येक रविवार को 4 जुलाई, 1993 से दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित किया गया था ।

"रेस टु सेव द प्लेनेट" धारावाहिक की प्रसारित करने की बाबत आस्ट्रेलियाई टी वी से 2400 अमरीकी डालर की रायल्टी ली गई । इस धारावाहिक को पाकिस्तान टीवी पर प्रसारित करने से संबंधित बातचीत को भी अंतिम रूप दे दिया गया है । शिक्षा जगत को कार्यक्रम बेचने के लिए इसी प्रकार की बातचीत चल रही है ।

वर्ष के दौरान एक स्वंतत्र एजंसी की मदद से शैक्षिक संचार संकाय ने दर्शकों का एक सर्वेक्षण किया जिससे यह पता चला था कि हांलाकि यह कार्यक्रम उस समय में प्रसारित किया गया था जब दर्शक लोग घर पर नहीं होते फिर भी सी डब्लू सी आर को यदाकदा देखने वाले 1.9 करोड़ लोगों ने देखा । अन्य 68 लाख लोग नियमित दर्शक थे जिन्होंने इस कार्यक्रम को सप्ताह में दो से पांच बार तक देखा । आठ लाख लोग ऐसे थे जिन्होंने पूरे छह दिन इस कार्यक्रम को देखा ।

यह संकाय सी डब्लू सी आर प्रसारण के अतिरिक्त दूरदर्शन के एनरिचमेंट चैनल के माध्यम से प्रसारण के लिए शैक्षिक कार्यक्रम उपलब्ध कराता रहा है ।

शैक्षिक संचार संकाय कुछ मीडिया पाठ्यक्रमों के लिए रिकार्डिंग, संपादन एवं सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है । यह संकाय अनेक मीडिया केंद्रों को तकनीकी सहायता तथा सलाह प्रदान करता है ।

7.8 राष्ट्रीय विज्ञान सूचना केंद्र, बंगलौर

राष्ट्रीय विज्ञान सूचना केंद्र, बंगलौर (एन सी एस आई) अक्तूबर 1993 में अपने भवन में स्थानांतरित हो गया । यह केंद्र निम्नलिखित सेवाएं उपलब्ध कराता रहा है :-

सी डी - आर ओ एम डाटाबेस सेवाएं

वर्तमान अभिज्ञा सेवा के अतिरिक्त यह केंद्र सी डी - आर ओ एम डाटाबेस सेवाएं भी उपलब्ध कराता है । इसमें ग्रंथसूची संबंधी डाटाबेस का प्रयोग किया जाता है जिन्हें राष्ट्रीय विज्ञान सूचना केंद्र (एन सी एस आई), बंगलौर संहत डिस्कों (सी डी - आर ओर एम) पर प्राप्त करता है । फिलहाल, राष्ट्रीय विज्ञान

सूचना केंद्र में इंजीनियरी के 1986 से अद्यतन, बायोमेडीसिन के 1966 से अद्यतन और रसायन के 1992 से अद्यतन अवधि के डाटाबेस उपलब्ध हैं । एक अनुसंधानकर्ता सी डी आर एस के माध्यम से अपने अनुसंधान क्षेत्रों संबंधित विशेष अवधि के साहित्य का सर्वेक्षण करवा सकता है । यह केंद्र शीघ्र ही इस सेवा का विस्तार करने वाला है जिसमें जैव विज्ञानों, भौतिकी, गणित विज्ञानों, भूविज्ञान तथा कृषि विज्ञानों में सी डी - आर ओ एम डाटाबेस उपलब्ध करके और अधिक विषयों को शामिल किया जाएगा ।

'आनलाइन' खोज सेवा

'आनलाइन' खोज सेवा उन विशिष्ट अनुसंधान विषयों पर व्यापक साहित्य सर्वेक्षण उपलब्ध कराता है जो उपर्युक्त सी डी-आर ओ एम डाटाबेस में शामिल नहीं हैं । राष्ट्रीय विज्ञान सूचना केंद्र (एन सी एस आई) की पहुंच लगभग 500 डाटाबेसों तक है जो डाइलोग इन्फार्मेशन सर्विस, यू.एस.ए. में उपलब्ध है । इन डाटाबेसों में अनेक विषय यथा - विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आयुर्विज्ञान, व्यवसाय, उद्योग, वर्तमान घटनाएं आदि शामिल हैं । यह सेवा काफी खर्चीली है अतः राष्ट्रीय विज्ञान सूचना केंद्र (एन सी एस आई) प्रयोक्ता से दूरसंचार का प्रभार वसूल करता है बशर्ते कि प्रयोक्ता कोई अनुसंधानकर्ता या विश्वविद्यालय का सदस्य हो ।

उपर्युक्त सेवाओं के अतिरिक्त, राष्ट्रीय विज्ञान सूचना केंद्र (एन सी एस आई) ने अनेक प्रकार की विषयसूची पृष्ठ सेवाएं शुरू की हैं यथा - विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में पत्रिकाओं की विषय-सूची (कोप्सेट), ई-मेल आधारित विषयसूचना पेज सर्वर (सीपीसर्वर), आदि ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी में पत्रिकाओं की विषय-सूची (कोप्सेट)

उक्त केंद्र ने विश्वविद्यालयों को वर्ष 1993 की मध्यावधि में इन्फिलब्नेट के माध्यम से इस सेवा का उपलब्ध कराया जाना शुरू किया था । यह मासिक सेवा है जिसके माध्यम से प्रत्येक सहभागी विश्वविद्यालय जीव विज्ञानों, शारीरिक, रसायन, मृदा विज्ञानों, इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी तथा अनुप्रयुक्त विज्ञानों से संबंधित लगभग 300 उच्च कोटि की पत्रिकाओं में से अपनी पंसद की पत्रिका का चयन कर सकता है । पत्रिकाओं के लगभग 60 प्रतिशत सार-संक्षेपों की भी पूर्ति की जा सकती है । फिलहाल, लगभग 50 विश्वविद्यालय इस सेवा का उपयोग कर रहे है और इसके करीब 100 ग्राहक हैं ।

ई-मेल आधारित कन्टेंट पेजर सर्वर

एक सर्वर सोफ्टवेयर (सी पी सर्वर) का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एन सी एस आई) ने एक कन्टेंट पेज डाटा बेस तैयार किया है जिसका उपयोग 'इर्नेट' या इलेक्ट्रानिक मेल (ई-मेल) के द्वारा किया जा सकता है । 'इर्नेट' अनेक शैक्षिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों को जोड़ने वाला एक कम्प्यूटर नेटवर्क है ।

भारतीय विज्ञान संस्थानों में कन्टेंट पेज डाटाबेस का अंत:क्रियात्मक उपयोग

अंत:क्रियात्मक खोज़ एवं उपयोजन के लिए भारतीय विज्ञान संस्थानों में कैम्पस कम्प्यूटर नेटवर्क पर भी कन्टेंट पेज डाटा बेस को उपलब्ध कराया जा सकता है । डाटा-बेस और उपयोजन सोफ़्टवेयर को सुपर कम्प्यूटर शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र (एस ई आर सी) में कम्प्यूटर में भरा जाता है । इसका उपयोग संस्थान के सभी विभागों में उपलब्ध कैम्पस नेटवर्क टर्मिनलों से किया जा सकता है ।

प्रलेख वितरण सेवा

राष्ट्रीय विज्ञान सूचना केंद्र (एन सी एस आई) अपनी उपर्युक्त सेवाओं को सूचना सेवाओं की अनुवर्ती सेवाओं के रूप में प्रलेख वितरण सेवा (डी डी एस) उपलब्ध कराता रहा है । अपेक्षित संदर्भ एवं सार-संक्षेप प्राप्त करने के बाद प्रयोक्ताप्रलेख वितरण सेवा (डी डी एस) के माध्यम से सम्पूर्ण वस्तुओं के लिए आर्डर दे सकता है ।

7.9 मानविकी तथा सामाजिक विज्ञानों के लिए अंतर्विश्वविद्यालय केंद्र, शिमला

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान के बीच जनवरी 1991 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए ताकि भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से मानविकी तथा सामाजिक विज्ञानों के लिए अंतर्विश्वविद्यालय केंद्र के रूप में काम कर सके ।

समन्वय समिति द्वारा तीन प्रकार के कार्यक्रम तैयार किए गए -

(i) अंतर्विश्वविद्यालय केंद्र के एसोशिएटों के रूप में संस्थान के लिए विश्वविद्यालयों एवं कालेजों से शिक्षक आमंत्रित करना;

(ii) विश्वविद्यालयों और कालेजों में अनुसंधानकर्ताओं और युवा शिक्षकों के लिए "अनुसंधान संगोष्ठियाँ" आयोजित करना; और

(iii) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रकार की महत्वपूर्ण समस्याओं पर चर्चा करने के लिए "अध्ययन सप्ताह" आयोजित करना ।

वर्ष 1993-94 के दौरान अंतर्विश्वविद्यालय केंद्र में एसोशिएटों के रूप में 43 शिक्षक आए । आलोच्य वर्ष के दौरान (7-16 सितम्बर, 1993 तक) "साहित्य में सत्य और दर्शन में रूपक" विषय पर एक अनुसंधान संगोष्ठी आयोजित की गई जिसमें 6 संकाय सदस्यों और 17 शिक्षकों और स्कालरों ने भाग लिया ।

अध्ययन सप्ताह

वर्ष के दौरान निम्नलिखित अध्ययन सप्ताह आयोजित किए गए :-

1. "विद्यमान समाजवादी राज्य पद्धति की विफलता" जिसमें 27 स्कालरों ने भाग लिया ।
2. "भारत में संघवाद" जिसमें 18 स्कालरों ने भाग लिया ।
3. "भारतीय परम्परा में साक्षरता और संचार" जिसमें 16 स्कालरों ने भाग लिया ।

पत्रिका

यह निर्णय लिया गया है कि आई यू सी, शिमला के तत्वावधान में एक पत्रिका निकाली जाए और जिसका नाम हो, "स्टडीज़ इन ह्यूमेनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस" ।

7.10 राष्ट्रीय सूचना केंद्र, एस एन डी टी महिला विश्वविद्यालय

यह केंद्र सम्पूर्ण भारत के लगभग 4000 प्रयोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरी करता है और करीब 50000 संदर्भ सप्लाई करता है । परिवर्तन एवं साहित्य खोज सेवाओं में लगभग 40 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । दो प्रकार की एस डी आई सेवाएं प्रदान की जाती हैं :- एक विषयनिष्ठ होती है और दूसरी जोकि प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई थी चुनिंदा पत्रिकाओं के कन्टेंट पृष्ठों से संबंधित होती है । डाटाबेसों का प्रयोग समाजशास्त्र तथा गृहविज्ञान संकाय द्वारा व्यापक रूप से किया जाता है ।

7.11 खगोल भौतिकी में पूर्वी अनुसंधान केंद्र (ई सी आर ए), कलकत्ता

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने खगोल भौतिकी में अनुसंधान के पूर्वी केंद्र (ई सी आर ए) की स्थापना की है । इसका उद्देश्य भारत के पूर्वी भाग में एक सर्वश्रेष्ठ खगोल भौतिकी ग्रुप की स्थापना करना है । खगोल भौतिकी में अनुसंधान का पूर्वी केंद्र (ई सी आर ए) का उद्घाटन भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति ने अक्तूबर 8, 1993 को किया था । यह केंद्र शुरू में विशेषतः सौर रेडियो खगोलिकी के क्षेत्र में कलकत्ता क्षेत्र में प्रायोगिक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा । भविष्य में आकाशगंगेय तथा पराआकाशगांगेय रेडियो खगोलिकी की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी ।

इसके अतिरिक्त, ई सी आर ए रेडियो खगोलिकी प्लानर में जिन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को शुरू करने वाले हैं उनसे राष्ट्र की प्रमुख सुविधाओं यथा - जी एम आर टी. (विशाल मीटरवेव रेडियो दूरबीन पुणे) ओ आर टी (ऊटी रेडियो दूरबीन, ऊटी) गौरी बिदानूर रेडियो दूरबीन, आई आई ए, बंगलौर तथा मिलीमीटर तरंग रेडियो दूरबीन आर.आर.आई., बंगलौर के इष्टतम उपयोग के लिए चिर-उपेक्षित जनशक्ति तैयार की जाएगी । ई सी आर ए एक सहयोग कार्यक्रम के रूप में काम करेगा जिससे पहली बार में

निम्नलिखित संस्थाएं संबद्ध होंगी — कलकत्ता विश्वविद्यालय, जादवपुर विश्वविद्यालय, कल्याणी विश्वविद्यालय, एस एन बोस राष्ट्रीय आधारी विज्ञान केंद्र और साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान और बाद में राष्ट्रीय अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संगठनों, एन सी आर ए तथा आई यू सी सी ए, पुणे विश्वविद्यालय कैम्पस, पुणे से वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहायताप्राप्त कुछ अन्य संस्थाएं ।

7.12 एम एस टी राडार अनुप्रयोगों के लिए यू.जी.सी./एस.वी.यू. केंद्र, तिरुपति

वर्ष 1993-94 के दौरान भारतीय एम एस टी राडार को एम एस टी मोड में पूर्णतः प्रचालनात्मक बना दिया गया है । इस भारतीय राडार के चालू किए जाने के परिणामस्वरूप मध्य वायु मंडलीय गतिकी का विस्तृत अध्ययन किया जा सकेगा । 7 x 10^8 Wm^2, शक्ति द्वारक उत्पन्न करने, 150 मि. की उत्कृष्ट उच्चता वियोजन, 0.18 एम/एस के वेग वियोजन, 150 मि० के समय वियोजन, 80 से. के समय वियोजन, निम्न अक्षांश क्षेत्र में इसकी अद्वितीय अवस्थिति तथा श्रीहरिकोटा राकेट रेंज (एसएचएआर) से निकट होने के कारण भारतीय एम एस टी राडार विश्व में अपनी किस्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण राडार बन गया है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति के भौतिकी विभाग में एम एस टी राडार अनुप्रयोगों के लिए एक यू जी सी - एस वी यू केंद्र स्थापित किया है ताकि देश में विश्वविद्यालय एवं संस्थाओं के वैज्ञानिक इस सर्वश्रेष्ठ राडार सुविधा का उपयोग कर सकें । इस केंद्र में एम एस टी राडार के प्रक्रमण के लिए एक आफ लाइन डाटा संसाधन सुविधा की स्थापना की गई है । इसकी सिफारिश एम एस टी राडार उपयोग (एस ए सी - एम एस टी राडार) के लिए वैज्ञानिक सलाहकार समिति ने की थी । इस आफ-लाइन डाटा संसाधन सुविधा का उपयोग विभिन्न विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों द्वारा किया जा रहा है ।

एम एस टी राडार डाटा के संसाधन के लिए सोफ्टवेयर का विकास कर लिया गया है । वायुमंडलीय गति विज्ञान पर प्रकाशित लेखों से संबंधित अनेक समीक्षात्मक निबंध एवं रिप्रिंट एकत्र कर लिए गए हैं और उन्हें प्रयोक्ता वैज्ञानिकों को उपलब्ध कराया जाता है । केंद्र ने एक शीतकालीन स्कूल आयोजित किया है जिसमें विश्वविद्यालय क्षेत्रक एवं राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के स्कालरों ने भाग लिया ।

आलोच्य वर्ष के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों के सात संकाय सदस्यों ने भारतीय एम एस टी राडार के एस टी प्रकार पर प्रयोग किये ।

8
भारतीय संस्कृति, विरासत और मूल्यों का संवर्धन तथा परिरक्षण

8.1 गांधी अध्ययन

इस योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों में गांधी अध्ययन केंद्र स्थापित करने तथा शिक्षकों और छात्रों को महात्मा गांधी के विचारों से अवगत कराने के लिए कार्यक्रम आयोजित करने हेतु 100 प्रतिशत आधार पर सहायता प्रदान करता है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में एक स्थायी विशेषज्ञ समिति है जो इस संबंध में विश्वविद्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करती है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 31.3.1994 तक विभिन्न विश्वविद्यालयों में 12 गांधी अध्ययन केंद्र और 8 गांधी भवन स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान की ।

8.2 बौद्ध अध्ययन

आयोग बौद्ध अध्ययनों को बढ़ावा देने के लिए कुछ चुने हुए विश्वविद्यांलयों को योजना के लिए आबंटित राशि के अतिरिक्त शत-प्रतिशत आधार पर सहायता प्रदान करता रहा है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 31.3.1994 तक बौद्ध अध्ययन केंद्र स्थापित करने के लिए चार विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान की ।

8.3 नेहरू अध्ययन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मार्ग-निर्देशों के अनुसार जो विश्वविद्यालय गांधी अध्ययनों पर कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं वे अपने कार्यक्रमों में नेहरू अध्ययनों को भी शामिल कर सकते हैं ताकि आधार-संरचना का विस्तार न हो । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेहरू अध्ययन कार्यक्रमों के लिए 100 प्रतिशत आधार पर सहायता प्रदान करता है । तद्नुसार, जिन विश्वविद्यालयों में गांधी अध्ययन केंद्र स्थित हैं वे नेहरू अध्ययन कार्यक्रम भी संचालित कर रहे हैं । इसका उद्देश्य वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नेहरू दर्शन एवं दृष्टिकोण तथा उनके विचारों की प्रासंगिकता का ज्ञान कराना हैं । गांधी/नेहरू/बौद्ध अध्ययनों से संबंधित योजनाओं के अंतर्गत इन अध्ययनों के लिए केंद्र और पुस्तकालय एवं वाचनालय स्थापित करने, 3 से 6 महीने तक की अवधि वाले अंशकालिक पाठ्यक्रम संचालित करने, इन अध्ययनों पर पाठ्यक्रम या पेपर संचालित करने वाले अन्य विभागों को शिक्षण सहायता प्रदान करने, अनुसंधान कार्य करने तथा संगोष्ठियाँ आदि आयोजित करने के लिए यू.जी.सी. से सहायता उपलब्ध की जा सकती है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजना अवधि के दौरान एक बार विशेषज्ञ-निरीक्षण समितियों के माध्यम से इन केंद्रों के

कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करता है । यदि केंद्र का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो वि.अ.आ द्वारा दी गई सहायता को बंद किया जा सकता है ।

8.4 क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र (भंजा साहित्य)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र, भंजा साहित्य के लिए बरहामपुर विश्वविद्यालय को सहायता प्रदान करता रहा है । यह केंद्र क्षेत्रीय साहित्य विशेषतः उपेंद्र भंजा के साहित्य से संबंधित अनुसंधान सामग्री एकत्र कर रहा है ।

8.5 मणिपुरी अध्ययन एवं अनुसंधान केंद्र तथा जनजातीय अध्ययन केंद्र

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल के दो केंद्रों को सहायता प्रदान करता रहा है । इनमें से एक है, मणिपुरी भाषा, साहित्य, संस्कृति, पांडुलिपि विज्ञान आदि के विषय में अनुसंधान करने के लिए स्थापित किया गया केंद्र और दूसरा है, मणिपुर के जनजातीय विकास के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पक्षों की अंतःविद्याशाखा अनुसंधान परियोजनाओं के लिए स्थापित किया गया जनजातीय अध्ययन केंद्र ।

8.6 मूल्यपरक शिक्षा

मूल्यपरक शिक्षा का उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों में समान रूप से उन सभी वांछनीय मूल्यों को बढ़ावा देना है जो राष्ट्रीय अस्मिता, शांतिप्रिय एवं सामंजस्यपूर्ण समाज को कायम रखने के लिए आवश्यक हैं । चूंकि समाज के विभिन्न अंगों में व्यावसायिक प्रवृत्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है और रोजगार प्राप्त करने के लिए कठिन प्रतियोगिता से गुजरता पड़ता है अतः उक्त परीक्षाओं में अच्छी तरह सफल होने के लिए छात्र और शिक्षक परीक्षा निष्पादन से संबंधित पहलुओं कों छोड़कर अन्य सभी पहलुओं की अनदेखी करने के लिए बाध्य हो रहे हैं । आमतौर पर यह देखने में आया है कि शिक्षा प्रणाली में मूल्य शिक्षा संबंधी अपेक्षाएं पर्याप्त रूप से पूरी नहीं की जा रही हैं जिसका परिणाम यह हुआ है कि वे मूल्य तेजी से नष्ट होते जा रहे है जिनके आधार पर नागरिकों के व्यवहार और राष्ट्रीय जीवन की गुणवत्ता का निर्धारण होता है । अतः मूल्यपरक शिक्षा की योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालयों और कालेजों को मूल्य संबंधी शिक्षा कार्यक्रमों के लिए सहायता उपलब्ध कराना है ।

इस योजना के अंतर्गत मूल्य-शिक्षा के औपचारिक पाठ्यक्रमों के लिए सहायता उपलब्ध नहीं की जा सकती । विशेष रूप से तैयार किए गए उन्हीं कार्यक्रमों को निर्धारित अवधि अर्थात् 2 या 3 वर्ष के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाएगी जिन्हें परियोजना के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा । विश्वविद्यालय से यह आशा की जाती है कि वह एक या दो ऐसे संकाय सदस्यों का पता लगाएगा जो मूल्य शिक्षा में रुचि रखते हों और इस संबंध में एक परियोजना प्रस्ताव तैयार कर सकें । नेमी कार्यों यथा–ममूल्य पुस्तकें प्रकाशित कराने या साहित्य की नेमी तैयारी या वितरण करने अथवा दूरस्थ स्थानों के लिए अध्ययन

दौरे आयोजित करने के लिए सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाएगी ।

8.7 प्रदर्शन कलाओं, संग्रहालय तथा पुरालेख सेलों का विकास

आयोग ललित कलाओं के विकास और प्रदर्शन कलाओं, संग्रहालयों तथा पुरातत्व अध्ययनों और पुरालेख तथा संग्रहालय विज्ञान के पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने में विशेष रुचि लेता रहा है ।

8.8 कार्यमूलक हिंदी पाठ्यक्रम

हिंदी शिक्षा समिति, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने चुनिंदा विश्वविद्यालयों को अनुवाद तथा पत्रकारिता - प्रत्येक में क्रमशः दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए अनुदान मंजूर किया है ।

प्रत्येक राज्य से यह आशा की जाती है कि वह प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए दो विश्वविद्यालयों का चयन करेगा । आयोग एक प्रोफेसर, एक रीडर की नियुक्ति और पुस्तकों तथा पत्रिकाओं की खरीद तथा अतिथि लेक्चररों को मानदेय प्रदान करने के लिए अनुदान देगा ।

विधि तथा अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए आयोग ने रु. 10 लाख का प्रावधान किया है ।

9
तकनीकी, इंजीनियरी और कम्प्यूटर शिक्षा का विकास तथा सुविधाएं

9.1 इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी का विकास

वर्ष 1993-94 के अंत तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान कार्यक्रम संचालित करने तथा विश्वविद्यालय विभागों में इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के छात्रों को स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां/वरिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियां प्रदान करने के लिए 35 विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा था ।

आलोच्य वर्ष के दौरान आयोग ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की सिफारिशों के आधार पर अपनी सहायता के रूप में इनमें से दो विश्वविद्यालयों में नए एम.ई./एम.टेक. पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए भी अनुमोदन प्रदान किया । शैक्षिक भवनों, छात्रावास आदि के निर्माण और पुस्तकालय एवं प्रयोगशालाओं के सुधार तथा संकाय को मजबूत बनाने के लिए भी सहायता उपलब्ध कराई जाती है ।

इस शीर्ष के अंतर्गत आयोग अनुमोदित स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए निम्नलिखित संस्थाओं को भी अनुरक्षण अनुदान प्रदान करता है : अन्ना विश्वविद्यालय (मद्रास), थापर इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान (पटियाला), बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान (मेसरा, रांची) और डब्लू आर डी टी सी तथा भूचाल इंजीनियरी स्कूल, रुड़की विश्वविद्यालय ।

वर्ष 1993-94 के दौरान इस प्रयोजन के लिए रु० 1261.61 लाख का अनुदान जारी किया गया ।

9.2 कम्प्यूटर सुविधाओं एवं कम्प्यूटर शिक्षा का विकास

विश्वविद्यालयों में कम्प्यूटर सुविधाएं

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कम्प्यूटर सुविधाएं स्थापित करने और उनका उन्नयन/संवर्धन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है ।

आलोच्य वर्ष के दौरान कम्प्यूटर केंद्र स्थापित करने के लिए दो और विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान की गई । इस प्रकार, 1993-94 के अंत तक कम्प्यूटर केंद्र स्थापित करने के लिए सहायताप्राप्त विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़कर 114 हो गई ।

इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान वर्तमान कम्प्यूटर केंद्रों का उन्नयन/संवर्धन किया गया । इस प्रयोजन के लिए रु. 5.85 करोड़ का अनुदान जारी किया गया ।

इस क्षेत्र में लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों को यू. जी.सी. - डी ओ ई संयुक्त कार्यक्रम के अंतर्गत जनशक्ति विकास के अनेक कार्यक्रमों के संचालन के लिए भी सहायता प्रदान करता रहा है । इसका ब्योरा निम्नलिखित सारणी में दिया गया है :-

सारणी 9.1
कम्प्यूटर पाठ्यक्रम

पाठ्यक्रम	सहायताप्रदत्त विश्वविद्यालयों की संख्या
मास्टर आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन	53
कम्प्यूटर विज्ञान में बी.टेक./बी.ई.	10
कम्प्यूटर विज्ञान में एम.टेक./एम.ई.	6

कालेजों में कम्प्यूटर सुविधाएं

आयोग कम्प्यूटरों के प्रयोग के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए प्रति कालेज रु. 1.25 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है ।

वर्ष के दौरान, इस योजना के अंतर्गत 196 कालेजों को सहायता प्रदान की गई । इस प्रकार, वर्ष 1993-94 तक सहायताप्राप्त कालेजों की कुल संख्या 1616 हो गई । आलोच्य वर्ष के दौरान इस प्रयोजन के लिए कालेजों को रु. 3.12 करोड़ की राशि जारी की गई ।

9.3 कालेज शिक्षकों का प्रशिक्षण

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उन कालेजों में कम्प्यूटरों के प्रयोग के बारे में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की एक योजना तैयार की है जिनको कम्प्यूटर खरीदने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई है । जिन विश्वविद्यालयों से ये कालेज संबद्ध हैं उन विश्वविद्यालयों को प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है । एक वर्ष में तीन कार्यक्रम संचालित करने के लिए प्रथम चरण में इस योजना के अंतर्गत बत्तीस विश्वविद्यालय शामिल किए गए हैं ।

9.4 स्नातकोत्तर स्तर पर कम्प्यूटर अनुप्रयोग

जिन विषयों में कम्प्यूटर अनुप्रयोग आवश्यक बन गया है उनमें स्नातकोत्तर स्तर पर एक अतिरिक्त प्रश्न पत्र शुरू करने के लिए, विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु आयोग ने एक योजना तैयार की है । प्रारंभ में वि.अ.आ. ने इस योजना में शामिल किए जाने के लिए भौतिकी, रसायन, गणित,

सांख्यिकी, भू-विज्ञान, अर्थशास्त्र, पुस्तकालय-विज्ञान तथा वाणिज्य विषयों की पहचान की है । पहली बार में इस योजना के अंतर्गत ग्यारह विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है ।

9.5 प्रबंध अध्ययनों का विकास

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रबंध अध्ययनों में कार्यक्रम संचालित करने के लिए विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को सहायता प्रदान करता रहा है ।

31.3.1994 तक आयोग इन कार्यक्रमों को चलाने के लिए 46 विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा था । आलोच्य वर्ष के दौरान इस प्रयोजन के लिए रु. 242.91 लाख जारी किए गए ।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की सिफारिशों पर आयोग शैक्षिक वर्ष 1993-94 से भावनगर विश्वविद्यालय में एम.बी.ए. कार्यक्रम शुरू करने के वास्ते सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हो गया । आयोग ने यह भी निर्णय लिया कि 8वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उन सभी विश्वविद्यालयों को निम्नलिखित सहायता प्रदान की जा सकती है जिन्होंने पांच वर्ष पूरे कर लिए हैं और वि.अ.आ. से पांच वर्ष के लिए सहायता भी प्राप्त कर ली है :

(i) उपस्कर	–	रु. 6.00 लाख
(ii) पुस्तकालय की पुस्तकें और पत्रिकाएं	–	रु. 5.00 लाख
(iii) अतिथि संकाय	–	रु. 2.00 लाख
(iv) कम्प्यूटर व्यय	–	रु. 1.00 लाख
(v) यात्रा	–	रु. 1.00 लाख

10
अनौपचारिक शिक्षा

10.1 प्रौढ़, अनुवर्ती तथा विस्तार शिक्षा

प्रौढ़, अनुवर्ती तथा विस्तार शिक्षा का लक्ष्य यह है :-

(i) निरक्षरता का उन्मूलन ।

(ii) अनुवर्ती शिक्षा का संवर्धन ।

(iii) जनसंख्या शिक्षा का संवर्धन ।

(iv) विधिक साक्षरता का संवर्धन और विभिन्न विकास कार्यक्रमों की जानकारी ।

(v) विज्ञान शिक्षा और प्रौद्योगिकी अंतरण के लिए सहायता ।

(vi) अन्य कल्याण एवं सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का संवर्धन ।

इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आलोच्य वर्ष के दौरान सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के कार्यान्वयन के लिए विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता देना जारी रखा । यह सहायता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने गत वर्ष विश्वविद्यालयों को परिचालित किए गए संशोधित मार्ग-निर्देशों के अनुसार अपने प्रौढ़, अनुवर्ती एवं विस्तार शिक्षा विभागों के माध्यम से प्रदान की । इन मार्ग–निर्देशों में यह परिकल्पना की गई है कि राज्य स्तरीय नोडल एजेंसियों/विश्वविद्यालयों के माध्यम से आंतरिक मूल्यांकन/परिवीक्षण प्रणाली शुरू की जानी चाहिए । फिलहाल, ऐसी एजेंसियों की संख्या 13 है ।

वर्ष 1993-94 के अंत में इस योजना के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों की स्थिति इस प्रकार थी :-

1.	सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के लिए निधिप्रदत्त विश्वविद्यालयों की संख्या	–	83
2.	इन विश्वविद्यालयों के कालजों की संख्या (इनमें वे 5 स्वायत्त कालेज भी शामिल है जिनको धनराशि दी जा रही है)	–	1300
3.	नव-साक्षरों की लक्ष्य-संख्या जिन्हें साक्षर बनाया जाना है	–	253793
4.	साक्षर बनाए गए व्यक्तियों की संख्या	–	195000
5.	अनुमोदित सी ई सी की संख्या	–	1038
6.	जन शिक्षण निलयमों की संख्या	–	742

10.2 जनसंख्या शिक्षा

विश्वविद्‌यालय अनुदान आयोग जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम के संवर्धनार्थ विश्वविद्‌यालयों/कालेजों को सहायता प्रदान करता रहा है । इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन यू.एन.एफ.पी.ए. यू जी सी परियोजना के भाग के रूप में उन जनसंख्या शिक्षा संसाधन केंद्रों (पी ई आर सी) तथा कार्यकारी ग्रुपों के माध्यम से किया जाता है जो विश्वविद्‌यालयों/कालेजों द्‌वारा संचालित ऐसे कार्यक्रमों के लिए समर्थन सेवाएं उपलब्ध कराते हैं ।

प्रथम चरण के दौरान इस योजना के कार्यान्वयन का मूल्यांकन एजूकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया, लि., नई दिल्ली के माध्यम से कराया गया । मूल्यांकन दल ने यह टिप्पणी दी कि यद्‌यपि इस परियोजना से उच्च शिक्षा प्रणाली पर कुछ अच्छा असर पड़ा है फिर भी, काफी कुछ करना बाकी है । मूल्यांकन दल ने सिफारिश की कि इस परियोजना को अगले कार्यक्रम तक जारी रखा जाए । तद्‌नुसार, विश्वविद्‌यालय अनुदान आयोग ने यू एन एफ पी ए से अनुरोध किया है कि वह विश्वविद्‌यालयों के माध्यम से इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 1996 तक सहायता देना जारी रखे । जनसंख्या शिक्षा चरण-II से संबंधित यू एन एफ पी ए - यू.जी.सी. परियोजना का अनुमोदन यू एन एफ पी ए और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कर दिया है कि इसका कार्यान्वयन भारत में विश्वविद्‌यालयों के माध्यम से किया जाए । इस परियोजना के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण जनसंख्या शिक्षा एकक द्‌वारा किया जाएगा जो विश्वविद्‌यालय अनुदान आयोग में स्थापित किया जाएगा ।

10.3 'एड्स' नियंत्रण के लिए कार्ययोजन.

विश्वविद्‌यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्‌यालयों और कालेजों की सहायता से 'एड्स' की रोकथाम और उस पर नियंत्रण के लिए एक कार्ययोजना तैयार की है ताकि शैक्षिक वर्ष 1994-95 से आवश्यक कार्रवाई शुरू की जा सके ।

विश्वविद्‌यालयों को परिचालित की गई कार्ययोजना में यह विचार किया गया है कि जनसंख्या शिक्षा संसाधन केंद्रों और चिकित्सा विशेषज्ञों की सहायता से स्वाध्याय पाठ्‌यक्रम शुरू करके और सूचना का प्रसार करके 'एड्स' की रोकथाम की जाए और उस पर नियंत्रण पाया जाए ।

सूचना विवरणिकाएं तैयार करना, पाठ्‌यक्रम सामग्री तैयार करना, वादविवाद, निबंध लेखन, चित्रकारी एवं अन्य प्रतियोगिताओं के माध्यम से जानकारी देना ।

एन एस एस और एन सी सी के माध्यम से सामुदायिक सेवाओं की व्यवस्था और वि.अ.आ. के देशव्यापी कक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से प्रचार और 'एड्स', जनसंख्या शिक्षा, पर्यावरण तथा नशीले पदार्थों के सेवन पर पुस्तकें खरीदने के लिए विश्वविद्‌यालयों तथा कालेजों को अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध कराना ।

10.4 दूरस्थ शिक्षा/पत्राचार पाठ्यक्रम

वैकल्पिक पद्धतियों का उपयोग करने हुए शिक्षा की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने और समाज के सुविधावंचित वर्गों को शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करने के लिए आयोग विश्वविद्यालयों को दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम/पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू करने के किए मूल राशि के रूप में पहले पांच वर्ष के लिए रु. 10 लाख तक की सहायता प्रदान करता रहा है । इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पांच वर्ष बाद पूर्वस्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को संचालित करने के लिए क्रमशः रु. 5.00 लाख और रु. 7.50 लाख की सहायता प्रदान करता है । यह सहायता प्रत्येक पांच वर्ष के बाद सतत आधार पर उपलब्ध होती रहती है ।

31.3.1994 तक 44 विश्वविद्यालयों द्वारा दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम तथा पत्राचार पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे थे ।

आलोच्य वर्ष के दौरान दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने/उनकी संख्यां बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालयों से 12 प्रस्ताव प्राप्त हुए ।

विश्वविद्यालयों को मार्गनिर्देश परिचालित किए गए जिनमें उनको यह सलाह दी गई कि वे अपने वर्तमान पत्राचार पाठ्यक्रम संस्थानों (सी सी आई) का उन्नयन दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में कर दें ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के आधार पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने दूरस्थ शिक्षा परिषद् की स्थापना की है । इसका उद्देश्य दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में स्तरों का निर्धारण एवं अनुरक्षण करना है ।

आलोच्य वर्ष के दौरान दूरस्थ शिक्षा पर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड समिति की रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत की गई । उक्त रिपोर्ट में न केवल भारत में दूरस्थ शिक्षा की संकल्पना, विकास, उद्देश्यों एवं स्तर पर विचार किया गया है बल्कि इन बातों पर भी विचार किया गया है - मुक्त शिक्षा तथा दूरस्थ शिक्षा का विकास एवं दिशाएं, पत्राचार पाठ्यक्रमों को दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में अभिविन्यस्त करने के उपाय, मुक्त विश्वविद्यालय की भूमिका और इलैक्ट्रानिक मीडिया का प्रयोग तथा दूरस्थ शिक्षा में नई संचार प्रौद्योगिकी ।

10.5 योजना फोरम

योजना फोरम स्कीम में संशोधन कर दिया गया है और यह विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के अधीन कार्य करती रहेगी । इस स्कीम के लिए प्रति यूनिट रु. 10,000/- की सहायता दी जाएगी ।

11
मानव संसाधन विकास, शिक्षण और अनुसंधान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐसे विभिन्न कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता देता रहा है जो शिक्षकों और अनुसंधानकर्ताओं को उनके विषयों के अद्यतन विकास से अवगत रखने तथा उनकी व्यावसायिक योग्यता बढ़ाने के अवसर प्रदान करते हैं ।

11.1 संगोष्ठियां, परिचर्चाएं, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, कार्यशालाएं आदि

संशोधित मार्ग-निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्नातकोत्तर कालेजों को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केवल संगोष्ठियां, परिचर्चाएं आदि आयोजित करने के लिए सहायता प्रदान करता है । कालेजों को राष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठियों और सम्मेलन आयोजित करने के लिए रु. 20,000/- से लेकर रु. 50.00/- तक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठियां और सम्मेलन आयोजित करने के लिए रु. 1,00,000/- तक सहायता प्रदान की जाती है । अनुमोदित मानकों के अनुसार असमनुदेशित अनुदान योजना के अंतर्गत इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ।

आयोग "नीपा" आदि जैसी विश्वविद्यालयेतर संस्थाओं द्वारा आयोजित इसी प्रकार के कार्यकलापों में भाग लेने के लिए विश्वविद्यालय और कालेज शिक्षकों को यात्रा भत्ता /दैनिक भत्ता भी प्रदान करता हैं ।

11.2 अंग्रेजी भाषा के शिक्षण को सुदृढ़ बनाना

आयोग ने ब्रिटिश काउंसिल और केंद्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद (सी आई ई एफ एल) के सहयोग से अंग्रेजी भाषा शिक्षण (ई एल टी) के लिए विशेषीकृत ग्रीष्मकालीन संस्थाओं के आयोजन के लिए विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करना जारी रखा । इस प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा शिक्षण केंद्रों के रूप में 15 विश्वविद्यालयों का पता लगाया गया है ।

11.3 राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

इस योजना के तहत विश्वविद्यालयों में काम करने वाले उत्कृष्ट प्रोफेसर न्यूनतम शिक्षण जिम्मेदारियों के साथ अनुसंधान और अध्ययन कार्य कर सकते हैं । इस अध्येतावृत्ति के लिए केवल वे प्रोफेसर पात्र हैं जिनकी आयु नामन के समय 55 वर्ष से कम हैं और जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के अनुसार अपनी अधिवर्षिता से पहले कम से कम दो वर्ष तक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं । किसी नियत अवधि के दौरान पचास स्थान उपलब्ध हो सकते हैं । वर्ष 1993-94 के दौरान आयोग ने कालेजों के उत्कृष्ट शिक्षकों पर भी इस योजना को लागू किया ।

अध्येतावृत्ति की अवधि के दौरान अध्येतावृत्ति प्राप्त करने वाले शिक्षकों को सचिवालयीन सहायता, यात्रा तथा आकस्मिक व्यय के लिए प्रति वर्ष रु. 20,000/- के अव्यपगतनीय अनुदान के अतिरिक्त उनका सामान्य वेतन, भत्ते तथा प्रति मास रु. 600/- का अध्येतावृत्ति भत्ता भी मिलता है । वर्ष 1993-94 के दौरान आयोग ने इस योजना के तहत 2 अध्येताओं का चयन किया ।

11.4 अभ्यागत एसोशिएटशिप

इस योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालयों/कालेजों में विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञानों, इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी के उत्कृष्ट शिक्षकों को इस उद्देश्य से सहायता प्रदान करना है कि वे अल्पावधि तक काम करने के लिए उच्च अध्ययन एवं अनुसंधान संस्थाओं का दौरा करेंगे ताकि वे उनकी रुचि के विषयों में हुए अद्यतन विकासों से अवगत रह सकें ।

इस योजना के अधीन प्रतिवर्ष 100 स्थान उपलब्ध हो सकते हैं । एसोशिएटशिप का कार्यकाल दो वर्ष के लिए है जिसके दौरान अभ्यागत एसोशिएटशिप प्राप्त करने वाला मेजबान संस्था में कम से कम 60 दिन व्यतीत करता है ।

11.5 अतिथि/अंशकालिक शिक्षक

विश्वविद्यालय और कालेज अतिथि/अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्ति अपवाद रूप से ऐसे विशेषीकृत क्षेत्रों/विषयों में करते हैं जिनमें शिक्षण को पूर्णता प्रदान करने के लिए व्यावसायिक विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है । यह नियुक्ति ऐसी स्थिति में भी की जाती हैं जहां कार्यभार इतना नहीं होता कि पूरे शैक्षिक वर्ष के लिए पूर्णकालिक नियमित शिक्षक की नियुक्ति उचित ठहराई जाए । यदि प्रति सप्ताह कार्यभार 7-10 घंटे हो तो ऐसे शिक्षकों को रु. 1000/- प्रति मास का मानदेय दिया जाता है ।

11.6 अभ्यागत प्रोफेसर/अध्येता

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों को मानदेय/भत्ते के आधार पर अभ्यागत प्रोफेसरों/अध्येताओं की नियुक्ति के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है । अभ्यागत प्रोफेसर को देय मानदेय की राशि रु. 5000/- प्रति मास तक होती है जबकि अभ्यागत अध्येता को रु. 200/- दर से दैनिक भत्ता दिया जाता है । इस प्रयोजन के लिए आयोग द्वारा प्रत्येक विश्वविद्यालय को दी जाने वाली सहायता राशि का निर्धारण उसे 8वीं योजना में सामान्य विकास के लिए आबंटित की गई राशि के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है ।

आयोग ने निर्णय लिया कि वर्ष 1990-91 में विश्वविद्यालयों में अभ्यागत संकाय के कुछ पद बनाए जाएं ताकि कश्मीर विश्वविद्यालय और उसके संबद्ध कालेजों के वर्ग 'क' 'ख' और 'ग' के शिक्षकों को शिक्षण/अनुसंधान कार्य सौंपा जा सके । इन वर्गों के शिक्षकों को प्रतिमास क्रमशः रु. 2500/-,

रु. 3000/- और रु. 4500/- का समेकित मानदेय दिया जाएगा । ये शिक्षक उपर्युक्त मानदेय के अतिरिक्त, भी अपने मूल विश्वविद्यालय और संबद्ध कालेजों से वेतन पाने के हकदार भी रहेंगे । अभ्यागत संकाय का कार्यकाल एक शैक्षिक वर्ष होगा ।

आयोग के पास संस्कृत, पाली, प्राकृत, अरबी और फारसी के पारंपरिक स्कालरों को विश्वविद्यालय प्रणाली में शामिल करने की योजना भी है । इस योजना के अंतर्गत नियुक्ति एक वर्ष के लिए होगी और चुने गए पारंपरिक स्कालरों को अभ्यागत प्रोफेसरों के समान मानदेय दिया जाएगा । चुने गए स्कालर निर्दिष्ट विश्वविद्यालयों में संकाय सदस्यों और अनुसंधान स्कालरों को परामर्श, मार्ग दर्शन और व्याख्यान तथा अनौपचारिक वार्ता देने के लिए उपलब्ध होंगे । यदि कुछ स्कालर अपनी जीवन शैली के कारण अपना निवास स्थान छोड़ने में असमर्थ हों तो विश्वविद्यालय/कालेज के शिक्षक और शोध छात्र मार्गदर्शन और परामर्श के लिए उनके पास जा सकेंगे और उन्हें उचित यात्रा/दैनिक भत्ता दिया जाएगा ।

11.7 शिक्षक अध्येतावृत्तियां

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक वर्ष की अल्पकालीन शिक्षक अध्येतावृत्तियां प्रदान करता है ताकि संबद्ध कालेजों के शिक्षक एम.फिल. या पी. एच.डी. कर सकें । इस योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है:

- यह योजना केवल ऐसे कालेजों पर लागू होगी जो आठवीं योजना के दौरान विकास सहायता पाने के हकदार हैं ।
- प्रत्येक कालेज में 5 स्थायी शिक्षकों के पीछे एक वर्ष की अवधि की एक शिक्षक अध्येतावृत्ति दी जाएगी । लेकिन ऐसी अध्येतावृत्तियों की अधिकतम संख्या 8 होगी ।
- शिक्षकों का चुनाव एक चयन समिति करेगी जिसका गठन इसी प्रयोजन से किया जाएगा ।

शिक्षकों को प्रतिमास रु. 750/- का निर्वाह व्यय भत्ता और अनुसंधान केंद्र से जाने-आने का यात्रा भत्ता दिया जाएगा । मानविकी और सामाजिक विज्ञान के विषयों में प्रतिवर्ष रु. 5000/- तथा विज्ञान विषयों में प्रतिवर्ष रु. 7500/- तक का आकस्मिक अनुदान दिया जाएगा ।

11.8 अनुसंधान वैज्ञानिकवृत्ति

इस योजना के अंतर्गत उन वैज्ञानिकों/शिक्षकों को अनुसंधान कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है जिन्होंने परियोजना आधार पर अनुसंधान के लिए असाधारण योग्यता प्रदर्शित की है । इस योजना में किसी भी नियत समय में वर्तमान अनुसंधान वैज्ञानिकों समेत 200 स्थान उपलब्ध हैं । उम्मीदवारों को रु. 2300/-3500 और रु. 4000-6500 के दो स्लैबों में रखा जाता है । अनुसंधान वैज्ञानिकों को लागू मंहगाई भत्ते आदि के बदले अतिरिक्त राशि दी जाएगी । वर्ष 1993-94 के दौरान इस योजना के तहत 24 अनुसंधान वैज्ञानिकवृत्तियां प्रदान की गई ।

11.9 विज्ञान, इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञानों में शिक्षकों के लिए लघु एवं बृहत् अनुसंधान परियोजनाएं

आयोग व्यक्तिगत अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहन देने हेतु विश्वविद्यालय/कालेज के शिक्षकों को लघु या बृहत् परियोजनाएं शुरू करने के लिए सहायता प्रदान करता है । विज्ञान, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में बृहत् परियोजनाओं के लिए सहायता की यह राशि रु. 5 लाख तथा मानविकी एवं सामाजिक विज्ञानों के लिए रु. 3 लाख होती है । विज्ञान तथा इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी विषयक लघु परियोजनाओं के लिए रु. 30,000/- एवं मानविकी और सामाजिक विज्ञानों के लिए. रु. 20,000/- प्रदान किए जाते हैं । बृहत् परियोजनाएं शिक्षकों के समूह द्वारा भी हाथ में ली जा सकती है । इस योजना में 65 वर्ष की आयु तक के सेवा-निवृत्त शिक्षक भी भाग ले सकते हैं । अंत:विद्याशाखीय परियोजनाओं को अग्रता प्रदान की जाती है ।

वि.अ.आ. द्वारा बृहत् अनुसंधान परियोजनाओं के लिए दी जाने वाली सहायता में कनिष्ठ अनुसंधान अध्येताओं/अनुसंधान एसोशिएटों की नियुक्ति, क्षेत्रीय दौरे, उपस्कर, परिकलन, पुस्तकों एवं पत्रिकाओं, आकस्मिक व्यय तथा परियोजनाओं के वास्ते अपेक्षित अन्य मदों के लिए निधीयन शामिल है । लघु परियोजनाओं के मामलों में कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता/अनुसंधान एसोशिएटों को छोड़कर उपर्युक्त सभी मदों के लिए वि.अ.आ. द्वारा निधीयन किया जाता है । इन सभी परियोजनाओं का परिवीक्षण नियमित रूप से किया जाता है ।

आलोच्य वर्ष के दौरान वि.अ.आ. द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या और प्रदत्त अनुदानों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

बृहत् एवं लघु अनुसंधान परियोजनाएं 1993-94

योजना	अनुमोदित परियोजनाएं	प्रदत्त अनुदान (रु. लाख में)
बृहत् अनुसंधान परियोजनाएं		
1. मानविकी और सामाजिक विज्ञान	170	216.16
2. विज्ञान	142	285.82
3. इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी	3	6.97
लघु अनुसंधान परियोजनाएं		
1. मानविकी और सामाजिक विज्ञान	182	28.41

2.	विज्ञान	141	56.48
3.	इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी	शून्य	शून्य

आलोच्य वर्ष के दौरान अंग्रेजी, हिंदी, शिक्षा, अर्थशास्त्र, संस्कृत, प्राकृत, पाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड, समाजशास्त्र और नृविज्ञान तथा विज्ञानों में बृहत् परियोजनाओं का परिवीक्षण करने के लिए मध्यावधि समीक्षा कार्यशालाओं का आयोजन किया गया । विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों के आधार पर इन शाखाओं में चल रही परियोजनाओं के लिए रु. 14.19 लाख का अतिरिक्त आबंटन किया गया । असंतोषजनक प्रगति के कारण जैव-विज्ञान की छह परियोजनाएं बंद कर दी गईं ।

11.10 भारतीय लेखकों द्वारा विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों की रचना

वि.अ.आ. 1970-71 से इस योजना को चला रहा है । इस योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय और कालेजों में उपयोग के लिए उच्च स्तरीय पुस्तकों, मोनोग्राफ एवं अन्य संदर्भ सामग्री तैयार करने के लिए विश्वविद्यालयों और कालेजों एवं उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान की अन्य संस्थाओं के उत्कृष्ट शिक्षाविदों तथा स्कालरों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । इस योजना को वि.अ.आ. और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (एन.बी.टी.) मिलकर चला रहे हैं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पांण्डुलिपि तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास उपयोग समझी गई पुस्तकों के प्रकाशन के लिए सहायिकी प्रदान करता है ।

11.11 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए यात्रा अनुदान

वि.अ.आ. अंतर्राष्ट्रीय अकादमिक सम्मेलनों में शोध लेख प्रस्तुत करने के लिए विश्वविद्यालय एवं कालेज के शिक्षकों को आंशिक सहायता देता है । विश्वविद्यालय को असमनुदेशित अनुदान में से अनुदान स्कीकृत करने के लिए अधिकार प्रदान किया गया है । कालेज शिक्षकों को अनुदान की मंजूरी वि.अ. आ. द्वारा प्रदान की जाती है ।

11.12 वृत्तिक अवार्ड

इस योजना का उद्देश्य ऐसे प्रतिभाशाली युवा शिक्षकों का पता लगाना है जिनकी आयु 40 वर्ष से अधिक न हो (महिलाओं के विषय में 50 वर्ष) ताकि वे शिक्षण कार्य के प्रति न्यून दायित्वों के साथ अपने को अनुसंधान कार्य में लगा सकें । सामान्यतः ये वृत्तिक अवार्ड विश्वविद्यालय/कालेज में उन लेक्चरारों और रीडरों को तीन वर्ष के लिए प्रदान किए जाते है जिनके पास डाक्टरेट/डाक्टरेटोत्तर अथवा कोई अन्य इसके समकक्ष व्यावसायिक प्रशिक्षण की उपाधि हो ।

प्रतिवर्ष 55 स्थान उपलब्ध होते हैं - सामाजिक विज्ञानों तथा मानविकी (भाषा सहित) के लिए 25, विज्ञानों के लिए 25 और इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी के लिए पाँच ।

वि.अ.आ. वृत्तिक आर्वाड पाने वालों के वेतन और भत्ते का व्यय वहन करता हैं और अवार्ड की अवधि के दौरान अनुसंधान अनुदान (विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए रु. 2 लाख था मानविकी और सामाजिक विज्ञानों के लिए रु. 1.5 लाख) भी प्रदान करता है । ये चयन आयोग द्वारा गठित एक चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर किए जाते हैं ।

वर्ष 1993-94 के दौरान वि.अ.आ. ने 55 शिक्षकों का चयन किया ।

11.13 इमेरीटस अध्येतावृत्ति

इमेरीटस अध्येतावृत्ति विश्वविद्यालयों के उन उच्च योग्यताप्राप्त अनुभवी अवकाशप्राप्त प्रोफेसरों को प्रदान की जाती है जो अपने सेवाकाल में अनुसंधान कार्य में सक्रिय रूप से रत रहे हैं ताकि वे अपने विशेषज्ञता क्षेत्रों में सक्रिय रूप से अनुसंधान कार्य कर सकें तथा अपनी सेवाओं का उपयोग वि.अ.आ. के कार्यक्रमों का परिवीक्षण करने के लिए कर सकें । यह अध्येतावृत्ति दो वर्ष के लिए या अध्येतावृत्ति प्राप्त करने वाले की 65 वर्ष की आयु तक, इनमें जो भी पहले हो, प्रदान की जाती है । अध्येतावृत्ति पाने वाले को सामान्य अधिवर्षिता हितलाभों के अतिरिक्त रु. 4000/- प्रति मास की अध्येतावृत्ति तथा रु. 20,000/- प्रति वर्ष का अव्यपगतनीय आकस्मिक अनुदान मिलता है । यह राशि उसके पिछले पद से संबंधित भविष्य निधि/पेंशन आदि से अतिरिक्त होती है । किसी एक नियत समय में उपलब्ध अध्येतावृत्तियों की कुल संख्या 100 होती है ।

वर्ष 1993-94 के दौरान इस योजना के अंतर्गत 32 इमेरीटस अध्येतावृत्तियां प्रदान की गई ।

11.14 अनुसंधान तथा शिक्षण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परीक्षा

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिक्षण व्यवसाय और अनुसंधान कार्य में प्रवेशार्थियों के न्यूनतम स्तर को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा का आयोजन करता है । यह परीक्षा वर्ष में दो बार ली जाती है । विज्ञान विषयों की परीक्षा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी एस आई आर) के संयुक्त सहयोग से आयोजित की जाती है ।

अपनी पंसद के विश्वविद्यालय में विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान कार्य करने के लिए और/या लेक्चरार के पद के लिए आवेदन करने हेतु प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों में से लगभग 1800 को पात्र घोषित किया जाता है ।

वर्ष 1993-94 में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा परीक्षा का ब्यौरा
(उम्मीदवारों की संख्या)

परीक्षा और तारीख	पंजीकृत	परीक्षा में बैठे	कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति तथा लेक्चरार पद के लिए उत्तीर्ण	केवल लेक्चरार पद के लिए उत्तीर्ण
मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान				
20.6.1993	31454	22259	550	925
19.12.1993	24214	18558	494	1087
विज्ञान				
27.6.1993	20653	10779	281	36

11.15 इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान अध्येतावृत्तियां

वि.अ.आ. प्रतिवर्ष कृषि इंजीनियरी सहित इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में 60 अनुसंधान अध्येतावृत्तियां प्रदान करता है ताकि उच्च अध्ययन एवं पीएच. डी. की उपाधि देने वाला अनुसंधान कार्य किया जा सके । इसके लिए न्यूनतम योग्यता इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी/फार्मेसी में 55 प्रतिशत अंक सहित मास्टर की डिग्री है । इस अध्येतावृत्ति को प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार के पास बी.ई./बी.टेक. की डिग्री का होना या इंजीनियरी के लिए ग्रेजुएट अभिवृत्ति परीक्षा (गेटे) में उत्तीर्ण होना अनिवार्य शर्त नहीं है । जो व्यक्ति अनुसंधान कार्य करना चाहते हैं वे पांच वर्ष के लिए कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति प्राप्त कर सकते हैं । वि.अ.आ. ने इस परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए विश्वविद्यालयों को अनेक अध्येतावृत्तियां आबंटित की है । तथापि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सभी अर्हताप्राप्त उम्मीदवारों को अवसर प्रदान करने के लिए निर्धारित कोटे के अतिरिक्त भी अधिसंख्य अध्येतावृत्तियां प्रदान करता है ।

इस अध्येतावृत्ति को प्राप्त करने के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है । महिला एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट दी जाती है ।

वर्ष 1993-94 के लिए इस योजना के तहत 33 अध्येतावृत्तियां प्रदान की गईं ।

11.16 अनुसंधान एसोशिएटशिप

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विज्ञानों, मानविकी विषयों, सामाजिक विज्ञानों, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी एवं गांधी अध्ययनों, नेहरू अध्ययनों तथा राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए उन व्यक्तियों

को प्रतिवर्ष अनुसंधान एसोशिएटशिपें प्रदान करता है जिन्होंने गत दो वर्षो के दौरान अपनी पीएच.डी. पूरी कर ली है और स्वतंत्र पश्च-डाक्टरेट अनुसंधान कार्य के लिए प्रतिभा एवं योग्यता प्रदर्शित की हैं। इसके लिए अवार्ड वर्ष की 1 जुलाई को पुरुष उम्मीदवारों की आयु 40 वर्ष और महिला उम्मीदवारों की आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन अनुसंधानकर्ताओं/शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने स्वतंत्र रूप से शोध रचनाएं प्रकाशित की हों।

प्रतिवर्ष 150 स्थान उपलब्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त 40 स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए, 30 विकलांगों के लिए और 40 अंशकालिक एसोशिएटशिपें उन महिला उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध हैं जो पूर्णकालिक शिक्षक अथवा अनुसंधानकर्ता नहीं हैं। वर्ष 1993-94 के दौरान 26 अनुसंधान एसोशिएटों का चयन किया गया।

11.17 विकासशील देशों के छात्रों के लिए अध्येतावृत्ति/अनुसंधान एसोशिएटशिप

वि.अ.आ. विकासशील देशों के छात्रों को प्रतिवर्ष 20 कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियां (जे आर एफ) एम. फिल./पीएच.डी. डिग्री हेतु अनुसंधान कार्य करने के लिए तथा 7 अनुसंधान एसोशिएटशिप डाक्टरेट उपरांत विज्ञान, इंजीनियरी तथा मानविकी और सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान के लिए प्रदान करता है।

12
शारीरिक शिक्षा तथा खेल-कूदों का संवर्धन

12.1 शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा तथा खेल-कूद में तीनवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम

यह पाठ्यक्रम देश के 13 राज्यों में स्थित 29 कालेजों एवं विश्वविद्यालयों में वर्ष 1989-90 से चलाया जा रहा है । विश्वविद्यालय अनदुान आयोग इन संस्थाओं को व्यय की अनुमोदित मदों यथा—स्टाफ के वेतन, पुस्तकों एवं पत्रिकाओं, उपस्कर और प्रयोगशाला भवन के संबंध में पांच वर्ष के लिए 100 प्रतिशत आधार पर सहायता प्रदान करता है जबकि अन्य मदों के लिए हिस्सेदारी के आधार पर सहायता प्रदान करता है । ऐसी सहायता विभिन्न मदों के लिए वि.अ.आ. द्वारा निर्धारित अधिकतम राशि के अंतर्गत दी जाती है ।

12.2 विश्वविद्यालयों और कालेजों में खेल-कूद के लिए आधारसंरचना तैयार करना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय खेल—कूद संगठन, युवा मामले तथा खेल विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा लागू की गई "विश्वविद्यालयों और कालेजों में खेल-कूद आधार-संरचना तैयार करने की योजना" के लिए एक कार्यान्वयन एजेंसी है । इस योजना का लक्ष्य विश्वविद्यालयों और कालेजों को खेलकूद की आधार-संरचना के विकास के लिए सहायता प्रदान करना है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुदानों को ध्यान में रखते हुए सहायता प्रदान करने के लिए कुछ मदों को पता लगाया है । सहायता प्रदान करने के लिए जिन मदों का पता लगाया गया है उनमें ये शामिल हैं :- बहुद्देश्यीय जिमनेजियम, तरणताल, पक्का बास्केट बाल/वालीबाल/बैडमिंटन/टेनिस कोर्ट, मूलरम/क्ले लान टेनिस कोर्ट और क्रिकेट पिच, सिंडर/क्ले एथलीटिक ट्रैक (400मी०) का निर्माण तथा अनपचेय खेल उपस्कर । जिमनेजियम, तरणताल और धावनपथ (एथलीटिक ट्रैक) के लिए सभी विश्वविद्यालय पात्र हैं लेकिन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किसी विश्वविद्यालय को योजना अवधि के लिए जिमनेजियम या तरणताल के वास्ते ही सहायता प्रदान करता है ।

जिन कालेजों में स्नातकोत्तर कक्षाएं चलती है और कम से कम 1000 छात्र नामांकित हैं, वे कालेज इस योजना के अधीन सहायतार्थ आवेदन करने के पात्र हैं । लेकिन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किसी कालेज को योजनागत अवधि के दौरान केवल जिमनेजियम या तरणताल के लिए सहायता प्रदान करता है । किसी संस्था को योजना अवधि के दौरान केवल एक बार अनपचेय खेल उपस्करों के लिए भी मंजूरी दी जाती है ।

आलोच्य वर्ष के दौरान आयोग ने खेल–कूद की आधार-संरचना संबंधी विभिन्न मदों के लिए रु. 224.56 लाख का अनुदान जारी किया है ।

12.3 राष्ट्रीय साहसिक खेल प्रतिष्ठान (एन ए एफ) के साथ समझौता ज्ञापन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अक्तूबर, 1992 में विश्वविद्यालय/कालेज युवाओं के लिए साहसिक खेल योजना के कार्यान्वयन के हेतु राष्ट्रीय साहसिक खेल प्रतिष्ठान (एन ए एफ) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए । इसका उद्देश्य विश्वविद्यालय/कालेज के युवाओं में साहस, मैत्री, प्रकृति प्रेम, विपत्ति के समय कष्ट एवं तनाव सहन करने की शक्ति पैदा करना तथा साहसिक खेलों में गुणात्मक एवं मात्रात्मक दृष्टि से उनकी सहभागिता को बढ़ाना है । साहसिक खेलों के कुछ कार्यक्रमों का आयोजन एन ए एफ द्वारा अपनी विभिन्न शाखाओं के माध्यम से किया जा रहा है । अन्य के लिए एन ए एफ कार्यक्रम में सहयोजित करने के लिए देश में विशेषज्ञ संगठनों का पता लगाता है । एक समन्वय समिति जिसमें वि.अ.आ. और एन ए एफ के प्रतिनिधि शामिल होते है, इस योजना के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करती है ।

आलोच्य वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने साहसिक खेल कार्यक्रम के कार्यान्वयन/आयोजन के लिए एन ए एफ को रु 26 लाख की सहायता उपलब्ध कराई है ।

12.4 विश्वविद्यालयों में योग शिक्षा एवं अभ्यास के संवर्धन के लिए योजना

यह योजना वर्ष 1993-94 में शुरू की गई थी । इस योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालयों में छात्रों/शिक्षकों के प्रयोगार्थ ऐसे समर्थ संकाय का सृजन करना है जिसमें योग शिक्षा और अभ्यास के परम्परागत प्रशिक्षित व्यक्ति काम करते हों ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों को योगाभ्यास कक्ष और अनुदेशकों के रहने के क्वार्टरों के निर्माण, अनुदेशकों को मानदेय देने और फर्नीचर तथा उपस्कर के लिए सहायता प्रदान करता है ।

इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालयों को ख्यातिप्राप्त योग संस्था के साथ पांच वर्ष के लिए नवीयनयोग्य करार करना होगा और योग संस्था को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना होगा कि वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता से स्थापित किए जाने वाले योग केंद्र (केंद्रों) का प्रबंध और संचालन करे । योग केंद्र स्थापित किए जाने के संबंध में 20 विश्वविद्यालयों से जो प्रस्ताव प्राप्त हुए थे उन पर विचार किया गया ।

ताजा बर्फ से ढकी पहाड़ी पर चढ़ना एन एफ ए के अधीन साहसिक खेल ।

पैराग्लाइडिंग, मदर अर्थ तक धीरे धीरे फ्लोट करना: एन एफ ए के अधीन साहसिक खेल ।

आवरण

13
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, विकलागों तथा समाज के कमजोर वर्गों के लिए सुविधाएं

13.1 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सुविधाएं देने वाले कालेजों को सहायता और विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में विशेष सेलों की स्थापना

वि.अ.आ. कुछ विशेष योजनाओं द्वारा तथा नियमित योजनाओं में समाज के पिछड़े वर्गों के लिए विशेष व्यवस्था करके इस वर्ग के उत्थान तथा सामाजिक समानता के लिए योगदान करता रहा है :

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को कनिष्ठ अनुसंधान अध्योतावृत्तियों की परीक्षा में पास होने के लिए प्राप्तांकों में 10 प्रतिशत की छूट दी जाती है और जे.आर.एफ. परीक्षा में उत्तीर्ण अ.जा./अ.ज़जा. के सभी उम्मीदवारों को कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति प्रदान कर दी जाती हैं । कोई रिक्त स्थान उपलब्ध न होने की स्थिति में वि.अ.आ. विश्वविद्यालय को जे.आर.एफ के लिए अतिरिक्त स्थान उपलब्ध कराता है ।

2. जो छात्र राष्ट्रीय शिक्षा परीक्षा (एन.ई.टी.) में बैठते हैं और लेक्चररशिप की पात्रता-परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं उनके लिए विज्ञान और मानविकी तथा सामाजिक विज्ञानों में प्रतिवर्ष 50 कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियां प्रदान की जाती हैं ।

3. संबद्ध कालेजों में कार्यरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के शिक्षकों को अवसर प्रदान करने के लिए इन शिक्षकों को सीधे अवार्ड की योजना के अन्तर्गत 50 शिक्षक अध्येतावृत्तियां (20 पीएच.डी. और 30 एम.फिल. के लिए) शुरू की गई हैं । आयोग ने वर्ष 1993-94 के दौरान 50 शिक्षक अध्येतावृत्तियां (20 पीएच.डी. और 30 एम.फिल. के लिए) प्रदान की ।

4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए प्रतिवर्ष अनुसंधान एसोशिएटशिप के 40 स्थान अलग रखे जाते हैं । आयोग ने 1993-94 के दौरान 1992 के कोटे के 40 स्थानों के लिए अनुसंधान एसोशिएटशिप प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की सूची को अन्तिम रूप दिया तथा 1993 के कोटे के लिए आवेदन-पत्र आमंत्रित किए ।

5. आयोग ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षिक रूप से पिछड़े उम्मीदवारों के वास्ते अनुशिक्षण कक्षा योजना के लिए संशोधित मार्ग-निर्देश तैयार किए हैं ।

   - मार्ग-निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालयों और कालेजों में स्थित वर्तमान केंद्र और सेल

(क्रमश 20 और 33) उच्च सिविल सेवाओं को छोड़कर अन्य सेवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्रों को तैयार करने हेतु कक्षाएं संचालित करेंगे ।

- उच्च सिविल सेवाओं के संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास और हैदराबाद में पांच क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किए जाएं । यह भी निर्णय लिया गया है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों/कालेजों में 42 अतिरिक्त केंद्र खोले जाएं ताकि अल्पसंख्यकों की घनी आबादी वाले और अधिक क्षेत्रों की आवश्यकताएं पूरी की जा सकें ।

6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ऐसे कालेजों को वित्तीय सहायता देने के मानदंड में छूट दी है जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र दाखिल हैं और जो पिछड़े क्षेत्रों में स्थित हैं ।

7. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में विशेष सेल स्थापित किए हैं ताकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए विभिन्न योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके ।

   - वर्ष 1993-94 के दौरान ऐसे विशेष सेल स्थापित करने के दो प्रस्ताव स्वीकार किए गए । इस प्रकार अनुमोदित विशेष सेलों की कुल संख्या 97 हो गई ।

   - आयोग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सेलों को चलाने के लिए विभिन्न वर्गों के स्टाफ की नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान करता है । स्टाफ के लिए वि.अ.आ. की सहायता प्रथम नियुक्ति की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए दी जाती है । फिलहाल, आयोग ने यह निर्णय लिया है कि इन सेलों के संचालन के लिए 31 मार्च, 1997 तक सहायता दी जाए । उसके बाद, राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होगी कि वे आवर्ती व्यय की जिम्मेदारी लें ।

8. शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों के लिए प्रतिवर्ष 30 अनुसंधान एसोशिएटशिप आरक्षित होती हैं ।

9. वर्ष 1993-94 के दौरान आयोग ने विकलाग बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों को विशेष शिक्षा प्रदान करने हेतु पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए सहायता प्रदान की ।

13.2 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अनूसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत आरक्षण के विषय में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों की ओर विश्वविद्यालयों का ध्यान आकर्षित किया है । ये आदेश इस प्रकार हैं :

- विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए दाखिले में आरक्षण ।
- लेक्चरार तथा शिक्षणेतर पदों पर नियुक्ति में आरक्षण ।
- छात्रावास, स्टाफ क्वार्टरों और शिक्षकों के होस्टलों में सीटों के आबंटन में आरक्षण ।
- विश्वविद्यालय अनुदान ने यह व्यवस्था की है कि जिन विश्वविद्यालयों को छात्रावासों के निर्माण के लिए अनुदान प्रदान किए जाते हैं उन्हें इन छात्रावासों में 20 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रखनी चाहिए ।

14
महिलाओं के लिए सुविधाएं

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से उच्च शिक्षा में महिला छात्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । स्वतंत्रता से पहले उच्च शिक्षा की सभी संस्थाओं में महिलाओं की संख्या 9.3 प्रतिशत थी जबकि 1993-94 में सभी कालेजों और विश्वविद्यालय में नामांकित महिला छात्रों की संख्या 33.2 प्रतिशत थी ।

चित्र 14.1

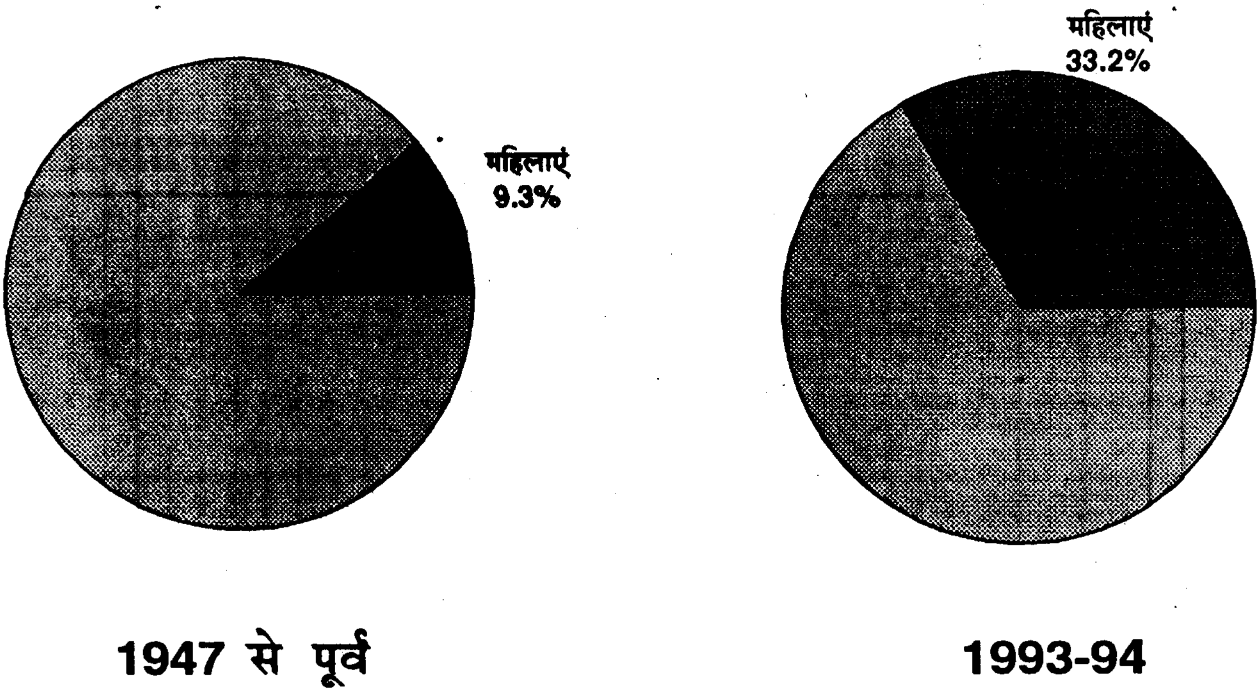

14.1 उच्च शिक्षा में महिलाओं के नामांकन में वृद्धि

गत दो दशकों के दौरान महिला नामांकन में वृद्धि की गति विशेष रूप से तेज रही है । जैसाकि निम्नलिखित सारणी में प्रदत्त आंकड़ों से पता चलता है, 1950-51 से 1993-94 तक की अवधि के दौरान प्रति सौ पुरुषों में महिलाओं की संख्या में चार गुनी वृद्धि हुई है ।

सारणी 14.1 प्रति सौ पुरुष छात्रों में महिलाओं की संख्या		
वर्ष	कुल नामांकित महिलाएं (000 में)	प्रति सौ पुरुष नामांकन
1950-51	40	14
1993-94	1664	50

14.2 महिलाओं के नामांकन का राज्यवार, स्तरवार तथा संकायवार वितरण

नामांकित महिलाओं का राज्यवार वितरण

कुल नामांकन के प्रतिशत के रूप में महिलाओं के नामांकन में सभी राज्यों में वृद्धि हुई है लेकिन अलग-अलग राज्यों में इस वृद्धि में अंतर पाया जाता है ।

पिछले वर्षों की तरह 1993-94 में भी कुल नामांकन के प्रतिशत के रूप में महिलाओं के नामांकन का प्रतिशत केरल में सबसे अधिक (53.4 प्रतिशत) रहा । इसके बाद पंजाब (48.6 प्रतिशत), दिल्ली (46.7 प्रतिशत), हरियाणा (42.6 प्रतिशत), मेघालय, नागालैंड (39.5 प्रतिशत) और तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, सिक्किम (38.9 प्रतिशत) का स्थान रहा । बिहार में महिलाओं के नामांकन का प्रतिशत वर्ष 1993-94 के कुल नामांकन में केवल 16.9 प्रतिशत रहा (देखिए, परिशिष्ट - VI) ।

स्तरवार वितरण

जैसा कि सारणी 14.2 में दिखाया गया है, वर्ष 1984-85 से 1993-94 तक की अवधि के दौरान स्नातक, स्नातकोत्तर और अनुसंधान अर्थात् उच्च शिक्षा के सभी स्तरों पर कुल नामांकन की तुलना में महिलाओं के नामांकन मे लगातार वृद्धि हुई है ।

सारणी 14.2 स्तरवार कुल नामांकनों में महिला नामांकन की प्रतिशतता				
वर्ष	स्नातक	स्नातकोत्तर	अनुसंधान	डिप्लोमा/प्रमाणपत्र
1984-85	29.1	30.5	29.7	24.7
1993-94	33.1	35.1	37.6	26.2

उच्च शिक्षा में छात्राओं की सामान्य वृद्धि की एक विशेषता यह है कि शिक्षा के सभी स्तरों पर उनके नामाकंन में एकरूपता रही है ।

संकायवार वितरण

वर्ष 1993-94 में महिला नामांकन के संकायवार आंकड़े नीचे सारणी 14.3 और चित्र 14.2 में दिए गए हैं :-

सारणी 14.3

संकायवार महिला नामांकन — 1993-94

संकाय	नामांकन ('000)
कला	9,05,125
वाणिज्य	2,35,309
विज्ञान	3,34.439
विधि	30,039
इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी	20,026
शिक्षा	65,086
अन्य	74,097
जोड़	**16,64,121**

चित्र 14.2

महिला नामांकन की संकायवार प्रतिशतता (1993-94)

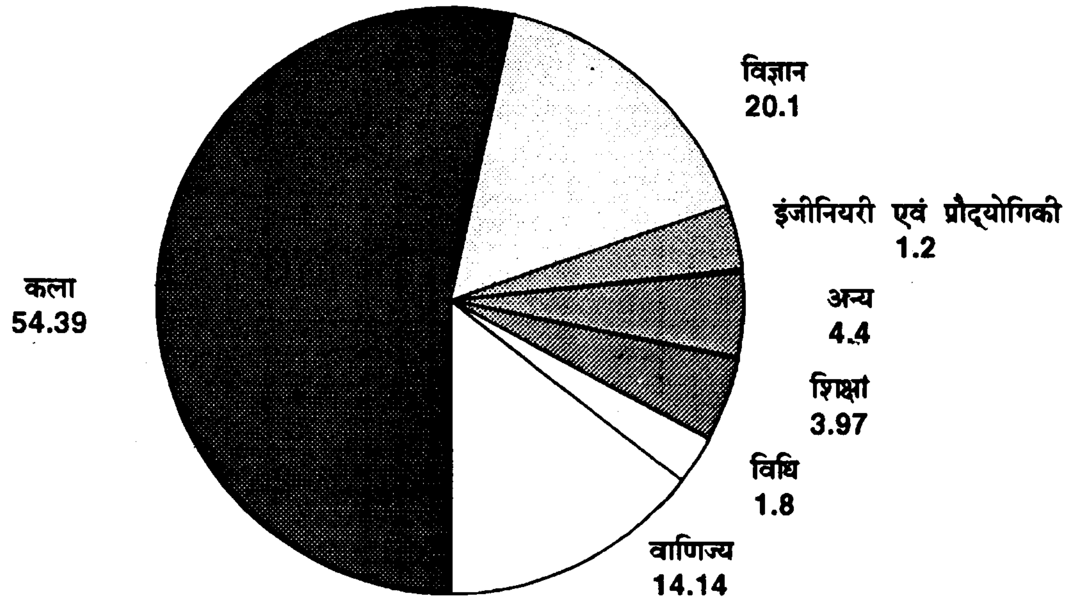

यद्यपि सभी संकायों में महिलाएं थीं लेकिन संकायों में उनके वितरण का पैटर्न सभी छात्रों के समान नहीं था । चित्र 2.9 (पी.) से चित्र 14.2 की तुलना करने से पता चलता है कि विज्ञान संकाय को छोड़कर जहां सभी पुरुष एवं महिला छात्रों का प्रतिशत समान है, छात्रों के दोनों वर्गों के नामांकन पैटर्न में चार उल्लेखनीय अंतर हैं यथा -

1. शिक्षा संकाय में नामांकित सभी छात्रों की प्रतिशतता में महिला छात्रों की प्रतिशतता दुगुनी है ।
2. लेकिन विधि, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संकायों में सभी छात्रों की प्रतिशतता की तुलना में महिला छात्रों की प्रतिशतता काफी कम है ।
3. यही बात बहुत कुछ वाणिज्य संकाय पर लागू होती है । सभी छात्रों के लगभग 22 प्रतिशत की तुलना में वाणिज्य पाठ्यक्रमों में नामांकित महिला छात्रों की संख्या 14 प्रतिशत से किंचित् अधिक है ।
4. महिला छात्रों की सर्वाधिक संख्या कला संकाय में है जिसमें मानविकी विषय भी शामिल हैं । सभी छात्रों के 40.4 प्रतिशत की तुलना में, कलां और मानविकी के विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकित महिला छात्रों का प्रतिशत 54.4 है ।

14.3 महिला कालेज

वर्ष 1984-85 से वर्ष 1993-94 तक की अवधि के दौरान महिला कालेजों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है जो इस प्रकार है :-

वर्ष	महिला कालेजों की संख्या
1984-85	712
1986-87	780
1988-89	824
1990-91	874
1991-92	950
1993-94	1070+

\+ अनंतिम

14.4 विश्वविद्यालयों में महिला अध्ययनों का संवर्धन

महिला अध्ययनों को बढ़ावा देने से संबंधित वि.अ.आ. के कार्यक्रम में यह परिकल्पना की गई है कि महिला अध्ययन केंद्रों और सेलों की स्थापना के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता दी जानी चाहिए । इन केंद्रों/सेलों के लिए अनुसंधान कार्य करना, पाठ्यचर्या का विकास करना, स्त्री-पुरुष समानता के क्षेत्रों में प्रशिक्षण और विस्तार कार्य आयोजित करना, महिलाओं की आर्थिक आत्म-निर्भरता, लड़कियों की शिक्षा, जनसंख्या समस्याओं, मानव अधिकारों एवं सामाजिक शोषण की समस्याओं के संबंध में कार्य करना आवश्यक होगा । इन गतिविधियों से केवल यही आशा नहीं की जाती है कि उनसे सामाजिक चेतना पैदा होगी और परिवर्तन आएगा बल्कि यह भी आशा की जाती है कि उनसे शैक्षिक विकास भी होगा । लेकिन महिला अध्ययन केंद्रों से यह आशा नहीं की जाती है कि वे किसी विश्वविद्यालय के अन्य पारंपरिक विभागों की भांति कार्य करेंगे । उनके लिए ऐसे पाठ्यक्रम संचालित करना आवश्यक नहीं है जिनको पूरा करने पर कोई पूर्व-स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान की जाए ।

महिला अध्ययनों पर स्थायी समिति इस योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है, उसके संबंध में सलाह देती है और उसका परिवीक्षण करती है ।

महिला अध्ययनों के विकास के लिए विश्वविद्यालयों को मार्च, 1995 तक सहायता जारी रहेगी । 31 मार्च 1994 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने महिला अध्ययन केंद्र/सेल स्थापित करने के लिए 22 विश्वविद्यालयों और कालेजों/विश्वविद्यालय विभागों को सहायता प्रदान की । इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने महिला अध्ययनों से संबंधित अनुसंधान परियोजनाओं के लिए भी सहायता उपलब्ध कराई ।

आलोच्य वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित की गई समीक्षा समिति ने महिला अध्ययन केंद्रों/सेलों के कार्यकरण की समीक्षा की ।

14.5 महिलाओं के लिए अंशकालिक अनुसंधान एसोशिएटशिप

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग महिलाओं को प्रतिवर्ष 40 अंशकालिक अनुसंधान एसोशिएटशिप प्रदान करता है । इसका उद्देश्य शोध छात्रों को विज्ञान, मानविकी/सामाजिक विज्ञानों तथा इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी में स्वतंत्र रूप से परियोजना समनुदेशन आधार पर डाक्टरेट - उपरांत अनुसंधान कार्य के लिए अवसर उपलब्ध कराना है ।

15
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

15.1 द्विपक्षीय विनिमय कार्यक्रम

विश्वविद्यालय क्षेत्रक में उच्च शिक्षा से संबंधित भारत और अन्य देशों के बीच द्विपक्षीय विनिमय कार्यक्रमों का कार्यान्वयन भारत सरकार की ओर से वि.अ.आ. द्वारा किया जाता है । 1993-94 तक 61 देशों के साथ ऐसे कार्यक्रम चल रहे थे ।

आलोच्य वर्ष के दौरान वि.अ.आ. ने विभिन्न देशों के 54 विद्वानों की मेजबानी की और भारत की विभिन्न संस्थाओं में उनके कार्यक्रमों का आयोजन किया । वर्ष के दौरान इन कार्यक्रमों के अंतर्गत विदेश भेजे गए भारतीय विद्वानों की संख्या 70 थी ।

विश्वविद्यालयों के अभिज्ञात विभागों एवं उच्च शिक्षा संस्थाओं के मध्य द्विपक्षीय संस्थागत संबंधों के विकास पर अधिक जोर दिया गया । इसके अनुसार जापान, जर्मनी, बलगेरिया, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, पोलैंड, फ्रांस, इटली, फिन्लैंड, ईरान, बहरीन, चीन आदि देशों के साथ सहयोग के क्षेत्रों का पता लगा लिया गया है । अमरीका एवं कनाडा के साथ भी इस प्रकार के सहयोग के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ।

15.2 शिष्टमंडल

विदेशी शिष्टमंडल

मोरिशस से प्रेसीडेंट/वाइस चांसलरों के एक आठ सदस्यीय शिष्ट-मंडल ने फरवरी, 1994 में भारत का दौरा किया ।

थाईलैंड के छह सदस्यीय शिष्टमंडल ने अप्रैल, 1993 में भारत का दौरा किया ।

भारत-थाईलैंड सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अधीन थाईलैंड के चार सदस्यीय शिष्टमंडल ने दिसम्बर, 1993 में भारत का दौरा किया ।

भारतीय शिष्टमंडल

भारत-ईरान सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत एक तीन सदस्यीय भारतीय शिष्टमंडल ने मई, 1993 में ईरान का दौरा किया ।

भारत—चीन प्रोतोकाल के अधीन एक छह सदस्यीय भारतीय शिष्टमंडल ने 27 अक्तूबर से 10 नवम्बर, 1993 तक चीन का दौरा किया ।

15.3 विदेशी भाषा शिक्षक

वि.अ.आ. ने सहयोगी विनिमय कार्यक्रमों के अंतर्गत विदेशी भाषा के शिक्षकों को उन विश्वविद्यालयों में भेजना जारी रखा जिनमें विदेशी भाषा पढ़ाने के लिए समुचित बुनियादी ढांचा विद्यमान था ।

आलोच्य वर्ष के दौरान जर्मन के 7, फ्रेंच के 6, स्पेनिश के और चीन - प्रत्येक के 3, सर्बोक्रोशियाई, बलगेरियन, मंगोलियन और हंगेरियन के दो-दो तथा पोलिश, कोरियाई, चीनी, पुर्तगाली एवं स्लोवाक के लिए एक-एक शिक्षक भारतीय विश्वविद्यालयों में भेजे गए ।

15.4 अध्येतावृत्तियां तथा छात्रवृत्तियां

जर्मन अकादमिक विनिमय सेवा (डी.ए.ए.डी.)

प्राकृतिक विज्ञान, गणित, भूविज्ञान, जर्मन भाषा और साहित्य तथा मानविकी और सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्रों में उच्च अनुसंधान के लिए प्रदान की गई 12 अध्येतावृत्तियों के लिए 7 छात्र नामित किए गए ।

भारतीय विश्वविद्यालयों के जर्मन विभागों में एम.फिल./एम.लिट. पाठ्यक्रम में नामांकित छात्रों और एम.ए. पाठ्यक्रम के वरिष्ठ छात्रों की 6 अल्पकालिक अध्येतावृत्तियों के लिए 5 छात्रों को नामित किया गया ।

भारतीय विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों एवं समविश्वविद्यालय संस्थाओं में जर्मन भाषा के शिक्षकों के लिए तीन मास की अवधि के 3 निमंत्रणों के लिए 7 भारतीय शिक्षकों को नामित किया गया ।

जर्मन संस्कृति, इतिहास, अर्थशास्त्र, दर्शन, और प्राकृतिक विज्ञानों से संबंधित किसी भी विषय में भारत में पीएच.डी. करने के लिए पंजीकृत भारतीय छात्रों को प्रदत्त 3 से 6 मास की 6 अल्पकालिक अध्येतावृत्तियों के लिए वर्ष 1993 में तीन स्कालरों को नामित किया गया ।

फ्रांस सरकार की छात्रवृत्तियां

फ्रेंच सीखने या फ्रेंच साहित्य एवं सभ्यता का अध्ययन करने के लिए वर्ष 1993-94 के दौरान फ्रांस सरकार छात्रवृत्ति योजना के अधीन अध्येतावृत्तियों और छात्रवृत्तियों के लिए क्रमशः पांच और चार भारतीय छात्रों को नामित किया गया ।

15.5 ऐसे शिक्षकों को यात्रा अनुदान जिन्हें विदेश में उनके अनुरक्षण के लिए अध्येतावृत्तियां/वजीफे देने का प्रस्ताव है

ऐसे दो शिक्षकों को विदेश दौरे के लिए यात्रा अनुदान दिया गया जो अपने अनुसंधान कार्य के लिए सामग्री एकत्र करने हेतु अथवा उस देश की किसी एजेंसी से सहायतार्थ अध्येतावृत्ति प्राप्त करने के लिए

विदेश गए थे जहां से छात्र को अपने अनुरक्षण के लिए वित्तीय सहायता मिलने का प्रस्ताव है ।

15.6 भारत-अमरीका अध्येतावृत्ति कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के अधीन भारत में डाक्टरेट-उपरात अनुसंधान-कार्य के लिए अमरीकी स्कालरों को प्रदत्त 12 अध्येतावृत्तियों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को 10 मास की अवधि वाली 7 दीर्घकालीन अध्येतावृत्तियां और 3 मास कीं 12 अल्पकालीन अध्येतावृत्तियों के लिए नामन प्राप्त हुए ।

भारत सरकार ने अमरीका में डाक्टरेट-उपरांत कार्य के लिए विश्वविद्यालयों/कालेजों तथा प्रौद्योगिकी संस्थानों से भारतीय शिक्षकों के दौरे के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को 12 अध्येतावृत्तियां आबंटित कीं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इनमें से 4 अध्येतावृत्तियों को तीन-तीन मास को 12 अल्पकालीन अभ्यागतवृत्तियों में बदल दिया । परिणामस्वरूप, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 10-10 महीने वाली दीर्घकालीन अध्येतावृत्तियों के लिए 8 और तीन-तीन महीने वाले 12 अल्पकालीन अभ्यागतवृत्तियों के लिए नामन किए ।

15.7 सी एस आई आर - सी एन आर एस विनिमय कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के अधीन सी एस आई आर फ्रांस जाने के लिए विश्वविद्यालय प्रणाली से भारतीय वैज्ञानिकों के दौरे के वास्ते 200 श्रम दिवस आबंटित करता है । उसी प्रकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सी एन आर एस को फ्रांस के वैज्ञानिकों द्वारा अपने अनुसंधानकार्य के संबंध में भारत का दौरा करने के लिए 200 श्रमदिवस आबंटित करता है । वर्ष 1993-94 के दौरान 6 भारतीय स्कालरों ने 4 सप्ताह के लिए फ्रांस का दौरा किया और फ्रांस के 2 स्कालरों ने भारत का दौरा किया ।

15.8 शैक्षिक सम्पर्क अंतर्विनिमय योजना (ए एल आई एस)

इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन भारत और यू.के. में उच्च शिक्षा संस्थाओं के बीच संपर्क विकास के लिए ब्रिटिश काउंसिल के सहयोग से किया जाता है । ऐसे सम्पर्को का विकास निर्दिष्ट क्षेत्रों में यथा - संयुक्त अनुसंधान, संयुक्त प्रकाशन, पाठ्यक्रम विकास आदि के लिए किया जाता है ।

वर्ष 1993-94 के दौरान 14 भारतीय स्कालरों ने यू.के. का दौरा किया और 9 ब्रिटिश स्कालरों ने भारत का दौरा किया ।

15.9 सार्क पीठें/अध्येतावृत्तियां/छात्रवृत्तियां

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सार्क पीठें/अध्येतावृत्तियों/ छात्रवृत्तियों की योजना के लिए एक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में काम करता है । इस योजना के अधीन प्रेषक देश अंतर्राष्ट्रीय हवाई किराया देता है और मेजबान पक्ष दाखिलों और भत्तों के भुगतान की व्यवस्था करता हैं । इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित देशों में उपलब्ध स्थानों की संख्या इस प्रकार है :

देश	बंगला	भूटान	भारत	नेपाल	पाकिस्तान	श्रीलंका	मालदीव
पीठें	1	–	1	–	1	1	–
अध्येतावृत्तियां	6	1	6	1	6	6	–
छात्रवृत्तियों	12	–	2	2	12	12	–

वर्ष 1993-94 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रत्येक देश के लिए निम्नलिखित नामन किए :

देश	अध्येतावृत्तियां	छात्रवृत्तियां
पाकिस्तान	1	1
बंगला देश	1	1
भूटान	1	–
श्रीलंका	1	1
नेपाल	–	2

15.10 सैद्धांतिक भौतिकी के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (आई सी टी पी)

सैद्धांतिक भौतिकी के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (आई सी टी पी) के आयोजक त्रिस्ते (इटली) या किसी अन्य देश में आयोजित ग्रीष्मकालीन स्कूलों में भाग लेने के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों/कालेजों के शिक्षकों को आंमत्रित करते हैं । भारतीय सहभागियों के हवाई किराये के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और आई सी टी पी - दोनों बराबर–बराबर राशि देते हैं । वर्ष 1993-94 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को आई सी टी पी से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ ।

15.11 राष्ट्रमंडलीय शैक्षिक स्टाफ अध्येतावृत्तियां/छात्रवृत्तियां

इस कार्यक्रम के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यू.के. में राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय संघ (ए सी यू) से समन्वय स्थापित करता है और राष्ट्रमंडलीय अध्येतावृत्तियां और छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए नामन करता है ताकि भारत में विश्वविद्यालयों और कालेजों में होनहार संकाय सदस्य यू.के. में विश्वविद्यालयों/संस्थानों में अनुसंधान कार्य कर सकें ।

वर्ष 1993-94 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोन ने अध्येतावृत्तियों के लिए 25 और छात्रवृत्तियों के लिए 20 शिक्षकों की सिफारिश की । इनमें से राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय संघ ने अध्येतावृत्तियों के लिए 13 और छात्रवृत्तियों के लिए 8 शिक्षकों का चयन किया ।

15.12 कनाडियन अध्ययनों का विकास

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कनाडियन अध्ययन कार्यक्रम शुरू किया है और कनाडा के ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों से संबंधित अध्ययनों के लिए विभिन्न स्तरों पर वित्तीय सहायता देने के वास्ते 13 विभागों की पहचान कर ली है ।

परिशिष्टों की सूची

I	भारत के विश्वविद्यालयों तथा समविश्वविद्यालयों की सूची (31-03-1994 को)	98
II	छात्र नामांकन में अखिल भारतीय संवृद्धि (1974-75 से 1993-94)	102
III	राज्यवार नामांकन (पी यू सी/इंटर/पूर्व व्यावसायिक को छोड़कर) 1993-94	103
IV	स्तरवार नामांकन : विश्वविद्यालय तथा संबद्ध कालेज 1993-94	104
V	विश्वविद्यालयों में छात्र नामांकन : संकायवार 1989-90 से 1993-94	104
VI	कुल नामांकन में महिला नामांकन का प्रतिशत : राज्यवार 1993-94	105
VII	कालेजों की संख्या में वृद्धि : राज्यवार (1989-90 से 1993-94)	106
VIII	पदों के अनुसार विश्वविद्यालयों विभागों/वि.वि. कालेजों में शिक्षण स्टाफ की संख्या और वितरण (1989-90 से 1993-94)	107
IX	पदों के अनुसार संबद्ध कालेजों में शिक्षण स्टाफ की संख्या तथा वितरण (1989-90 से 1993-94)	107
X	संकायवार प्रदत्त डाक्टरेट की डिग्रियों की संख्या : (1991-92 और 1992-93)	108
XI	वर्ष 1993-94 के दौरान केंद्रीय विश्वविद्यालयों को प्रदत्त अनुदानों का विवरण (शीर्षवार) योजनेतर के अंतर्गत	109
XII	वर्ष 1993-94 के दौरान विश्वविद्यालयों को प्रदत्त अनुदानों का विवरण (मुख्य शीर्षवार) सामान्य योजना, इंजी. तथा प्रौद्यो. एवं खंड III के अंतर्गत	124
XIII	वर्ष 1991-92 के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों, समविश्वविद्यालय संस्थाओं तथा राज्य विश्वविद्यालयों के संबंध में अनुरक्षण अनुदान (योजनेतर) तथा आवर्ती व्यय (योजनेतर) दर्शाने वाला विवरण	140

परिशिष्ट — I

भारत में विश्वविद्यलयों तथा समविश्वविद्यालय संस्थाओं की सूची (31-03-1994 को)

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना वर्ष
(क)	**विश्वविद्यालय**	
आंध्र प्रदेश		
1.	उस्मानिया	1918
2.	आंध्र	1926
3.	श्री वेंकेटेश्वर	1954
4.	आंध्र प्रदेश कृषि	1964
5.	जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकीय	1972
6.	हैदराबाद	1974
7.	ककातिया	1976
8.	नागार्जुन	1976
9.	श्री कृष्णदेवराय	1981
10.	डॉ. बी. आर. अम्बेडकर	1982
11.	श्री पद्मावती महिला	1983
12.	तेलुगु	1985
13.	आंध्र प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय	1986
अरुणाचल प्रदेश		
14.	अरुणाचल	1985
असम		
15.	गोवाहाटी	1948
16.	डिब्रूगढ़	1965
17.	असम कृषि	1968
18.	असम	1994
19.	तेजपुर	1994
बिहार		
20.	पटना	1917
21.	बिहार	1952
22.	भागलपुर	1960
23.	रांची	1960
24.	के. एस. दरभंगा संस्कृत	1961
25.	मगध	1962
26.	राजेन्द्र कृषि	1970
27.	ललितनारायण महिला	1972
28.	बिरसा कृषि	1980
29.	भूपेन्द्र नारायण मंडल	1993
30.	विनोबा भावे	1993
31.	वीर कुवर सिंह	1994
गोवा		
32.	गोवा	1985
गुजरात		
33.	महाराज सायाजीराव	1949
34.	गुजरात	1950
35.	सरदार पटेल	1955
36.	सौराष्ट्र	1955
37.	साउथ गुजरात	1965
38.	गुजरात आयुर्वेद	1968
39.	गुजरात कृषि	1972
40.	भावनगर	1978
41.	नार्थ गुजरात	1986
हरियाणा		
42.	कुरुक्षेत्र	1956
43.	चौधरी चरणसिंह हरियाणा कृषि	1970
44.	महर्षि दयानंद	1976
हिमाचल प्रदेश		
45.	हिमाचल प्रदेश	1970
46.	हिमाचल प्रदेश कृषि	1978
47.	डॉ. वाई. एस. परमार कृषिउद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय	1986
जम्मू-कश्मीर		
48.	कश्मीर	1949
49.	जम्मू	1969
50.	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	1982
कर्नाटक		
51.	मैसूर	1916
52.	कर्नाटक	1949

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना वर्ष
53.	बंगलौर	1964
54.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर	1964
55.	गुलबर्गा	1980
56.	मंगलौर	1980
57.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़	1986
58.	कुवेम्पू	1987
59.	कन्नड	1992
60.	नेशनल लॉ स्कूल आफ इंडिया	1992
केरल		
61.	केरल	1937
62.	कालीकट	1968
63.	कोचीन विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	1971
64.	केरल कृषि	1972
65.	महात्मा गांधी	1983
66.	श्री शंकरचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय	1994
मध्यप्रदेश		
67.	डॉ. हरि सिंह गौड़	1946
68.	इंदिरा कला संगीत	1956
69.	रानी दुर्गावती	1957
70.	विक्रम	1957
71.	देवी अहिल्या	1964
72.	जवाहरलाल नेहरू कृषि	1964
73.	जीवाजी	1964
74.	रविशंकर	1964
75.	अवधेश प्रताप सिंह	1968
76.	बरकतुल्ला	1970
77.	गुरु घासीदास	1983
78.	इंदिरा गांधी कृषि	1987
79.	चित्रकूट ग्रामोदय	1993
80.	माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता	1993
महाराष्ट्र		
81.	बंबई	1857
82.	नागपुर	1923
83.	पूना	1949
84.	श्रीमती नत्थीबाई दामोदर ठाकरसे महिला	1951
85.	डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (मराठवाड़ा)	1958
86.	शिवाजी	1962
87.	महात्मा फूले कृषि	1968

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना वर्ष
88.	पंजाबराव कृषि	1969
89.	कोंकण कृषि	1972
90.	मराठवाड़ा कृषि	1972
91.	अमरावती	1983
92.	यशवंतराव महाराष्ट्र मुक्त	1990
93.	नार्थ महाराष्ट्र	1990
94.	डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर प्रौद्योगिकीय	1992
मणिपुर		
95.	मणिपुर	1980
मेघालय		
96.	नार्थ ईस्टर्न हिल	1973
उड़ीसा		
97.	उत्कल	1943
98.	उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी	1962
99.	बरहामपुर	1967
100.	सम्बलपुर	1967
101.	श्री जगन्नाथ संस्कृत	1981
पंजाब		
102.	पंजाब	1947
103.	पंजाब कृषि	1962
104.	पंजाबी	1962
105.	गुरु नानक देव	1969
राजस्थान		
106.	राजस्थान	1947
107.	जय नारायण व्यास	1962
108.	मोहनलाल सुखाड़िया	1962
109.	कोटा मुक्त	1987
110.	महर्षि दयानंद सरस्वती	1987
111.	राजस्थान कृषि	1987
तमिलनाडु		
112.	मद्रास	1857
113.	अन्ना-मलाई	1929
114.	मदुरै कामराज	1965
115.	तमिलनाडु कृषि	1971
116.	अन्ना	1978
117.	तमिल	1981

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना वर्ष
118.	भरतियार	1982
119.	भारतीदासन	1982
120.	मदर टरेसा महिला	1984
121.	अलगप्पा	1985
122.	डॉ. एम. जी. आर. मेडीकल	1989
123.	तमिलनाडु पशुचिकित्सा तथा पशुविज्ञान	1990
124.	मनोनमयिन सुंदरनगर	1992
	त्रिपुरा	
125.	त्रिपुरा	1987
	उत्तरप्रदेश	
126.	इलाहाबाद	1887
127.	बनारस हिंदू	1916
128.	अलीगढ़ मुस्लिम	1921
129.	लखनऊ	1921
130.	आगरा	1927
131.	रुड़की	1947
132.	गोरखपुर	1957
133.	सम्पूर्णानंद संस्कृत	1958
134.	जी. बी. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	1960
135.	चौधरी चरणसिंह (मेरठ)	1965
136.	कानपुर	1965
137.	हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल	1973
138.	कुमाऊं	1973
139.	चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	1974
140.	काशी विद्यापीठ	1974
141.	नरेन्द्रदेव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	1974
142.	अवध	1975
143.	बुंदेलखंड	1975
144.	रुहेलखंड	1975
145.	पूर्वांचल	1987
	पश्चिम बंगाल	
146.	कलकत्ता	1857
147.	विश्व भारती	1951
148.	जादवपुर	1955
149.	बर्दवान	1960
150.	कल्याणी	1960
151.	नार्थ बंगाल	1962
152.	रबींद्र भारती	1962
153.	विधानचंद्र कृषि	1974
154.	विद्यासागर	1981
	दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र)	
155.	दिल्ली	1922
156.	जवाहरलाल नेहरू	1968
157.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त	1985
158.	जामिया मिलिया इस्लामिया	1988
	पांडिचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	
159.	पांडिचेरी	1985

(ख) राज्य विधान अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किए गए संस्थान

क्र.सं.	राज्य संस्थान	स्थापना वर्ष
	आंध्रप्रदेश	
1.	निज़ाम आयुर्विज्ञान संस्थान	1990
	बिहार	
2.	इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान	1992
	जम्मू-कश्मीर	
3.	शेर-ए-कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान	1990
	उत्तरप्रदेश	
4.	संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान	1983

(ग) समविश्वविद्यालय संस्थाएं

क्र.सं.	राज्य/समविश्वविद्यालय संस्थाएं	स्थापना वर्ष
	आंध्रप्रदेश	
1.	केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान	1973
2.	श्री सत्य साई उच्च शिक्षा संस्थान	1981
3.	राष्ट्रीस संस्कृत विद्यापीठ	1987
	बिहार	
4.	भारतीय खान स्कूल	1967
5.	बिड़ला प्रौद्योगिकी संस्थान	1986

क्र.सं.	राज्य/समविश्वविद्यालय संस्थाएं	स्थापना वर्ष
गुजरात		
6.	गुजरात विद्यापीठ	1963
हरियाणा		
7.	राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान	1989
कर्नाटक		
8.	भारतीय विज्ञान संस्थान	1958
9.	मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी	1994
महाराष्ट्र		
10.	टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान	1964
11.	अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान	1985
12.	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ	1987
13.	केंद्रीय मत्स्यपालन शिक्षा संस्थान	1989
14.	डकन स्नातकोत्तर कालेज एवं अनुसंधान संस्थान	1990
15.	गोखले राजनीति शास्त्र एवं अर्थशास्त्र संस्थान	1994
पंजाब		
16.	थापर इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान	1985
राजस्थान		
17.	बिड़ला प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान संस्थान	1964
18.	वनस्थली विद्यापीठ	1983
19.	राजस्थान विद्यापीठ	1987
20.	जैन विश्व भारती संस्थान	1991
तमिलनाडु		
21.	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान	1976
22.	श्री अविनाशीलिंगम् महिला गृह-विज्ञान एवं उच्च शिक्षा संस्थान	1988
23.	श्री चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती न्यायशास्त्र	1994
उत्तरप्रदेश		
24.	गुरुकुल कांगड़ी	1962
25.	दयालबाग शिक्षा संस्थान	1981
26.	भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान	1983
27.	केंद्रीय उच्च तिब्बतन अध्ययन संस्थान	1989
28.	वन अनुसंधान संस्थान	1992
पश्चिम बंगाल		
29.	बंगाल इंजीनियरी कालेज	1992
दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र)		
30.	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	1958
31.	योजना तथा वास्तुकला विश्वविद्यालय	1979
32.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ	1987
33.	जामिया हमदर्द	1989
34.	कला इतिहास, संरक्षण तथा संग्रहालय विज्ञान का राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान	1989

परिशिष्ट — II

छात्र नामांकन में अखिल भारतीय संवृद्धि (1974-75 से 1993-94)

वर्ष	कुल नामांकन	गत वर्ष की अपेक्षा वृद्धि	प्रतिशत वृद्धि
1974-75	23,66,541	1,32,156	5.9
1975-76	24,26,109	59,568	2.5
1976-77	24,31,563	5,454	0.2
1977-78	25,64,972	1,33,409	5.5
1978-79	26,18,228	53,256	2.1
1979-80	26,48,579	30,351	1.2
1980-81	27,52,437	1,03,858	3.5
1981-82	29,52, 1 066	1,99,629	7.3
1982-83	31,33.093	1,81,027	6.1
1983-84	33,07,649	1,74,556	5.6
1984-85	34,04,096	96,447	2.9
1985-86	36,05,029	2,00,933	5.9
1986-87	37,57,158	1,52,129	4.1
1987-88*	39,10,828	1,56,419	4.2
1988-89*	40,74,676	1,63,848	4.2
1989-90*	42,46,878	1,72,202	4.1
1990-91*	44,25,247	1,78,369	4.2
1991-92*	46,11,107	1,85,860	4.2
1992-93*	48,04,773	1,93,666	4.2
1993-94*	50,06,575	2,01,802	4.2

* अनुमानित

परिशिष्ट — III

राज्यवार नामांकन (पी यू सी/इंटर/पूर्व-व्यावसायिक को छोड़कर) 1993-1994

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नामांकन	गत वर्ष की अपेक्षा वृद्धि	प्रतिशत वृद्धि	वर्ष 1989-90 से 1993-94 के दौरान वृद्धि की वार्षिक औसत मिश्रित दर
1.	आंध्र प्रदेश	341057	12486	3.8	3.8
2.	असम	98749	5810	6.2	4.6
3.	बिहार	350328	17000	5.1	4.0
4.	गुजरात	294093	10766	3.8	3.8
5.	हरियाणा	106537	4392	4.3	4.3
6.	हिमाचल प्रदेश	30793	1658	5.8	5.8
7.	जम्मू-कश्मीर	39191	2078	5.6	5.6
8.	कर्नाटक	322152	10894	3.5	3.5
9.	केरल	186139	6295	3.5	3.5
10.	मध्य प्रदेश	343649	10978	3.3	3.3
11.	महाराष्ट्र	691776	42191	6.5	4.8
12.	मणिपुर	16124	941	6.2	6.2
13.	मेघालय/मिजोरम नागालैंड	14589	615	4.4	4.4
14.	उड़ीसा	102040	2972	3.0	3.0
15.	पंजाब	179201	6227	3.6	3.5
16.	राजस्थान	222450	6898	3.2	3.2
17.	तमिलनाडु	491072	19773	4.2	8.1
18.	उत्तर प्रदेश	656713	22820	3.6	3.6
19.	पश्चिम बंगाल/त्रिपुरा/सिक्किम	388165	12400	3.3	3.3
20.	दिल्ली	131757	4578	3.6	3.6
	जोड़	**5006575**	**201802**	**4.2**	**4.2**

परिशिष्ट — IV

स्तरवार नामांकन : विश्वविद्यालय तथा संबद्ध कालेज 1993-1994

स्तर	विभाग/कालेज	संबद्ध कालेज	जोड़	संबद्ध कालेजों में प्रतिशत			
				1993-94	1992-93	1991-92	1990-91
स्नातक	5,38,116	38,72,765	44,10,791	87.8	87.8	87.8	87.8
स्नातकोत्तर	2,06,896	2,68,728	475,624	56.5	56.5	56.5	56.5
अनुसंधान	46,812	8,261	55,073	15.0	15.0	15.0	15.0
डिप्लोमा/ प्रमाण—पत्र	36,839	28,248	65,087	43.4	43.4	43.4	43.4
जोड़	**8,28,663**	**41,77,912**	**50,06,575**	**83.4**	**83.4**	**83.4**	**83.4**

परिशिष्ट — V

विश्वविद्यालयों में छात्र नामांकन : संकायवार 1989-90 से 1993-94

अध्ययन पाठ्यक्रम	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
कला (प्राच्य विद्या सहित)	17,17,437	17,89,480	18,65,605	19,43,960	20,25,606
विज्ञान	8.34,087	8,69,119	9,03,776	9,41,734	9,81,287
वाणिज्य	9,31,765	9,69,882	10,09,832	10,52,244	10,96,438
शिक्षा	95,979	99,613	1,06,055	1,10,509	1,15,151
इंजीनियरी/ प्रौद्योगिकी	2,09,371	2,16,837	2,25,944	2,25,434	2,45,322
आयुर्विज्ञान	1,42,270	1,50,458	1.56,777	1,63,362	1,70,224
कृषि	45,229	46,908	48,908	50,962	53,102
पशु चिकित्सा विज्ञान	10,957	11,063	11,550	12,035	12,541
विधि	2,22,961	2,34,538	2,44,388	2,54,652	2,65,348
अन्य	36,822	37,349	38,272	39,881	41,556
जोड़	**42,46,878**	**44,25,247**	**46,11,107**	**48,04,773**	**50,06,575**

परिशिष्ट — VI

कुल नामांकन में महिला नामांकन का प्रतिशत : राज्यवार
1993-94

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल नामांकन*	महिला नामांकन*	महिलाओं का प्रतिशत
1..	आंध्र प्रदेश	341057	95257	27.9
2.	असम	98749	31028	31.4
3.	बिहार	350328	59057	16.9
4.	गुजरात	294093	105315	6.8
5.	हरियाण	106537	45377	42.6
6.	हिमाचल प्रदेश	30793	8355	27.1
7.	जम्मू-कश्मीर	39191	14856	37.9
8.	कर्नाटक	322152	95761	29.7
9.	केरल	186139	99335	53.4
10.	मध्य प्रदेश	343649	118948	34.6
11.	महाराष्ट्र	691776	257384	37.2
12.	मणिपुर	16124	5549	34.4
13.	मेघालय/मिजोरम/नागालैंड	14589	5763	39.5
14.	उड़ीसा	102040	26057	25.5
15.	पंजाब	179201	87053	48.6
16.	राजस्थान	222450	54808	24.6
17.	तमिलनाडु	491072	191039	38.9
18.	उत्तर प्रदेश	656713	150666	22.9
19.	पश्चिम बंगाल/त्रिपुरा/सिक्किम	388165	151005	38.9
20.	दिल्ली	131757	61508	46.7
	जोड़	**6006575**	**1664121**	**33.2**

* अनुमानित

परिशिष्ट — VII
कालेजों की संख्या में वृद्धि : राज्यवार
(1989-90 से 1993-94)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94*	89-90 से 93-94 के दौरान वृद्धि
1.	आंध्र प्रदेश	568	592	686	717	747	179
2.	अरुणाचल प्रदेश	4	4	4	4	4	0
3.	असम	184	185	210	218	225	41
4.	बिहार	622	664	664	715	735	73
5.	गोवा	27	27	30	30	31	4
6.	गुजरात	348	356	370	385	397	49
7.	हरियाण	149	154	155	155	156	7
8.	हिमाचल प्रदेश	42	42	53	54	56	14
9.	जम्मू-कश्मीर	44	44	46	46	46	2
10.	कर्नाटक	696	715	790	846	884	188
11.	केरल	193	193	225	225	232	39
12.	मध्य प्रदेश	622	631	631	631	653	31
13.	महाराष्ट्र	958	1101	1191	1216	1251	293
14.	मणिपुर	25	25	44	50	54	29
15.	मेघालय	20	20	20	20	20	0
16.	मिजोरम	10	10	10	10	10	0
17.	नागालैंड	13	13	13	13	13	0
18.	उड़ीसा	273	277	289	303	313	40
19.	पंजाब	208	213	217	221	224	16
20.	राजस्थान	254	255	256	268	273	19
21.	सिक्किम	2	2	2	2	2	0
22.	तमिलनाडु	354	357	380	384	396	42
23.	त्रिपुरा	17	17	19	19	20	3
24.	उत्तर प्रदेश	944	944	949	953	957	13
25.	पश्चिम बंगाल	384	389	390	391	394	10
26.	अ.व.नि. द्वीपसमूह	2	3	3	3	3	1
27.	चंडीगढ़	20	20	20	20	20	0
28.	दादर व नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
29.	दमन व दीव	1	1	1	1	1	0
30.	दिल्ली	79	79	80	80	80	1
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	o
32.	पांडिचेरी	12	13	0	0	13	0
	***जोड़**	**7115**	**7346**	**7761**	**232**	**8210**	**1095**

* अनंतिम

परिशिष्ट — VIII

विश्वविद्यालय विभागों/विश्वविद्यालय कालेजों में पदों के अनुसार शिक्षण स्टाफ की संख्या और वितरण (1989-90 से 1993-94)

वर्ष	प्रोफ़ेसर	रीडर	लेक्चरार*	अनुशिक्षक/ निदर्शक	जोड़
1989-90	7,262 (26.8)	4,864 (26.2)	32,337 (57.0)	2,269 (4.0)	56,732 (100.0)
1990-91	7,509 (12.8)	15,369 (26.2)	33,437 (57.0)	2,346 (4.0)	58,661 (100.0)
1991-92	7,764 (12.8)	15,892 (26.2)	34,573 (57.0)	2,426 (4.0)	60,655 (100.0)
1992-93	8,029 (12.8)	16,431 (26.2)	35,748 (57.0)	2,508 (4.0)	62,716 (100.0)
1993-94	8,300 (12.8)	16,990 (26.2)	36,963 (57.0)	2,594 (4.0)	64,847 (100.0)

टिप्पणी :- कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े उस वर्ष के कुल स्टाफ़ की संख्या में संबंधित काडर की प्रतिशतता दर्शाते है ।

* इनमें सहायक प्रोफ़ेसर और सहायक लेक्चरार शामिल है ।

परिशिष्ट — IX

पदों के अनुसार संबद्ध कालेजों के शिक्षण स्टाफ की संख्या और वितरण (1989-90 से 1993-94)

वर्ष	वरिष्ठ शिक्षक*	लेक्चरार**	अनुशिक्षक/ निदर्शक	जोड़
1989-90	27,708 (13.9)	1,62,856 (81.7)	8,771 (4.4)	1,99,335 (100.0)
1990-[illegible]	28,421 (13.9)	1,67,047 (81.7)	8,996 (4.4)	2,04,464 (100.0)
1991-92	29,160 (13.9)	1,71.390 (81.7)	9.230 (4.4)	2,09,780 (100.0)
1992-93	29,917 (13.9)	1,75,846 (81.7)	9,471 (4.4)	2,15,234 (100.0)
1993-94	30,695 (13.9)	1,80.418 (81.7)	9,717 (4.4)	2,20,830 (100.0)

टिप्पणी :- कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े उस वर्ष के कुल स्टाफ़ की संख्या में संबंधित काडर की प्रतिशतता दर्शाते है ।

* इनमें प्रिंसिपल, प्रोफ़ेसर, रीडर और वरिष्ठ लेक्चरार शामिल है ।

**इनमें सहायक प्रोफेसर और सहायक लेक्चरार शामिल है ।

परिशिष्ट – X

संकायवार प्रदत्त डाक्टरेट की डिग्रियों की संख्या

(1991-92 और 1992-93)

संकाय	1991-92	1992-93+
कला	3,489	3,621
विज्ञान	3,226	3,386
वाणिज्य	409	453
शिक्षा	254	247
इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी	299	323
आयुर्विज्ञान	107	116
कृषि	653	611
पशुचिकित्सा विज्ञान	129	112
विधि	60	72
अन्य	117	129
जोड़	**8,743**	**9,070**

\+ अंनतिम

परिशिष्ट - XI

वर्ष 1993-94 के दौरान विश्वविद्यालयों को प्रदत्त अनुदानों का विवरण (मुख्य शीर्षवार) योजनेतर के अंतर्गत

ब्लाक अनुदान	केंद्रीय विश्वविद्यालयों को ब्लाक अनुदान 02(1)	समविश्वविद्यालय संस्थाओं को ब्लाक अनुदान 02(2)	राज्य विश्वविद्यालयों 02(3)	शिक्षक अवार्ड वृत्तियां 05(क) to 05(iv)	अनुसंधान अध्येता– ई एंड टी 06(1क) to 06(2ख)	छात्रवृत्ति फेलोशिप अवार्ड व्यय को 07	विश्वविद्यालयेतर संस्थानों को प्रतिपूर्ति 08	जनसंपर्क माध्यम 09	कुल जोड़
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
केंद्रीय विश्वविद्यालय									
1. अलीगढ़ मुस्लिम वि.वि.	5722.95	—	—	—	19.22	—	—	—	5742.17
2. बनारस हिन्दू वि.वि.	6006.95	—	—	0.03	35.87	—	—	—	6042.85
3. दिल्ली	3236.34	—	—	—	54.65 *0.01	—	—	—	3290.00 *0.01
4. हैदराबाद	1000.00	—	—	—	47.35	2.60	—	—	1049.95
5. इ.गां.रा. मुक्त वि.वि.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. जामिया मिलिया इस्लामिया	1046.70	—	—	—	5.84	—	—	93.70	1146.24
7. जवाहरलाल नेहरू वि.वि.	1884.62	—	—	—	24.95 * 0.02	*0.02	—	—	1909.59 * 0.02
8. एन.ई.एच.यू. (नेहू)	1427.52	—	—	0.34	—	—	—	—	1427.86
9. पांडिचेरी	448.18	—	—	0.19	0.42	—	—	—	448.79
10. विश्व भारती	1476.84	—	—	—	13.49	—	—	—	1490.33
जोड़	**22250.10**	—	—	0.56	**201.79** ***0.03**	2.62	—	**93.70**	**22558.77** ***0.03**
नाभिकीय केंद्र									
1. नाभिकीय केंद्र, नई दिल्ली	—	—	—	—	0.23	—	—	2.92	3.15
2. नाभिकीय केंद्र का शिक्षा संचार संकाय	—	—	—	—	—	—	—	32.08	32.08
जोड़	—	—	—	—	0.23	—	—	35.00	35.23

* समायोजन द्वारा

	केंद्रीय विश्वविद्यालयों को ब्लाक अनुदान 02(1)	समविश्वविद्यालय संस्थाओं को ब्लाक अनुदान 02(2)	राज्य विश्वविद्यालयों ब्लाक अनुदान 02(3)	शिक्षक अवार्ड 05(क) to 05(iv)	अनुसंधान अध्येता– वृत्तियां 06(1क) to 06(2ख)	छात्रवृत्ति फेलोशिप अवार्ड ई एंड टी 07	विश्वविद्यालयेतर संस्थानों को व्यय की प्रतिपूर्ति 08	जनसंपर्क माध्यम 09	कुल जोड़
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
समविश्वविद्यालय संस्थाएं									
1. बनस्थली विद्यापीठ	—	20.00	—	—	—	—	—	—	20.00
2. बिड़ला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा	—	—	135.06	—	0.02	0.18	—	—	135.26
3. बिड़ला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, पिलानी	—	—	—	—	—	3.28	—	—	3.28
4. केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा केंद्र, हैदराबाद	—	249.76	—	10.00	2.80	—	—	21.11	283.67
5. केंद्रीय मत्स्यपालन शिक्षा संस्थान, बंबई	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. केंद्रीय उच्च तिब्बतन अध्ययन संस्थान, वाराणसी	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. दयालबाग शिक्षा संस्थान, आगरा	—	104.60	—	—	0.36	0.38	—	—	105.34
8. डकन स्नातकोत्तर कालेज एवं अनुसंधान संस्थान, पुणे	—	—	—	0.04	0.52	—	—	—	0.56
9. गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान	-	221.83	—	—	0.45	—	—	—	222.28
10. गोखले संस्थान, पुणे	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद	—	196.42	—	—	—	—	—	—	196.42
12. गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय, हरद्वार	—	138.50	—	—	—	—	—	—	138.50
13. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	—	—	—	—	0.65	—	—	—	0.65
14 भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर	—	—	—	1.61	—	0.03	—	—	1.64
15. भारतीय खान संस्थान, धनबाद	—	555.02	—	—	0.08	0.04	—	—	555.14
16. अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, बंबई	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17. भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज़ातनगर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18. जे.वि. भारती संस्थान, लाधुन	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. जामिया हमदर्द, दिल्ली	—	54.55	—	—	0.50	2.58	—	—	57.63

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
समविश्वविद्यालय संस्थाएं									
20. कला-इतिहास, संरक्षण तथा संग्रहालय विज्ञान का राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान, दिल्ली	—	—	—	—	1.21	—	—	—	1.21
21. राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. राजस्थान विद्यापीठ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. आर. संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24. योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25. श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली	—	54.27	—	—	—	—	—	—	54.27
26. श्री अविनाशीलिंगम् महिला गृह-विज्ञान तथा उच्च शिक्षा संस्थान	—	54.27	—	—	—	—	—	—	54.27
27. श्री सत्य साई उच्च शिक्षा संस्थान	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, बंबई	-	211.77	-	-	0.04		-	—	211.81
29. तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30. थापर इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, पटियाला	—	—	81.57	—	0.32	—	—	—	81.89
31. श्री सी.एस.एन.एस.महाविद्यालय, कांचीपुरम	—	7.00	—	—	—	—	—	—	7.00
जोड़		**1813.72**	**216.63**	**4.65**	**7.57**	**6.49**	—	**21.11**	**2077.17**

राज्य विधानमंडल अधिनियम के अधीन स्थापित संस्थाएं

1. संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान
2. शेर-ए-कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान
3. निज़ाम आयुर्विज्ञान संस्थान
4. इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान

वर्ष के दौरान कोई अदायगी नहीं।

	केंद्रीय विश्वविद्यालयों को ब्लाक अनुदान 02(1)	समविश्वविद्यालय संस्थाओं को ब्लाक अनुदान 02(2)	राज्य विश्वविद्यालयों ब्लाक अनुदान 02(3)	शिक्षक अवार्ड 05(क) to 05(iv)	अनुसंधान अध्येता–वृत्तियां 06(1क) to 06(2ख)	छात्रवृत्ति फेलोशिप अवार्ड ई एंड टी 07	विश्वविद्यालयेतर संस्थानों को व्यय की प्रतिपूर्ति 08	जनसंपर्क माध्यम 09	कुल जोड़
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
राज्य विश्वविद्यालय									
आंध्र प्रदेश									
1. आंध्र प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. आंध्र	—	—	—	1.20	26.46	61.24	—	—	88.90
3. आंध्र प्रदेश कृषि	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. डॉ.बी.आर.अम्बेडकर मुक्त वि.वि.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी	—	—	—	—	1.99	—	—	—	1.99
6. ककातिया	—	—	—	0.04	0.62	1.70	—	—	2.36
7. नागार्जुन	—	—	—	0.18	3.49	—	—	—	3.67
8. उस्मानिया	—	—	—	0.21	15.28	6.01	—	—	21.50
9. श्री कृष्णदेवराय	—	—	—	—	2.62	—	—	—	2.62
10. श्री वेंकटेश्वर	—	—	—	0.13	8.37	7.32	—	—	15.82
11. श्री पद्मावती महिला वि.वि., तिरुपति	—	—	—	—	0.19	—	—	—	0.19
12. तेलुगु वि.वि.	—	—	—	—	0.16	—	—	—	0.16
जोड़	—	—	—	**1.76**	**59.18**	**76.27**	—	—	**137.21**
अरुणाचल प्रदेश									
1. अरुणाचल विश्वविद्यालय	—	—	—	—	—	—	—	—	—
जोड़	—	—	—	—	—	—	—	—	—
असम									
1. असम कृषि	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. डिब्रूगढ़	—	—	—	0.06	—	—	—	—	0.06
3. गुवाहाटी	—	—	—	—	5.78	—	—	—	5.78
जोड़	—	—	—	**0.06**	**5.78**	—	—	—	**5.84**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
राज्य विश्वविद्यालय									
बिहार राज्य									
1. भागलपुर	—	—	—	0.20	0.25	—	—	—	0.45
2. बिहार	—	—	—	—	4.57	—	—	—	4.57
3. बिरसा कृषि	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. के.एस.दरभंगा संस्कृत	—	—	—	—	0.24	—	—	—	0.24
5. मगध	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. ललित नारायण मिथिला	—	—	—	—	0.15	—	—	—	0.15
7. पटना	—	—	—	—	20.59	3.66	—	—	24.25
8. राजेंद्र कृषि	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. रांची	—	—	—	—	1.05	—	—	—	1.05
जोड़	—	—	—	**0.20**	**26.85**	**3.66**	—	—	30.71
हरियाणा राज्य									
1. हरियाणा कृषि	—	—	—	—	0.27	—	—	—	0.27
2. कुरुक्षेत्र	—	—	—	0.42	4.52	—	—	—	4.94
3. महर्षि दयानंद	—	—	—	0.23	2.80	—	—	—	3.03
जोड़	—	—	—	**0.65**	**7.59**	—	—	—	8.24
गुजरात राज्य									
1. भावनगर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. गुजरात	—	—	—	—	—	—	—	7.64	7.64
3. गुजरात कृषि	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. गुजरात आयुर्वेद	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. महाराज सायाजी	—	—	—	—	4.80	10.53	—	—	15.33
6. उत्तरी गुजरात	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. सरदार पटेल	—	—	—	—	1.67	—	—	—	1.67
8. सौराष्ट्र	—	—	—	0.14	—	—	—	—	0.14
9. दक्षिण गुजरात	—	—	—	—	—	—	—	—	—
जोड़	—	—	—	**0.14**	**6.47**	**10.53**	—	**7.64**	24.78

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
राज्य विश्वविद्यालय									
गोवा राज्य									
1. गोवा विश्वविद्यालय	—	—	—	—	—	—	—	—	—
जोड़	—	—	—	—	—	—	—	—	—
हिमाचल प्रदेश									
1. हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	5.13	—	—	—	5.13
2. हिमाचल प्रदेश कृषि	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. डॉ. वाई.एस.परमार कृषि उद्यान तथा वानिकी विश्वविद्यालय	—	—	—	—	—	—	—	—	—
जोड़	—	—	—	—	**5.13**	—	—	—	**5.13**
जम्मू-कश्मीर राज्य									
1. जम्मू	—	—	—	—	2.86	—	—	—	2.86
2. कश्मीर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	—	—	—	—	—	—	—	—	—
जोड़	—	—	—	—	**2.86**	—	—	—	**2.86**
कर्नाटक राज्य									
1. बंगलौर	—	—	—	0.39	1.01	1.53	—	—	2.93
2. गुलबर्गा	—	—	—	—	1.20	—	—	—	1.20
3. कन्नड	—	—	—	0.28	2.81	—	—	—	3.09
4. कर्नाटक	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. कुवेम्पू	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. मंगलौर	—	—	—	0.014	—	—	—	—	0.14
7. मैसूर	—	—	—	—	16.79	—	—	—	16.97
8. नेशल लॉ इंस्टीच्यूट आफ़ इंडिया, बंगलौर	—	—	—	—	—	—	—	—	—

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
राज्य विश्वविद्यालय									
9. कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर	—	—	—	—	0.38	—	—	—	0.38
जोड़	—	—	—	**0.81**	**22.37**	**1.53**	—	—	**24.71**
केरल राज्य									
1. कालीकट	—	—	—	0.27	6.16	—	—	—	6.43
2. कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	—	—	—	—	4.82	7.53	—	—	12.35
3. केरल	—	—	—	0.39	0.63	—	—	—	1.02
4. केरल कृषि	—	—	—	—	0.12	—	—	—	0.12
5. महात्मा गांधी	—	—	—	—	—	—	—	—	—
जोड़	—	—	—	**0.66**	**11.73**	**7.53**	—	—	**19.92**
मणिपुर									
1. मणिपुर वि.वि., इम्फाल	—	—	—	—	0.39	—	—	—	0.39
जोड़	—	—	—	—	**0.39**	—	—	—	**0.39**
मध्य प्रदेश									
1. अवधेश प्रताप सिंह वि.वि.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. बरकतुल्ला वि.वि.	—	—	—	—	0.13	—	—	—	0.13
3. गुरु घासीदास वि.वि. बिलासपुर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. इंदिरा कला संगीत	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. इंदिरा गांधी कृषि वि.वि.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय	—	—	—	0.29	3.60	—	—	—	3.89
7. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता वि.वि	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय	—	—	—	0.32	0.82	—	—	—	1.14

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
राज्य विश्वविद्यालय									
9. जवाहारलाल नेहरू कृषि	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. जीवाजी	—	—	—	—	0.30	—	—	—	0.30
11. रविशंकर	—	—	—	—	1.64	—	—	—	1.64
12. डॉ. एच.एस.गौड	—	—	—	0.09	0.48	0.82	—	—	1.39
13. विक्रम वि.वि.	—	—	—	0.08	0.29	—	—	—	0.37
जोड़	—	—	—	**0.78**	**7.26**	**0.82**	—	—	**8.86**
महाराष्ट्र									
1. अमरावती वि.वि.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. बम्बई	—	—	—	0.05	—	18.71	—	—	18.76
3. डा. बाबा साहिब अम्बेडकर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. कोंकण कृषि	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. महात्मा फूले कृषि	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. मराठवाड़ा वि.वि.	—	—	—	1.53	—	—	—	—	1.53
8. नागपुर	—	—	—	0.06	7.13	0.95	—	—	8.24
9. उत्तरी महाराष्ट्र	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. पूना	—	—	—	0.41	0.31	—	—	51.01 *2.74	51.73 *2.74
11. पंजाब राव कृषि	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12. एस.एन.डी.टी. महिला	—	—	—	—	0.19	5.56	—	—	5.75
13. शिवाजी	—	—	—	0.96	1.00	—	—	—	1.96
14. यशंवतराव चव्हाण वि.वि.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
जोड़	—	—	—	**3.11**	**8.63**	**25.22**	—	**51.01 *2.74**	**87.97 *2.74**
उड़ीसा राज्य									
1. उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. बरहामपुर	—	—	—	0.06	0.12	—	—	—	0.18

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
राज्य विश्वविद्यालय									
3. सम्बलपुर	—	—	—	—	—	1.99	—	—	1.99
4. श्री जगन्नाथ संस्कृत विद्यापीठ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. उत्कल	—	—	—	0.42	0.28	—	—	—	0.70
जोड़	—	—	—	**0.48**	**0.40**	**1.99**	—	—	**2.87**
पंजाब राज्य									
1. गुरु नानक देव	—	—	—	—	3.29	—	—	—	3.29
2. पंजाब	—	—	—	0.06	38.41	0.03	—	—	38.50
3. पंजाब कृषि	—	—	—	—	0.98	0.01	—	—	0.99
4. पंजाबी	—	—	—	—	3.95	—	—	—	3.95
जोड़	—	—	—	**0.06**	**46.63**	**0.04**	—	—	**46.73**
राजस्थान राज्य									
1. जे.एन.व्यास वि.वि.	—	—	—	0.68	2.80	—	—	24.62 *3.38	28.10 *3.38
2. कोटा मुक्त वि.वि.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. एम.डी.एस. वि.वि.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. एम.एल.सुखाड़िया वि.वि.	—	—	—	0.05	0.11	—	—	—	0.16
5. राजस्थान कृषि वि.वि., बीकानेर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. राजस्थान वि.वि.	—	—	—	1.74	33.08	—	—	—	34.82
जोड़	—	—	—	**2.47**	**35.99**	—	—	**24.62** ***3.38**	**63.08** ***3.38**
तमिलनाडु राज्य									
1. अलगप्पा	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. भारतीदासन वि.वि. तिरुचिरापल्ली	—	—	—	0.20	2.80	—	—	—	3.00
3. अन्नामलाई वि.वि.	—	—	—	—	0.03	2.07	—	—	2.10
4. अन्ना वि.वि.	—	—	4.00	0.03	1.80	10.61	—	—	16.44

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
राज्य विश्वविद्यालय									
5. भारतियार वि.वि.	—	—	—	—	0.47	—	—	—	0.47
6. डॉ. एम.जी.आर. आयुर्विज्ञान वि.वि.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. मद्रास वि.वि.	—	—	—	1.24	15.30	0.36	—	—	16.90
8. मदुरै कामराज	—	—	—	1.03	3.08 *0.03	0.45	—	10.91	15.47 *0.03
9. मदर टेरेसा महिला वि.वि.	—	—	—	—	0.39	—	—	—	0.39
10. एम. सुंदरनर वि.वि.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. तमिलनाडु विश्वविद्यालय	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12. तमिल विश्वविद्यालय	—	—	—	—	0.22	—	—	—	0.22
13. तमिलनाडु पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान वि.वि.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
जोड़	—	—	**4.00**	**2.50**	**24.09** ***0.03**	**13.49**	—	**1091**	**54.99** ***0.03**
त्रिपुरा राज्य									
1. त्रिपुरा विश्वविद्यालय	—	—	—	0.14	—	—	—	—	0.14
जोड़	—	—	—	**0.14**	—	—	—	—	**0.14**
उत्तर प्रदेश									
1. आगरा वि.वि.	—	—	—	—	0.54	—	—	—	0.54
2. इलाहाबाद वि.वि.	—	—	—	—	33.27	—	—	—	33.27
3. अवध वि.वि.	—	—	—	—	0.24	—	—	—	0.24
4. बुंदेलखंड वि.वि.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. जी.बी.पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	—	—	—	—	0.99	0.45	—	—	1.44
7. गोरखपुर वि.वि.	—	—	—	—	7.23	—	—	—	7.23
8. हेमवती नंदन बहुगुणा वि.वि., गढ़वाल	—	—	—	—	0.15	—	—	—	0.15
9. कानपुर वि.वि.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. काशी विद्यापीठ	—	—	—	—	1.37	—	—	—	1.37

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
राज्य विश्वविद्यालय									
11. कुमाऊं वि.वि.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12. लखनऊ वि.वि.	—	—	—	—	3.99	—	—	—	3.99
13. मेरठ वि.वि.	—	—	—	—	0.29	—	—	—	0.29
14. पूर्वांचल वि.वि.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16. रुहेलखंड वि.वि.	—	—	—	—	0.50	—	—	—	0.50
17. रुड़की वि.वि.	—	—	70.71	—	10.71 *0.06	31.51	—	—	122.93 *0.06
18. संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय	—	—	—	—	3.82	—	—	—	3.82
जोड़	—	—	**70.71**	—	**63.10** ***0.06**	**31.96**	—	—	**165.77** ***0.06**
पश्चिम बंगाल									
1. बर्दवान वि.वि.	—	—	—	—	6.30	—	—	—	6.30
2. विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. कलकत्ता वि.वि.	—	—	—	0.08	19.30	9.91	—	—	29.29
4. जादवपुर वि.वि.	—	—	—	—	3.98	39.80	—	—	43.78
5. कल्याणी वि.वि.	—	—	—	—	4.75	—	—	—	4.75
6. उत्तरी बंगाल वि.वि.	—	—	—	0.13	5.14	—	—	—	5.27
7. रबींद्र भारती	—	—	—	—	1.73	—	—	—	1.73
8. विद्यासागर वि.वि.	—	—	—	0.18	0.26	—	—	—	0.44
जोड़	—	—	—	**0.39**	**41.48**	**49.71**	—	—	**91.56**
जोड़	**22250.10**	**1813.72**	**291.34**	**26.69**	**585.50** ***0.12**	**231.86**	**60.00**	**243.99** ***6.12**	**25443.20** ***6.24**
विश्वविद्यालयेतर संस्थाओं को व्यय की प्रतिपूर्ति	—	—	—	—	—	—	39.65 *0.18	—	39.65 *0.18
कुल जोड़	**22250.10**	**1813.72**	**291.34**	**26.69**	**585.50** ***0.12**	**231.86**	**39.65** ***0.18**	**243.99** ***6.18**	**25482.85** ***6.42**

* समायोजन द्वारा

परिशिष्ट - XI

वर्ष 1993-94 के दौरान कालेजों को प्रदत्त अनुदानों का विवरण (मुख्य शीर्षवार) योजनेतर के अंतर्गत

	अनुरक्षण		शिक्षक अवार्ड	अनुसंधान अध्येतावृत्ति	छात्रवृत्ति अध्येतावृत्ति	जनसंपर्क केंद्र	कुल जोड़
	03(क)	03(ख)	06(1-6)	06(1क-2ख)	07	09	
	1	2	3	4	5	6	7
केंद्रीय विश्वविद्यालय							
1. बी.एच.यू.	—	54.29	—	—	—	—	54.29
2. दिल्ली	7157.51 *385.91	—	—	0.17	0.22	—	7157.90 *385.91
3. पांडिचेरी	—	—	0.12	—	—	—	0.12
जोड़	**7157.51 *385.91**	**54.29**	**0.12**	**0.17**	**0.22**	—	**7212.31 *385.91**
* समायोजन द्वारा							
राज्य विश्वविद्यालय							
आंध्र प्रदेश							
1. उस्मानिया	—	—	0.72	—	—	—	0.72
जोड़	—	—	**0.72**	—	—	—	**0.72**
अरुणाचल प्रदेश							
1. अरुणाचल वि.वि.	—	—	—	—	—	—	—
जोड़	—	—	—	—	—	—	—
असम							
1. गोहाटी	—	—	0.19	—	—	—	0.19
जोड़	—	—	**0.19**	—	—	—	**0.19**
हरियाणा							
1. कुरुक्षेत्र	—	—	0.80	—	—	—	**0.80**
जोड़	—	—	**0.80**	—	—	—	**0.80**
गुजरात राज्य							
1. गुजरात	—	—	0.53	—	—	—	**0.53**
जोड़	—	—	**0.53**	—	—	—	**0.53**

	अनुरक्षण 03(क)	03(ख)	शिक्षक अवार्ड 06(1-6)	अनुसंधान अध्येतावृत्ति 06(1क-2ख)	छात्रवृत्ति अध्येतावृत्ति 07	जनसंपर्क केंद्र 09	कुल जोड़
	1	2	3	4	5	6	7
केंद्रीय विश्वविद्यालय							
कर्नाटक राज्य							
1. बंगलौर	—	—	0.62	—	—	—	0.62
2. कर्नाटक	—	—	0.07	—	—	—	0.07
जोड़	**—**	**—**	**0.69**	**—**	**—**	**—**	**0.69**
मध्य प्रदेश							
1. देवी अहिल्या वि.वि.	—	—	—	0.13	—	—	0.13
2. विक्रम वि.वि.	—	—	—	0.16	—	—	0.16
जोड़	**—**	**—**	**—**	**0.29**	**—**	**—**	**0.29**
महाराष्ट्र राज्य							
1. अमरावती वि.वि., अमरावती	—	—	0.07	—	—	—	0.07
2. मराठवाड़ा वि.वि.	—	—	1.81	—	—	—	1.81
3. नागपुर	—	—	0.33	—	—	—	0.33
4. पूना	—	—	1.27	—	—	—	1.27
5. शिवाजी	—	—	0.45	—	—	—	0.45
जोड़	**—**	**—**	**3.29**	**—**	**—**	**—**	**3.29**
उड़ीसा राज्य							
1. उत्कल	—	—	0.06	—	—	—	0.06
जोड़	**—**	**—**	**0.06**	**—**	**—**	**—**	**0.06**
पंजाब राज्य							
1. गुरुनानक देव	—	—	0.30	—	—	—	0.30
जोड़	**—**	**—**	**0.30**	**—**	**—**	**—**	**0.30**
राजस्थान राज्य							
1. राजस्थान वि.वि.	—	—	—	0.18	—	—	0.18
जोड़	**—**	**—**	**—**	**0.18**	**—**	**—**	**0.18**

	अनुरक्षण 03(क)	03(ख)	शिक्षक अवार्ड 06(1-6)	अनुसंधान अध्येतावृत्ति 06(1क-2ख)	छात्रवृत्ति अध्येतावृत्ति 07	जनसंपर्क केंद्र 09	कुल जोड़
	1	2	3	4	5	6	7
केंद्रीय विश्वविद्यालय							
तमिलनाडु राज्य							
1. मद्रास वि.वि.	—	—	0.79	0.09	—	—	0.88
2. मदुरै कामराज	—	—	3.49	—	—	—	3.49
जोड़	—	—	4.28	0.09	—	—	4.37
उत्तर प्रदेश राज्य							
1. आगरा वि.वि.	—	—	—	0.77	—	—	0.77
2. इलाहाबाद वि.वि.	—	—	—	—	0.15 *0.03	—	0.15 *0.03
3. हेमवती नदंन बहुगुणा वि.वि.,गढ़वाल	—	—	—	0.19	—	—	0.19
4. मेरठ वि.वि.	—	—	0.19	0.65	—	—	0.84
5. पूर्वांचल वि.वि.	—	—	0.06	0.15	—	—	0.21
6. रुहेलखंड वि.वि.	—	—	—	0.70 *0.01	—	—	0.70 *0.01
जोड़	—	—	0.25	2.46 *0.01	0.15 *0.03	—	2.86 *0.04
पश्चिम बंगाल							
1. कलकत्ता	—	—	—	—	0.43 *0.07	25.00	25.43 *0.07
जोड़	—	—	—	—	0.45 *0.07	25.00	25.43 *0.07
कुल जोड़	7157.51 *385.91	54.29	11.87	3.19 *0.01	0.80 *0.10	25.00	7252.66 *386.02

* समायोजन द्वारा

परिशिष्ट - XI

सारांश (योजनेतर) 1993-94

क्र.सं.	विवरण	केंद्रीय विश्वविद्यालयों को ब्लाक अनुदान	समविश्वविद्यालय संस्थाओं को ब्लाक अनुदान	विशेष उद्देश्यों के लिए अनुदान	कालेजों के लिए अनुरक्षण अनुदान (दिल्ली)	कालेजों के लिए अनुरक्षण अनुदान (बीएचयू)	शिक्षक अवार्ड	अनुसंधान अध्येतावृत्ति	ई एंड टी में छात्रवृत्ति	जनसंपर्क केंद्र	कुल जोड़
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	विश्वविद्यालय										
1.	केंद्रीय विश्वविद्यालय	2222.50	—	—	—	—	0.56	201.79 *0.03	2.62	93.30	22548.27 *0.03
2.	समविश्वविद्यालय	—	1813.72	—	—	—	011.65	7.57	6.49	21.11	1860.54
3.	राज्य विश्वविद्यालय विशिष्ट प्रयोजनों के लिए	—	—	291.34	—	—	—	—	—	—	291.34
4.	यू.जी.सी. केंद्र	—	—	—	—	—	—	0.23	—	35.00	35.23
5.	राज्य विश्वविद्यालय	—	—	—	—	—	14.48	375.61 *0.09	222.75	94.18 *6.12	707.32 *6.21
	कुल विश्वविद्यालय	22250.10	1813.72	291.34	—	—	26.69	585.50 *0.12	231.86	243.99 *6.12	254443.20 *6.24
	कालेज										
1.	दिल्ली के कालेज	—	—	—	7157.51 *385.91	—	—	0.17	0.22	—	7157.90 *385.91
2.	बी.एच.यू. के कालेज	—	—	—	—	54.29	—	—	—	—	*385.91
3.	पांडिचेरी के कालेज	—	—	—	—	—	0.12	—	—	—	0.12
4.	राज्य कालेज	222.50	—	—	—	—	11.75	3.02 *0.01	0.85 *0.10	25.00	40.35 *0.10
	कुल कालेज	—	—	—	**7157.51 *385.91**	**54.29**	**11.87**	**3.17 *0.01**	**0.80 *0.10**	**25.00**	**7252.66 *386.02**
	कुल जोड़										
	(वि०वि० कालेज)	22250.10	1813.72	291.34	7157.51 *385.91	54.29	38.56	588.69 *0.13	232.66 *0.10	268.66 *6.12	32695.86 *392.26
	विश्वविद्यालयेतर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.65 *0.18
	प्रशासनिक प्रभार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	731.84
	प्रशासन के माध्यम से भुगतान	—	—	—	—	—	—	0.06	0.17	—	0.23
	कुल जोड़	**22250.10**	**1813.72**	**291.34**	**7157.51 *385.91**	**54.29**	**38.62**	**588.86 *0.13**	**232.66 *0.10**	**268.99 *6.12**	**33467.68 *392.44**

परिशिष्ट - XII

वर्ष 1993-94 के दौरान विश्वविद्यालयों को प्रदत्त अनुदानों का विवरण (मुख्य शीर्षवार) केंद्रीय योजना, इंजी. तथा प्रौद्योगिकी और खंड III के अंतर्गत

क्र.सं.	विवरण	विश्वविद्यालय/ कालेजों में बुनियादी सुविधाएं	उत्कृष्टता और अनुसंधान का संवर्धन	जन शक्ति विकास	अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय	अनौपचारिक शिक्षा	नवपरिवर्तन/ नवीन क्षेत्रों में पाठ्यक्रम	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	यू.जी.सी. का प्रबन्ध	खेल एवं शारीरिक शिक्षा	जोड़ क से झ	इंजी. तथा प्रौद्यो.	जोड़ क से ञ	खंड III विशिष्ट अनुदान	कुल जोड़
		क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ		ञ			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	केंद्रीय विश्वविद्यालय														
1.	अ. मु. वि.वि., अलीगढ़	211.52	50.08	61.84	2.04	—	2.00	7.00	—	—	334.48	35.51	369.99	—	369.99
2.	असम वि.वि.	30.00	—	—	—	—	—	—	—	—	30.00	—	30.00	—	30.00
3	बी.एच.यू. वाराणसी	140.12 *2.95	215.06	74.12	7.50	—	11.28	—	—	—	448.08 *2.95	179.45	627.53 *2.95	—	629.78 *2.95
4.	दिल्ली वि. वि.	19.88 *0.08	47.18 *0.01	113.37 *0.06	3.00	—	7.45	2.65	—	—	193.53 *0.15	4.25 *0.01	197.78 *0.16	— —	197.78 *0.16
5.	हैदराबाद वि. वि.	205.59	20.60	90.87	—	—	—	—	—	—	317.06	66.48	385.54	—	383.54
6.	इग्नू न. दिल्ली	0.30	0.21	2.99	—	—	—	—	—	—	3.50	—	3.50	—	3.50
7	जा. मि. इ. वि. वि.	264.63	22.41 *0.06	37.34	0.24	—	18.95	6.00	—	—	349.57 *0.06	153.50 —	503.07 *0.06	1.75 —	504.82 *0.06
8.	जे एन यू	120.44	20.08 *0.18	74.30	2.89	—	4.50	—	—	—	222.21 *0.18	— —	222.21 *0.18	— —	222.21 *0.18
9.	नेहू शिलांग	222.75	6.21 *0.44	12.00 *0.08	3.80	—	2.00	—	—	—	246.76 *0.52	13.00	259.76 *0.52	— —	259.76 *0.52
10.	पांडिचेरी	177.53	7.93 *2.15	19.05	—	—	0.20	—	—	—	204.71 *2.15	8.26	212.97 *2.15	—	212.97 *2.15
11.	तेजपुर वि. वि.	30.00	—	—	—	—	—	—	—	—	30.00	—	30.00	—	30.00
12.	विश्वभारती	64.99	30.79	22.76	2.00	—	45.00	—	—	—	165.46	—	165.46	—	165.46
	जोड़	**1487.75**	**20.47**	**508.64**	**21.47**	**—**	**91.38**	**15.65**	**—**	**—**	**2545.36**	**460.45**	**3005.81**	**4.00**	**3009.81**
	***समायोजन द्वारा**	***3.03**	***2.84**	***0.14**							***6.01**	***0.01**	***6.02**		***6.02**
	राष्ट्रीय महत्व के संस्थान														
1	खगोल विज्ञान तथा खगोल भौतिकी के लिए अंतर्विश्वविद्यालय, पूना	—	—	—	—	519.07	—	—	—	—	519.07	—	519.07	—	519.07
2	अंतर्विश्वविद्यालय संकाय, इंदौर	—	—	—	—	453.61	30.00	—	—	—	483.61	—	483.61	—	483.61
3	नाभिकीय विज्ञान केंद्र, नई दिल्ली	—	62.42	0.71	—	699.37	—	—	—	—	762.50	—	762.50	—	762.50

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	शैक्षिक संचार संकाय मार्फत नाभिकीय विज्ञान केंद्र	—	—	—	—	18.16 *0.34	7.50	—	—	—	25.66 *0.34	25.66 *0.34	—	25.66 *0.34	
	जोड़	**—**	**62.42**	**0.71**	**—**	**1690.21 *0.34**	**37.50**	**—**	**—**	**—**	**1790.84 *0.34**	**—**	**1790.84 *0.34**	**—**	**1790.84 *0.34**
समविश्वविद्यालय संस्थाएं															
1.	अविनाशीलिंगम् महिला गृह विज्ञान एवं उच्च शिक्षा संस्थान	5.73	1.19	4.03	0.10	—	5.00	—	—	—	16.05	3.29	19.34	—	19.34
2.	बनस्थली विद्यापीठ	17.43	1.01	—	2.05	—	—	—	—	—	20.49	0.05	20.54	—	20.54
3.	बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, पिलानी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.88	13.88	—	13.88
4.	बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा	—	—	0.31	—	—	—	—	—	—	0.31	9.07	9.38	—	9.38
5.	केंद्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद	22.13	3.93	11.20	—	—	5.34	—	—	—	42.60	—	42.60	—	42.60
6.	सी.आई.एफ.ई., बम्बई	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.	सी.आई.एच.टी.एस., वाराणसी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	दयालबाग शिक्षा संस्थान, आगरा	17.58	6.74	0.55	—	—	—	—	—	—	24.87	6.21	31.08	—	31.08
9.	डकन स्नातकोत्तर कालेज तथा अनुसंधान संस्थान, पूना	—	2.15	0.98	—	—	—	—	—	—	3.13	—	3.13	—	3.13
10.	जी.आर.आई. अन्ना	8.25	—	1.02	5.10	—	1.80	—	—	—	16.17	5.21	21.38	—	21.38
11.	गुजरात विद्यापीठ	39.43 *0.41	2.42	6.94	1.49	—	2.75	—	—	7.70	60.73 *0.41	6.40	67.13 *0.41	—	67.13 *0.41
12.	गुरुकुल कांगड़ी वि. वि., हरद्वार	12.50	3.27	—	4.05	—	—	—	—	—	19.82	8.90	28.72	—	28.72
13.	ए.आर.आई.एन., दिल्ली	—	—	0.96	—	—	—	—	—	—	0.96	0.96	—	0.96	
14.	भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर	—	225.51	6.45	—	44.60	9.37	—	—	—	285.93	84.04	369.97	—	369.97
15.	आई.एस.एम., धनबाद	0.50	1.61	0.17	—	—	—	—	—	—	2.28	11.45	13.73	—	13.73
16.	आई.आई.पी.एस. बंबई	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17.	आई.वी.आर.आई., इज़्ज़तनगर	—	—	0.84	—	—	—	—	—	—	0.84	—	0.84	—	0.84
18.	जैन विश्वभारती संस्थान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19.	जामिया हमदर्द	93.01	0.11	1.08	—	—	—	—	—	—	94.20	19.21	113.41	10.10	123.41

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20.	एन.एम.आई.एच. आफ आर्ट्स कंजर्वेशन म्यू. नई दिल्ली	0.36	—	1.81	—	—	—	—	—	—	2.17	—	2.17	—	2.17
21.	एन.डी.आर.आई.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22.	राजस्थान विद्यापीठ	11.27	3.03	—	2.80	—	—	—	—	—	17.10	—	17.10	—	17.10
23.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति	15.00	—	1.50	—	—	—	—	—	—	16.50	—	16.50	—	16.50
24.	योजना एवं वास्तुकला विद्यालय	1.44	—	—	—	—	—	—	—	—	1.44	—	1.44	—	1.44
25.	श्री लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ	—	1.65	3.18	—	—	—	—	—	—	4.83	—	4.83	—	4.83
26.	श्री सत्य साई उच्च शिक्षा संस्थान	2.75	0.55	1.42	—	—	—	—	—	—	4.72	2.40	7.12	—	7.12
27.	टी.आई.एस.एस., बंबई	19.45	1.62 *0.67	0.06	—	—	—	—	—	—	21.13 *0.67	3.50	24.63 *0.67	—	24.63 *0.67
28.	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे	1.81	—	—	—	—	—	—	—	—	1.81	—	1.81	—	1.81
29.	टी.आई.आफ.एंड टेक्ना. इंजी., पुणे	—	—	0.47	—	—	—	—	—	—	0.47	0.67	1.14	—	1.14
30.	गोखले संस्थान, पटियाला	—	0.86	5.68 *0.05	—	—	—	—	—	—	6.54 *0.05	— —	6.54 *0.05	— —	6.54 *0.05
31.	श्री सी.एस.एन.एस. महाविद्यालय, कांचीपुरम	52.00	—	—	—	—	—	—	—	—	52.00	—	52.00	—	52.00
	जोड़	**318.83**	**257.46** ***1.13**	**48.65** ***0.18**	**15.59**	**44.60**	**24.26**	—	—	**7.70**	**717.09** ***1.31**	**174.28** ***0.79**	**891.37** ***2.10**	**10.00**	**901.37** ***2.10**
	राज्य विश्वविद्यालय														
	आंध्र प्रदेश														
1.	आंध्र वि. वि.	1.34	115.16	63.73	9.50	—	3.00	1.50	—	—	194.23	60.81	255.04	—	255.04
2.	आ. प्र. कृ. वि. वि.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	डा. बी. आर. अम्बेडकर मुक्त वि. वि.	12.65	1.70	—	—	—	—	—	—	—	14.35	1.33	15.68	—	15.68
4.	ज. ने. टेक.	—	1.21	5.98	—	—	—	—	—	—	7.19	25.05	32.24	4.40	36.64
5.	काकतिया	20.08	13.42	4.89	1.90	—	9.25	—	—	—	49.54	19.10	68.64	—	68.64
6.	नागार्जुन	25.33	16.00	5.23	11.87	2.00	—	—	—	—	60.43	2.00	62.43	—	62.43
7.	उस्मानिया	34.94	97.98 *0.05	67.26	10.10	30.00	21.17	1.77	—	—	263.76 *0.05	27.29	291.05 *0.05	—	291.05 *0.05
8.	श्री कृष्णदेवराया	39.02	16.57	12.95	1.00	—	—	—	—	—	69.54	2.00	71.54	5.50	77.04
9.	श्री पद्मावती महिला	2.20	4.75	0.26	2.40	—	—	—	—	—	9.61	3.72	13.33	1.00	14.33
10.	श्री वेंकटेश्वर	21.17	24.32	30.23	4.51	4.00	17.75	—	—	—	101.98	29.03	131.01	—	131.01
11.	तेलुगु	15.14	3.84	0.24	—	—	—	—	—	—	19.22	—	19.22	—	19.22
	जोड़	**171.87**	**294.95** ***0.05**	**190.77**	**41.28**	**36.00**	**51.71**	**3.27**	—	—	**789.85** ***0.05**	**170.33**	**960.18** ***0.05**	**10.90**	**971.08** ***0.05**

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
असम राज्य															
1.	असम कृषि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	डिब्रूगढ़	4.95	6.50	6.18	—	—	—	—	—	—	17.63	—	17.63	—	17.63
3.	गोवाहटी	16.35	18.18	30.17	14.00	—	0.50	—	—	—	79.20	—	79.20	5.00	84.20
	जोड़	**21.30**	**24.68**	**36.35**	**14.00**	—	**0.50**	—	—	—	**96.83**	—	**96.83**	**5.00**	**101.83**
बिहार राज्य															
1.	बिहार वि. वि.	0.14	0.54	26.44	—	—	—	—	—	—	27.12	—	27.12	—	27.12
2.	बीरसा कृषि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	के.एस.डी. संस्कृत	—	—	0.36	—	—	—	—	—	—	0.36	—	0.36	—	0.36
4.	एल.एन. मिथिला	6.15	—	0.73	—	—	—	—	—	—	6.88	—	6.88	—	6.88
5.	मगध	0.94	2.03	—	4.80	—	—	—	—	—	7.77	0.23	8.00	—	8.00
6.	पटना	1.54	20.97	35.61	3.00	—	—	—	—	—	61.12	39.59	100.71	—	100.71
7.	राजेन्द्र कृषि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	रांची वि. वि.	0.12	4.42	6.75	6.55	—	—	—	—	—	17.84	—	17.84	—	17.84
9.	टी.एम. भागलपुर	3.16	2.53	0.37	8.85	—	—	—	—	—	14.91	—	14.91	—	14.91
	जोड़	**12.05**	**30.49**	**70.26**	**23.20**	—	—	—	—	—	**136.00**	**39.82**	**175.82**	—	**175.82**
गुजरात राज्य															
1.	भावनगर	7.80	—	0.03	—	—	—	—	—	—	7.83	6.45	14.28	—	14.28
2.	गुजरात	12.25	11.03	10.00	3.00	—	15.37	—	—	—	51.65	0.24	51.89	0.05	51.94
3.	गुजरात कृषि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	एम.एस. यूनि. आफ बड़ौदा	14.93	23.16	8.00	1.40	12.08	—	—	—	—	59.57	31.24	90.81	—	90.81
5.	सरदार पटेल	36.85	111.39	13.30	3.50	6.07	—	—	—	—	171.11	18.96	190.07	—	190.07
6	सौराष्ट्र	4.16	1.40	11.13	—	—	—	—	—	—	16.69	—	16.69	—	16.69
7	दक्षिण गुजरात	23.40	0.43	0.75	3.53	—	—	—	—	—	28.11	8.70	36.81	—	36.81
	जोड़	**99.39**	**147.41**	**43.21**	**11.43**	**18.15**	**15.37**	—	—	—	**334.96**	**65.59**	**400.55**	**0.05**	**400.60**
हरयाणा राज्य															
1.	हरयाणा कृषि	—	—	3.66	—	—	—	—	—	—	3.66	—	3.66	—	3.66
2.	कुरुक्षेत्र	6.21	25.24	24.13	6.89	—	—	—	—	—	70.38	7.32	77.70	—	77.70
3.	महर्षि	16.80	7.26	4.20	0.25	—	—	—	—	—	28.51	—	28.51	—	28.51
	जोड़	**23.01**	**32.71**	**31.99**	**7.14**	—	**7.70**	—	—	—	**102.55**	**7.32**	**109.87**	—	**109.87**
हिमाचल प्रदेश															
1.	हिमाचल प्रदेश	11.15	8.90	23.50	—	—	—	—	—	—	43.55	—	43.55	—	43.55
	जोड़	**11.15**	**8.90**	**23.50**	—	—	—	—	—	—	**43.55**	—	**43.55**	—	**43.55**

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
जम्मू-व-कश्मीर															
1.	जम्मू	17.20	2.57	7.57	7.50	—	—	—	—	—	34.84	15.03	49.87	10.10	59.87
2.	कश्मीर	0.84	2.80	6.51	—	—	5.92	—	—	—	16.07	—	16.07	—	16.07
	जोड़	**18.04**	**5.37**	**14.08**	**7.50**	—	**5.92**	—	—	—	**50.91**	**15.03**	**65.94**	**10.00**	**75.94**
कर्नाटक															
1.	बंगलौर	3.36	35.70	1.52	3.50	—	—	—	—	—	44.08	1.02	45.10	1.90	47.00
2.	गुलबर्गा	50.27	0.75	2.03	—	—	—	—	—	—	53.05	1.40	54.45	6.00	60.45
3.	कर्नाटक	2.96	5.78	18.77	6.75	—	—	—	—	—	34.26	4.50	38.76	—	38.76
4.	कुवेमपुरम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	कृ.वि.वि.वि., धारवाड	—	0.37	—	—	—	—	—	—	—	0.37	—	0.37	—	0.37
6.	मंगलौर	25.98	—	3.25	—	—	27.75	—	—	—	56.98	6.45	63.43	—	63.43
7.	मैसूर	14.55	8.64	63.65	0.30	0.06	—	—	—	—	87.20	9.25	96.45	—	96.45
	राष्ट्रीय स्कूल	*0.67	*0.01								*0.68		*0.68		*0.68
		—	1.66	2.31	—	—	—	—	—	—	3.97	—	3.97	—	3.97
8.	कृ. एवं विज्ञान वि. वि.	—	—	0.58	—	—	—	—	—	—	0.58	—	0.58	—	0.58
	जोड़	**97.12**	**52.90**	**92.11**	**10.55**	**0.06**	**27.75**	—	—	—	**280.49**	**22.62**	**303.11**	**7.90**	**311.01**
		***0.67**	***0.01**								***0.68**		***0.68**		***0.68**
केरल राज्य															
1.	कालीकट	9.26	1.30	25.40	2.20	—	—	—	—	—	38.16	6.45	44.61	—	44.61
2.	कोचीन	3.31	16.80	14.68	—	—	8.85	—	—	—	43.64	101.02	144.66	—	144.66
			*0.05								*0.05	*0.16	*0.21		*0.21
3.	महात्मा गांधी वि. वि.	1.18	7.95	—	—	—	—	—	—	—	9.13	—	9.13	—	9.13
			*0.15								*0.15		*0.15		*0.15
4.	केरल वि. वि.	44.64	6.64	33.41	11.10	—	—	—	—	—	95.79	4.25	100.04	—	100.04
5.	केरल कृषि	—	—	0.18	—	—	—	—	—	—	0.18	—	0.18	—	0.18
	जोड़	**58.39**	**32.69**	**73.67**	**13.30**	—	**8.85**	—	—	—	**186.90**	**111.72**	**298.62**	—	**298.62**
			***0.15**	***0.05**							***0.20**	***0.16**	***0.36**	—	***0.36**
मध्य प्रदेश															
1.	ए. पी. सिंह	0.64	2.00	6.00	—	—	—	—	2.65	—	11.29	—	11.29	—	11.29
2.	भोपाल	0.56	7.72	1.19	1.10	—	5.50	—	—	—	16.07	—	16.07	—	16.07
3.	देवी अहिल्या	17 32	2.88	26.49	—	—	32.43	—	—	—	79.12	43.75	122.87	—	122.87
							*0.78				*0.78		*0.78		*0.78
4	डा. हरि सिंह	1.16	5.81	14.72	3.10	—	—	—	—	—	24.79	4.27	29.06	—	29.06
5	गुरु घासीराम	0.47	1.00	—	—	—	—	—	—	—	1.47	—	1.47	—	1.47
6	इंदिरा कला संगीत	1.50	—	—	1.63	—	—	—	—	—	3.13	—	3.13	—	3.13
7	इंदिरा गांधी कृ. वि. वि.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.	जवाहरलाल नेहरू	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	जीवाजी	31.35	4.02	2.45	3.45	—	—	—	—	—	41.27	—	41.27	1.00	42.27
10.	रानी दुर्गावती	31.46	6.81	23.44	9.00	—	2.00	—	—	—	90.71	17.45	108.16	—	108.16
11.	रविशंकर	22.31	5.61	2.47	2.80	—	—	—	—	—	33.19	4.76	37.95	—	37.95
12	विक्रम वि. वि	21.82	2.58	2.40	—	—	—	—	—	—	26.80	6.81	33.61	–	33.61
	जोड़	**128.59**	**38.43**	**79.16**	**21.08**	—	**57.93** ***0.78**	—	**2.65**	—	**327.84** ***0.78**	**77.04**	**404.88** ***0.78**	**1.00**	**405.88** ***0.78**
महाराष्ट्र															
1.	अमरावती	15.72	0.27	—	—	—	—	—	—	—	15.99	—	15.99	1.50	17.49
2.	बंबई	36.79	20.16	11.73	10.10	32.28	9.25	—	—	—	120.92	51.48	172.40	—	172.40
3	कोंकण कृषि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	महात्मा फूले कृषि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	मराठवाड़ा	15.30	7.24	21.70	10.30	—	1.00	—	—	—	55.54	7.00	62.54	—	62.54
6.	मराठवाड़ा कृषि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	नागपुर	39.91 *17.05	4.41	27.00	11.69	—	—	—	—	—	83.01 *17.05	1.39	84.40 *17.05	–	84.40 *17.05
8	पूना	25.07 *0.50	119.01	44.05	10.32	—	26.74	—	—	—	225.19 *0.50	—	225.19 *0.50	0.80	225.99 *0.50
9	पंजाबराव कृषि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.	एस.एन.डी.टी. महिला	8.12	11.03	26.71	17.71	—	—	—	—	—	63.57	3.09	66.66	—	66.66
11.	शिवाजी	35.79	7.28	2.85	9.45	—	—	—	—	—	55.37	26.45	81.82	—	81.82
	जोड़	**176.70** ***17.55**	**169.40**	**134.04**	**69.57**	**32.89**	**36.99**	—	—	—	**619.59** ***17.55**	**89.41**	**709.00** ***17.55**	**2.30**	**711.30** ***17.55**
मणिपुर															
1.	मणिपुर	17.50	2.32	4.60	—	—	1.94	7.00	—	—	33.36	14.47	47.83	5.62	53.45
	जोड़	**17.50**	**2.32**	**4.60**	—	—	**1.94**	**7.00**	—	—	**33.36**	**14.47**	**47.83**	**5.62**	**53.45**
उड़ीसा															
1.	बहरामपुर	0.49	2.21	1.98	4.20	—	2.50	—	—	—	11.38	29.32	40.70	—	40.70
2.	उड़ीसा कृ. एवं प्रौद्यो. वि. वि.	—	0.10	—	—	—	—	—	—	—	0.10	—	0.10	—	0.10
3	संबलपुर	2.04	0.69	0.75	—	—	—	—	—	—	3.48	25.42	28.90	—	28.90
4.	श्री जगन्नाथ संस्कृत	—	—	3.43	—	—	—	—	—	—	3.43	—	3.43	—	3.43
5.	उत्कल	9.40	17.15	17.27	8.10	—	6.50	—	—	—	58.42	3.13	61.55	1.70	63.25
	जोड़	**11.93**	**20.15**	**23.43**	**12.30**	—	**9.00**	—	—	—	**76.81**	**57.87**	**134.68**	**1.70**	**136.38**
पंजाब															
1.	गुरुनानक देव	82.59	39.62	20.39	5.50	—	2.00	—	0.23	—	150.33	9.00	159.33	—	159.33
2.	पंजाब	2.43	21.32	80.04	2.25	—	—	—	—	—	106.04	27.36 *0.70	133.40	1.00 *0.70	134.40 *0.70

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	पंजाब कृ.	0.16	1.06	1.48	—	—	—	—	—	—	2.70	—	2.70	—	2.70
4.	पंजाबी	8.35	10.89	9.42	—	—	29.23	—	—	—	57.89	—	57.89	—	57.89
	जोड़	**93.53**	**72.89**	**111.33**	**7.75**	—	**31.23**	—	**0.23**	—	**316.96**	**36.36** ***0.70**	**353.32** ***0.70**	**1.00**	**354.32+** ***0.70**
राजस्थान															
1.	जयनारायण व्यास, जोधपुर	3.47	9.07 *0.29	24.08	—	—	2.75	—	—	—	39.47 *0.29	11.61	50.98 *0.29	—	50.98 *0.29
2.	राजस्थान	14.10	28.51	82.03	1.15	—	20.00	—	—	—	145.79	6.45	152.24	—	152.24
3.	राजस्थान कृषि वि. वि.	0.15	—	—	—	—	—	—	—	—	0.15	—	0.15	—	0.15
4.	एम. एल. सुखाड़िया	0.61	24.68	0.17	0.50	—	—	—	—	—	25.96	—	25.96	—	25.96
5.	कोटा मुक्त	—	1.35	—	—	—	—	—	—	—	1.35	—	1.35	—	1.35
	जोड़	**18.33**	**63.61** ***0.29**	**106.28**	**1.65**	—	**22.75**	—	—	—	**212.62** ***0.29**	**18.06**	**230.68** ***0.29**	—	**230.68** ***0.29**
तमिलनाडु															
1.	अलगप्पा	1.64	0.62	—	0.71 *0.55	—	—	—	—	—	2.97 *0.55	8.50	11.47 *0.55	—	11.47 *0.55
2.	अन्ना	29.07	108.12	2.52	—	18.50	11.10	—	—	—	169.31	108.12 *0.43	277.43 *0.43	—	277.43 *0.43
3.	अन्नामलाई	2.61 *0.02	10.14	0.05	4.40	—	—	—	—	—	17.20 *0.02	16.52	.33.72 *0.02	8.50	42.22 *0.02
4.	भरतियार	3.57	2.24	18.50	—	—	—	—	—	—	24.31	3.13	27.44	—	27.44
5.	भारतीदासन	23.53	5.20 *0.03	17.58	—	—	—	—	—	—	46.31 *0.03	7.32	53.63 *0.03	—	53.63 *0.03
6.	मद्रास	73.94	40.73 *1.85	39.70 *0.02	3.50	3.56	9.94 *1.43	1.10	—	—	172.37 *3.30	—	172.37 *3.30	—	172.37 *3.30
7.	एम.के. वि. वि.	31.35	7.50	10.03	0.10	—	20.00	—	—	—	68.98	4.16	25.20	—	25.20
8.	मदर टेरेसा महिला	3.80	—	0.60	—	—	—	—	—	—	4.40	—	4.40	—	4.40
9.	तमिल	11.57	3.03 *0.20	1.10	5.40	—	—	—	—	—	21.10 *0.20	4.16	25.20 *0.20	—	25.20 *0.20
	जोड़	**181.08**	**177.58** ***02.10**	**98.08** ***0.02**	**14.11** ***0.05**	**22.06**	**41.04** ***1.43**	**1.00** —	— —	— —	**526.95** ***4.10**	**188.10** ***0.43**	**715.05** ***4.53**	**8.50**	**723.55** ***4.53**
उत्तर प्रदेश															
1.	आगरा	12.06	1.82	5.97	—	—	—	—	—	—	19.85	6.45	26.30	—	26.30
2.	इलाहाबाद	0.93	88.03	77.04	—	—	8.04	—	—	—	174.04	12.65	186.69	—	186.69
3.	अवध	—	2.74	0.36	6.00	—	—	—	—	—	9.10	—	9.10	—	9.10
4.	बुंदेलखंड	—	—	0.04	—	—	—	—	—	—	0.04	—	0.04	—	0.04
5.	चंद्रशेखर आजाद कृ. तथा प्रौद्यो. वि. वि.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	गोविंद बल्लभ पंत कृ. एवं प्रौद्यो. वि. वि.	—	0.20	1.48	—	—	—	—	—	—	1.68	4.80	6.48	—	6.48
7.	गोरखपुर	4.00	5.18 *0.06	26.29	5.86	—	—	—	—	—	41.33 *0.06	2.00	43.33 *0.06	—	43.33 *0.06

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	एच.एन. बहुगुणा	11.72	9.27	0.53	7.50	—	11.25	—	—	—	40.27	1.31	41.58	3.00	44.58
8.	कानपुर	12.97	—	—	9.00	—	—	—	—	—	21.97	18.85	40.82	-	40.82
9.	काशी विद्यापीठ	0.32	0.37	3.56	9.15	—	—	—	—	—	13.40	—	13.40	—	13.40
10.	कुमाऊं	7.16	9.86	1.60 *0.20	—	—	0.50	—	—	—	19.12 *0.20	—	19.12 *0.20	—	19.12 *0.20
11.	लखनऊ	28.51	84.96 *0.02	33.29	0.10	—	—	—	1.50	—	148.36 *0.02	2.20	150.56 *0.02	—	150.56 *0.02
12.	मेरठ	18.61	2.61	2.64	—	—	—	—	—	—	23.86	—	23.86	—	23.86
13.	नरेंद्रदेव कृ. एवं प्रौ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14.	रुहेलखंड	—	5.27	0.74	4.00	—	—	—	—	—	10.01	—	10.01	650	16.51
15.	रुड़की	8.00	27.26	19.92	—	—	75.40 *7.43	—	—	—	130.58 *7.43	59.67	190.25 *7.43	—	190.25 *7.43
16.	सम्पूर्णानंद संस्कृत वि. वि.	11.39	—	950	—	—	—	—	—	—	20.89	—	20.89	-	20.89
	जोड़	**115.67**	**237.57 *0.08**	**182.96 *0.02**	**41.61**	**— *7.43**	**95.19**	**—**	**1.50**	**— *7.73**	**674.50 *0.04**	**107.93 *7.77**	**782.43**	**9.50 *7.77**	**791.93**
परिश्चम बंगाल															
1.	बी.सी. कृषि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2.	वर्धमान	23.48	20.57	20.17	6.50	—	—	—	—	—	70.72	6.45	77.17	-	77.17
3.	कलकत्ता	38.10	229.14	42.92 *0.02	1.80	—	9.65	—	—	—	321.61 *0.02	30.42	352.03 *0.02	—	352.03 *0.02
4.	जादवपुर	3.45	52.66 *0.02	15.93	5.10	—	18.50	—	—	—	125.64 *0.02	33.58	159.22 *0.02	—	159.22 *0.02
5.	कल्याणी	16.14	13.61 *0.03	10.00	6.35	—	3.10	—	—	—	49.20 *0.03	8.50	57.70 *0.03	—	57.70 *0.03
6.	नार्थ बंगाल	18.23	17.69	8.24	5.50	—	—	1.52	—	—	51.18	645	57.63	—	57.63
7.	रवींद्र भारती	2.71	12.97	2.60	—	—	—	—	—	—	18.28	—	18.28	—	18.28
8.	विद्यासागर वि. वि.	20.28	0.41	0.39	—	—	—	—	—	—	21.08	—	21.08	-	21.08
	जोड़	**152.39**	**347.05 *0.05**	**100.25 *0.02**	**25.25**	**—**	**31.25**	**1.52**	**—**	**—**	**657.71 *0.07**	**85.40**	**743.11 *0.07**		**743.11 *0.07**
गोवा															
1.	गोवा वि. वि.	—	0.36	16.13	—	—	—	4.60	—	—	21.09	16.60	37.69	—	37.69
	जोड़	**—**	**0.36**	**16.13**	**—**	**—**	**—**	**4.60**	**—**	**—**	**21.09**	**16.60**	**37.69**	**—**	**37.69**
त्रिपुरा															
1.	त्रिपुरा वि. वि.	10.32 *9.68	0.25	0.03	—	—	—	—	—	—	10.60 *9.68	0.80	11.40 *9.68		11.40 *9.68
	जोड़	**3224.94 *30.93**	**2500.06 *6.70**	**1982.23 *0.63**	**358.78 *0.55**	**1843.97 *0.34**	**598.26 *9.64**	**33.04**	**4.38**	**7.70**	**10553.36 *48.79**	**1759.20 *2.13**	**12312.56 *50.92**	**77.47**	**12390.03 *50.92**
विश्वविद्यालेतर संस्थाओं को प्रतिपूर्ति		—	—	—	—	—	—	—	77.21 *0.20	—	77.21 *0.20	—	77.21 *0.20		77.21 *0.20
	कुल जोड़	**3224.94 *30.93**	**2500.06 *6.70**	**1982.23 *0.63**	**358.78 *0.55**	**1843.26 *0.34**	**598.26 *9.64**	**33.04**	**81.59 *0.20**	**7.70**	**10630.57 *48.99**	**1759.20 *2.13**	**12389.77 *51.12**	**77.47**	**12467.24 *51.12**

परिशिष्ट - XII (Continued)

वर्ष 1993-94 के दौरान विश्वविद्यालयों को प्रदत्त अनुदानों का विवरण (मुख्य शीर्षवार) केंद्रीय योजना, इंजी. तथा प्रौद्योगिकी और खंड III के अंतर्गत

क.सं.	विवरण	विश्वविद्यालय/ कालेजों में बुनियादी सुविधाएं	उत्कृष्टता और अनुसंधान का संवर्धन	जन शक्ति विकास	अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय	अनौपचारिक शिक्षा	नवपरिवर्तन/ नवीन क्षेत्रों में पाठ्यक्रम	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	यू.जी.सी. का प्रबन्ध	खेल एवं शारीरिक शिक्षा	जोड़ क से झ	इंजी. तथा प्रौद्यो.	जोड़ क से ञ	खंड III विशिष्ट अनुदान	कुल जोड़
		क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
केंद्रीय विश्वविद्यालय															
1.	बीएचयू वाराणसी	3.96	—	—	—	—	—	—	—	—	3.96	—	3.96	—	3.96
2.	दिल्ली	101.22	19.20 *0.15	21.49	0.09	—	6.98	—	—	—	148.98 *0.15	—	148.98 *0.15	—	148.98 *0.15
3.	नेहू	6.25	0.20	1.50	—	—	—	—	—	—	7.95	—	7.95	—	7.95
4.	पांडिचेरी	2.23	0.18	—	—	—	—	—	—	—	2.41	—	2.41	—	2.41
	जोड़	**113.66**	**19.58 *0.15**	**22.99**	**0.09**	—	**6.98**	—	—	—	**163.30 *0.15**	—	**163.30 *0.15**	—	**163.30 *0.15**
राज्य विश्वविद्यालय															
1.	आंध्र	34.15	25.85	—	—	—	7.50	—	—	2.00	69.50	—	69.50	1.70	71.20
2.	आं. प्र. कृषि. वि.वि.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	डा. बी.आर.अम्बेडकर मुक्त	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	ककातिया	13.86	0.51	1.05	—	—	1.25	—	—	—	16.67	—	16.67	—	16.67
5.	नागार्जुन	40.83	38.81	—	—	—	5.00	—	—	4.65	89.29	—	89.29	2.19	91.48
6	उस्मानिया	22.68	48.50	—	—	—	14.75	—	—	—	85.93	—	85.93	2.74	88.67
7.	श्रीकृषि देवराया	15.70	2.30	—	—	—	3.75	—	—	—	21.75	—	21.75	2.15	23.90
8	श्री पद्मावती महिला वि.वि.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	श्री वेंकटेश्वर	12.52	1.25	—	—	—	2.61	—	—	—	16.38	—	16.38	2.10	18.48
	जोड़	**139.74**	**117.22**	**1.05**	—	—	**34.86**	—	—	**6.65 *2.35**	**299.52 *2.35**	—	**299.52 *2.35**	**10.88**	**310.40 *2.35**
अरुणाचल प्रदेश															
	अरुणाचल वि.वि.	2.81	0.08	—	—	—	—	—	—	—	2.89	—	2.89	—	2.89
	जोड़	**2.81**	**0.08**	—	—	—	—	—	—	—	**2.89**	—	**2.89**	—	**2.89**
असम															
1	असम कृषि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	डिब्रूगढ़	21.49	0.92	—	—	—	9.60	—	—	—	32.01	—	32.01	—	32.01
3	गोवाहटी	47.10	1.62	—	—	—	5.00	—	—	—	53.72	—	53.72	—	53.72
	जोड़	**68.59**	**2.54**	—	—	—	**14.60**	—	—	—	**85.73**	—	**85.73**	—	**85.73**

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
बिहार															
1.	भागलपुर	18.86	2.74	0.42	—	—	0.70	—	—	—	22.72	—	22.72	1.20	23.92
2.	बिहार	6.04	0.43	0.15	—	—	—	—	—	—	6.62	—	6.62	—	6.62
3.	बीरसा कृषि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	के.एस.दरभंगा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	मगध	28.90	2.13	0.45	—	—	1.25	—	—	—	32.73	—	32.73	—	32.73
6.	एल. एन. महिला	16.75	0.15	—	1.09	—	—	—	—	—	17.99	—	17.99	—	17.99
7.	पटना	7.17	—	—	—	—	—	—	—	—	7.17	—	7.17	0.35	7.52
8.	राजेंद्र कृषि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	रांची	5.21	0.86	0.39	—	—	1.25	—	—	—	7.71	—	7.71	—	7.71
	जोड़	**82.93**	**6.31**	**1.41**	**1.09**	—	3.20	—	—	—	94.94	—	94.94	1.55	96.49
हरयाणा															
1.	हरयाणा कृषि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	कुरुक्षेत्र	38.02	1.68	0.68	0.40	—	6.32	—	—	—	47.10	—	47.10	1.80	48.90
3.	महर्षि दयानंद	52.68	1.96	1.05	0.16	—	8.50	—	—	—	64.35	—	64.35	0.70	65.05
	जोड़	**90.70**	**3.64**	**1.73**	**0.56**	—	**14.82**	—	—	—	**111.45**	—	**111.45**	**2.50**	**113.95**
गुजरात															
1.	भावनगर	0.35	8.00	—	—	—	—	—	—	—	8.35	—	8.35	—	8.35
2.	गुजरात	24.00	0.04	1.34	—	—	—	—	—	—	25.38	—	25.38	3.20	28.58
3.	गुजरात कृषि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	एम.एस.यूनि. आफ बड़ौदा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	नार्थ गुजरात	5.19	—	—	—	—	5.00	—	—	—	10.19	—	10.19	0.20	10.39
6.	सरदार पटेल	2.22	0.75	0.20	—	—	1.25	—	—	—	4.42	—	4.42	—	4.42
7.	सौराष्ट्र	9.45	0.15	—	—	—	—	—	—	—	9.60	—	9.60	—	9.60
8.	दक्षिण गुजरात	8.66	0.28	—	—	—	6.25	—	—	—	15.19	—	15.19	—	15.19
	जोड़	**49.87**	**9.22**	**1.54**	—	—	**12.50**	—	—	—	**73.13**	—	**73.13**	**3.40**	**76.53**
गोवा राज्य															
1.	गोवा वि.वि.	1.80	—	—	—	—	—	—	—	—	1.80	—	1.80	—	1.80
	जोड़	1.80	—	—	—	—	—	—	—	—	1.80	—	1.80	—	1.80
हिमाचल प्रदेश राज्य															
1	हिमाचल प्रदेश वि.वि	**6.42**	**0.33**	**0.01**	**0.50**	—	**1.25**	—	—	—	**8.51**	—	**8.51**	—	**8.51**
2.	हिमाचल प्रदेश कृषि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	डा. वाई.एस.पी. कृषि उद्यान तथा वानिकी वि. वि.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	जोड़	**6.42**	**0.33**	**0.01**	**0.50**	—	**1.25**	—	—	—	**8.51**	—	**8.51**	—	**8.51**

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
जम्मू-व-कश्मीर															
1.	जम्मू वि. वि.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	कश्मीर	4.73	—	—	—	—	—	—	—	—	4.73	—	4.73	—	4.73
3.	शेरे-ए-कश्मीर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	कृषि विज्ञान तथा प्रौद्यो. वि. वि.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	जोड़	**4.73**	—	—	—	—	—	—	—	—	**4.73**	—	**4.73**	—	**4.73**
कर्नाटक राज्य															
1.	बंगलौर वि. वि.	16.45	1.17	—	—	—	—	—	—	—	17.22	—	17.62	0.80	18.42
2.	गुलबर्गा	2.92	0.25	0.13	—	—	2.50	—	—	—	5.80	—	5.80	1.50	7.30
3.	कन्नड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	कर्नाटक	27.09	0.42	—	—	—	60.75	—	—	—	88.26	1.28	89.54	1.20	90.74
5.	केवेम्पु	12.00	0.05	—	—	—	2.50	—	—	—	14.55	—	14.55	0.50	15.05
6	मंगलौर	10.78	1.10	0.66	—	—	2.00	—	—	—	14.54	—	14.54	0.80	15.34
7	मैसूर	12.73	0.82	—	—	—	—	—	—	—	13.55	—	13.55	—	13.55
8	कृषि विज्ञान वि. वि., धारवाड़	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	कृषि विज्ञान वि. वि., बंगलौर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	जोड़	**81.97**	**3.81**	**0.79**	—	—	67.75	—	—	—	154.32	1.28	155.60	4.80	160.40
केरल राज्य															
1.	कालीकट	16.90	2.20	3.00	0.76	—	10.00	—	—	4.00	36.86	—	36.86	7.90	44.76
2.	कोचीन विज्ञान तथा प्रौद्यो. वि. वि.	0.06	—	—	—	—	—	—	—	—	0.06	—	0.06	—	0.06
3.	केरल	22.25	1.34	1.07	—	—	—	—	—	—	24.66	—	24.66	—	24.66
4	केरल कृषि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	महात्मा गांधी वि. वि., कोट्टायम	21.87	2.94 *0.08	—	0.20	—	3.75	—	—	—	28.76 *0.08	—	28.76 *0.0*	14.00	42.76 *0.08
	जोड़	**61.08**	**6.48** ***0.08**	**4.07**	**0.96**	—	**13.75**	—	—	**4.00**	**90.34** ***0.08**	—	**90.34** ***0.08**	**21.90**	**112.24** ***0.08**
मणिपुर राज्य															
1.	मणिपुर वि.वि.	3.79	—	—	—	—	2.50	—	—	3.92	10.21	—	10.21	—	10.21
	जोड़	**3.79**	—	—	—	—	**2.50**	—	—	**3.92**	**10.21**	—	**10.21**	—	**10.21**
मध्य प्रदेश राज्य															
1.	अवधेश पी. सिंह वि.वि.	22.27	0.05	0.85	—	—	—	—	—	—	23.17	—	23.17	2.70	25.87
2	बरकतुल्ला विश्वविद्यालय	9.79	1.40	4.14	—	—	1.25	—	—	—	16.58	—	16.68	—	16.68
3	गुरु घासीदास	14.76	19.26	—	—	—	6.25	—	—	—	40.27	—	40.27	0.80	41.07

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	इंदिरा कला संगीत	1.40	—	—	—	—	—	—	—	—	1.40	—	1.40	—	1.40
5.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय	15.75	7.51	2.75	0.80	—	2.50	—	—	—	29.31	—	29.31	0.50	29.81
6.	रानी दुर्गावती	5.90	28.26	0.25	—	—	1.25	—	—	—	35.66	—	35.66	1.10	36.76
7.	ज. ने. कृषि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	जीवाजी	19.26	40.52	7.04	—	—	1.25	—	—	—	68.07	—	68.07	4.85	72.79
9	रविशंकर	22.22	62.11	0.19	0.50	—	8.75	—	—	—	93.77	—	93.77	2.50	96.27
10	डा. एच.एस. गौड़	8.75	15.04	—	—	—	5.00	—	—	—	28.79	—	28.79	4.30	33.09
11	विक्रम वि.वि.	9.90	13.12	0.25	—	—	3.75	—	—	—	26.21	—	26.21	0.50	26.71
	जोड़	**129.19**	**187.27**	**15.47**	**1.30**	—	30.00	—	—	—	363.23	—	363.23	17.25	380.48
महाराष्ट्र															
1.	अमरावती वि. वि.	61.53	0.34	0.73	—	—	5.00	—	—	—	67.60	—	67.60	2.90	70.50
2.	बंबई वि. वि.	12.39	4.41	5.51	—	—	7.50	—	—	—	29.81	—	29.81	—	29.81
3.	कोंकण कृषि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	नार्थ महाराष्ट्र	0.04	1.79	—	—	—	—	—	—	—	1.83	—	1.83	6.00	7.83
5.	महात्मा फूले कृषि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	मराठवाड़ा	19.55 *0.16	4.75	0.30	0.35	—	11.00	—	—	—	35.95 *0.06	—	35.95 *0.06	4.10	40.05 *0.06
7.	नागपुर	77.09	0.95	0.40	—	—	6.25	—	—	—	84.69	—	84.69	2.00	86.69
8	पूना	19.57	8.41	2.52	0.49	—	27.50	—	—	—	58.49	—	58.49	4.80	63.29
9.	पंजाब राज्य कृषि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.	एस.एन.डी.टी. महिला	0.24	—	—	—	—	—	—	—	—	0.24	—	0.24	—	0.24
11.	शिवाजी	40.34	1.09	0.20	—	—	28.75	—	—	7.00	77.38	—	77.38	4.60	81.98
12.	यशवंश राव चह्वाण वि. वि.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	जोड़	**230.75** *0.16	**21.74**	**9.66**	**0.84**	—	86.00	—	—	7.00	355.99 *0.16	—	355.99 *0.16	24.20	380.39 *0.16
उड़ीसा राज्य															
1.	बहरामपुर वि. वि.	6.69	1.35	0.38	0.16	—	3.56	—	—	—	12.14	—	12.14	0.80	12.94
2.	उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्यो. विश्वविद्यालय	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	संबलपुर वि. वि.	**9.18**	0.60	—	—	—	5.00	—	—	—	14.78	—	14.78	1.70	16.48
4.	श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्विद्यालय	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	उत्कल वि. वि.	69.77	1.35	0.30	—	—	3.75	—	—	—	83.00	—	83.00	7.95	90.95
	जोड़	**85.64**	**11.13**	**0.68**	0.16	—	12.31	—	—	—	10.9.92	—	109.92	10.45	120.37
पंजाब राज्य															
1.	गुरुनानक देव विश्वविद्यालय	29.01	1.80	1.58	—	—	2.50	—	—	—	34.89	—	34.89	—	34.879
2.	पंजाब वि. वि.	20.75	3.71	0.35	—	—	6.25	—	—	3.80	34.36	—	34.36	8.00	42.36

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	पंजाब कृषि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	पंजाबी वि. वि.	22.78	2.23	0.39	—	—	8.06	—	—	1.50	34.96	—	34.96	0.06	35.36
	जोड़	**72.04**	**7.74**	**2.32**	—	—	16.81	—	—	5.30	104.21	—	104.21	8.60	112.81
राजस्थान राज्य															
1.	जोधपुर वि. वि.	2.38	0.34	—	—	—	7.25	—	—	—	9.97	—	9.97	—	9.97
2.	कोटा मुक्त वि. वि.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	एम. डी. एस. वि. वि.	40.33	16.65	1.44	0.45	—	21.40	—	—	2.40	82.67	—	82.67	2.20	84.87
4.	एम. एल. सुखाड़िया	—	0.13	—	—	—	1.25	—	—	—	1.38	—	1.38	1.50	2.88
5.	राजस्थान कृषि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	राजस्थान	25.07	16.62	2.32	—	—	1.25	—	—	—	39.626	—	39.26	—	39.26
	जोड़	**67.78**	**27.74**	**3.76**	**0.45**	—	3.15	—	—	2.40	133.28	—	133.28	3.70	136.98
तमिलनाडु															
1.	अलगप्पा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	अन्नामलाई	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
3.	अन्ना वि. वि.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	भारतीदासन वि. वि.	40.57	76.98	0.44	—	—	11.75	—	—	7.80	137.54	—	137.54	1.56	139.10
5	भरतियार	23.64	71.17	1.90	—	—	—	—	—	—	96.71	—	96.71	1.40	98.11
6.	डा. एम. जी. मेडी वि. वि.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.	मद्रास वि. वि.	54.70	105.47	2.23	—	—	5.00	—	—	—	S167.40	—	167.40	2.00	169.40
8.	एम. के. वि. वि.	57.96	147.28	0.10	0.20	—	5.00	—	—	6.80	217.34	—	217.34	0.60	217.94
9	मदर टेरेसा महिला वि. वि.	1.41	—	—	—	—	—	—	—	—	1.41	—	1.41	—	1.41
10.	तमिल वि. वि.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11.	मनोमनियम सुंदरम	2.10	14.09	0.15	—	—	—	—	—	—	16.34	—	16.34	—	16.34
	जोड़	**180.38**	**414.99**	**4.82**	**0.20**	—	21.75	—	—	14.60	636.74	—	636.94	5.56	642.30
त्रिपुरा राज्य															
1.	त्रिपुरा वि. वि.	1.19	0.13	—	—	—	—	—	—	—	1.32	—	1.32	1.20	2.52
	जोड़	1.19	0.13	—	—	—	—	—	—	—	1.32	—	1.32	1.20	2.52
उत्तर प्रदेश															
1.	आगरा	50.93	6.26	3.42	—	—	—	—	—	—	60.61	—	60.61	7.20	67.81
2.	इलाहाबाद	3.46	0.56	2.81	—	—	—	—	—	—	6.83	—	6.83	—	6.83
3	अवध	40.70	3.50	0.83	—	—	1.25	—	—	—	46.28	—	46.28	1.70	47.98
4	बुंदेलखंड	31.86	0.68	1.07	—	—	0.75	—	—	—	34.36	—	34.36	8.80	43.16
5	सी. ए. कृ. एवं प्रौद्यो. विश्वविद्यालय	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	जी.बी.पंत कृ. एवं प्रौद्यो. वि. वि.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.	गोरखपुर वि. वि.	111.84	1.95	0.41	0.05	—	—	—	—	—		114.25	114.25	4.40	118.65
8	एन.एन.बी. वि. वि.	13.52	1.06	0.57	—	—	—	—	—	—	15.15	—	15.15	—	15.15
9.	कानपुर वि. वि.	38.10	8.72	1.68	1.30	—	1.25	—	—	5.70	56.75	—	56.75	—	56.75
10.	काशी विद्यापीठ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11.	कुमाउं वि. वि.	1.05	0.24	—	—	—	—	—	—	—	1.29	—	1.29	—	1.29
12.	लखनऊ	18.83	0.13	0.18	—	—	0.75	—	—	—	19.89	—	19.89	—	19.89
13	मेरठ	61.38	7.23	3.57	—	—	2.50	—	—	6.95	81.63	—	81.63	1.80	83.43
14.	पूर्वांचल	—	17.72	0.70	—	—	1.25	—	—	6.20	25.87	—	25.87	0.70	26.57
15.	नरेंद्रदेव कृषि एवं प्रौद्यो वि. वि.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16.	रुहेलखंड	36.85	4.87	1.40	—	—	3.30	—	—	—	46.42	—	46.42	14.95	61.37
17.	रुड़की वि. वि.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18.	संपूर्णानंद वि. वि.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	जोड़	**408.52**	**52.92**	**16.64**	**1.35**	—	11.05	—	—	18.85	509.33	—	509.33	39.55	**548.88**
पश्चिम बंगाल															
1	वर्द्धमान वि. वि	25.66	1.57	—	—	—	—	—	—	—	27.23	—	27.23	—	27.23
2.	बी सी. कृषि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	कलकत्ता	56.59	3.17	0.36	—	—	30.50	—	—	—	90.62	—	90.62	1.60	92.22
4	जादवपुर	0.25	—	—	—	—	—	—	—	—	0.25	—	0.25	—	0.25
5.	कल्याणी	0.70	0.11	—	—	—	1.25	—	—	—	2.06	—	2.06	0.30	2.36
6	नार्थ बंगाल	11.24	1.10	0.06	—	—	5.00	—	—	—	17.40	—	17.40	—	17.40
7.	रबींद्र भारती	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	विद्यासागर	11.41	0.30	—	—	—	1.25	—	—	—	12.96	—	12.96	—	12.96
	जोड़	**105.85**	**6.25**	**0.42**	—	—	30.00	—	—	—	150.52	—	**150.52**	**1.90**	**152.42**
	कुल कालेज	**1989.43** *0.16	**899.12** *0.23	**87.36**	**7.50**	—	419.28	—	—	62.72 *2.35	3465.41 *2.74	1.28	3466.69 *.274	157.64	3624.33 *2.74

* समायोजन द्वारा

परिशिष्ट - XII (जारी)

वर्ष 1993-94 के लिए योजनागत अनुदानों का सारांश

विवरण	क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	क से झ तक का जोड़	ञ	क से ञ तक का जोड़	खंड III	कुल जोड़
केंद्रीय विश्वविद्यालय	1487.75	420.47	508.64	21.47	—	91.38	15.65	—	—	2545.36	460.45	3005.81	4.00	3009.81
	*3.03	*2.84	*0.14							*6.01	*0.01	*6.02		*6.02
समविश्वविद्यालय संस्थाएं ●	318.83	257.46	48.65	15.59	44.60	24.26	—	—	7.70	717.90	174.28	891.37	10.00	901.37
		*0.13	*0.18							*1.31	*0.79	*2.10		*2.10
राज्य वि. वि.	1418.39	1759.71	1424.23	321.72	109.16	445.12	17.39	4.38	—	5500.07	1124.47	6624.54	63.47	6688.01
	*27.90	*2.73	*0.31	*0.55		*9.64				*41.13	*1.33	*42.46		*42.46
अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र	—	62.42	0.71	—	1690.21	37.50	—	—	—	1790.84	—	1790.84	—	17.90.84
					*0.34					*0.34		*0.34		*0.34
जोड़ वि. वि.	**3224.94**	**2500.06**	**1982.23**	**358.78**	**1843.97**	**598.26**	**33.04**	**4.38**	**7.70**	**10533.36**	**1759.20**	**12312.56**	**77.47**	**1290.03**
	*3093.00	*6.70	*0.63	*0.55	*0.34	*9.64				*48.79	*2.13	*50.92		*50.92
कालेज														
केंद्रीय वि. वि. कालेज	113.66	19.58	22.99	0.09	—	6.9?	—	—	—	163.30	—	163.30	—	163.30
		*0.15								*0.15		*0.15		*0.15
राज्य कालेज	1875.77	879.54	64.37	7.41	—	4.12.30	—	—	62.72	3302.11	1.28	3303.39	157.64	3461.03
	*0.16	*0.08							*2.35	*2.59		*2.59		*2.59
कुल कालेज	**1989.43**	**899.12**	**87.36**	**7.50**	—	419.28	—	—	62.72	3465.41	1.28	3466.69	157.64	3624.33
	*0.16	*0.23							*2.35	*2.74		*2.74		*2.74
कुल वि. वि. कालेज	**5214.37**	**3399.18**	**2069.59**	**366.28**	**1843.97**	**1017.54**	**33.04**	**4.38**	**70.42**	**14018.77**	**1760.48**	**15779.25**	**235.11**	**16014.36**
	*31.09	*6.93	*0.63	*0.55	*0.34	*9.64	—	—	*2.35	*51.53	*213	*53.66		*53.66
स्थापना के माध्यम से किया गया व्यय	—	3.19	87.95	0.06	—	51.50	53.55	40.67	—	236.70	—	236.70	—	236.70
विश्वविद्यालयेतर संस्थाओं को प्रतिपूर्ति	—	—	—	—	—	—	—	77.21	—	77.21	—	77.21	—	77.21
								*0.20		*0.20		*0.20		*0.20
कुल जोड़	**5214.37**	**3402.37**	**2157.54**	**366.34**	**1843.97**	**1069.04**	**86.37**	**122.26**	**70.42**	**14332.68**	**1760.48**	**16093.16**	**235.11**	**16328.27**
	*31.09	*6.93	*0.63	*0.55	*0.34	*9.64	—	*0.20	*2.35	*51.73	*2.13	*53.86		*53.86

* समायोजन द्वारा

परिशिष्ट - XII (जारी)

सारांश (योजनेतर) 1993-94

क्र.सं.	विवरण	केंद्रीय विश्वविद्यालयों को ब्लाक अनुदान	समविश्वविद्यालय संस्थाओं को ब्लाक अनुदान	विशेष उद्देश्यों के लिए अनुदान	कालेजों के लिए अनुरक्षण अनुदान (दिल्ली)	कालेजों के लिए अनुरक्षण अनुदान (बीएचयू)	शिक्षक अवार्ड	अनुसंधान अध्येतावृत्ति	ई एंड टी में छात्रवृत्ति	जनसंपर्क केंद्र	कुल जोड़
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
विश्वविद्यालय											
1.	केंद्रीय विश्वविद्यालय	22,250.50	—	—	—	—	0.56	201.79 *0.03	2.62	93.70	22548.27 *0.03
2.	समविश्वविद्यालय	—	1813.72	—	—	—	11.65	7.57	6.49	21.11	1860.54
3.	राज्य विश्वविद्यालय विशिष्ट प्रयोजनों के लिए	—	—	291.34	—	—	—	—	—	—	291.34
4.	यू.जी.सी. केंद्र	—	—	—	—	—	—	0.23	—	35.00	35.23
5.	राज्य विश्वविद्यालय	—	—	—	—	—	14.48	375.61 *0.09	222.75	94.18 *6.12	707.32 *6.21
	कुल विश्वविद्यालय	22250.10	1813.72	291.34	—	—	26.69	585.50 *0.12	231.86	243.99 *6.12	25443.20 *6.24
कालेज											
1.	दिल्ली के कालेज	—	—	—	7157.51 *385.91	—	—	0.17	0.22	—	7157.90 *385.91
2.	बी.एच.यू. के कालेज	—	—	—	—	54.29	—	—	—	—	54.29
3.	पांडिचेरी के कालेज	—	—	—	—	—	0.12	—	—	—	0.12
4.	राज्य के कालेज	222.50	—	—	—	—	11.75	3.02 *0.01	0.58 *0.10	25.00	40.35 *0.11
	कुल कालेज	**—**	**—**	**—**	**7157.51 *385.91**	**54.29**	**11.87**	**3.10 *0.01**	**0.80 *0.10**	**25.00**	**7252.66 *386.02**
कुल जोड़											
	(वि०वि० कालेज)	22250.10	1813.72	291.34 *385.91	7157.51	54.29	38.56	588.69 *0.13	232.66 *0.10	268.66 *6.12	32695.86 *392.26
	विश्वविद्यालयेतर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.65 *0.18
	प्रशासनिक प्रभार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	731.84
	प्रशासन के माध्यम से भुगतान	—	—	—	—	—	0.06	0.17	—	—	0.23
	कुल जोड़	**22250.10**	**1813.72**	**291.34 *385.91**	**7157.51**	**54.29**	**38.62**	**588.86 *0.13**	**232.68 *0.10**	**268.99 *6.12**	**33467.68 *392.44**

*समायोजन द्वारा

परिशिष्ट - XIII

वर्ष 1991-92 के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों, समविश्वविद्यालय संस्थाओं तथा राज्य विश्वविद्यालयों/ के संबंध में अनुरक्षण अनुदान (योजनेतर) तथा आवर्ती व्यय (योजनेतर) दर्शाने वाला विवरण

राज्य/ विश्वविद्यालय	वि.अ.आ. से योजनेतर अनुरक्षण अनुदान	कुल योजनेतर आवर्ती व्यय
(क) केंद्रीय विश्वविद्यालय		**(रु० लाख में)**
आंध्र प्रदेश		
1. हैदराबाद	747.19	उ.न.
मेघालय		
2. नार्थ ईस्टर्न हिल	1097.72	1159.66
पांडिचेरी		
3. पांडिचेरी	259.47	286.69
उत्तर प्रदेश		
4. अलीगढ़ मुस्लिम	3662.32	उ.न.
5. बनारस हिंदू	4521.91	4861.34*
पश्चिम बंगाल		
6. विश्व भारती	1059.63	1060.14
दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र)		
7. दिल्ली	2524.07	2747.00*
8. इंदिरा गांधी मुक्त	0.00	1254.37
9. जवाहरलाल नेहरू	1421.63	1404.07
10. जामिया मिलिया इस्लामिया	712.86	959.02

उ.न. = उपलब्ध नहीं

* = अनंतिम आंकड़े

राज्य/ विश्वविद्यालय	वि.अ.आ. से योजनेतर अनुरक्षण अनुदान	कुल योजनेतर आवर्ती व्यय
(ख) समविश्वविद्यालय संस्थाएं		**(रु० लाख में)**
आंध्र प्रदेश		
1. केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान	215.14	255.87
बिहार		
2. भारतीय खान स्कूल	463.86	510.62
गुजरात		
3. गुजरात विद्यापीठ	168.82	उ.न.
कर्नाटक		
4. भारतीय विज्ञान संस्थान	1894.01	2285.66
महाराष्ट्र		
5. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान	176.65	194.10
6. तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ	-	73.70
राजस्थान		
7. बनस्थली विद्यापीठ	-	175.57
8. जैन विश्वभारती	-	-
तमिलनाडु		
9. गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान	140.07	168.86
10. एस.ए.महिला गृह-विज्ञान एवं उच्च शिक्षा संस्थान	110.04	183.25
उत्तर प्रदेश		
11. दयालबाग शिक्षा संस्थान	64.86	189.74
12. गुरुकुल कांगड़ी	110.55	उ.न.
दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र)		
13. जामिया हमदर्द	36.03	उ.न.

उ.न. = उपलब्ध नहीं

राज्य/ विश्वविद्यालय	वि.अ.आ. से योजनेतर अनुरक्षण अनुदान	कुल योजनेतर आवर्ती व्यय
(ग) राज्य विश्वविद्यालय		**(रु० लाख में)**
आंध्र प्रदेश		
1. डा.बी.आर. अम्बेडकर मुक्त	111.41	434.68
2. जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकीय	775.00	1006.32*
3. उस्मानिया	2022.11	2408.08
4. पद्मावती महिला	116.89	104.11
5. श्री कृष्णदेवराय	263.72	244.63
अरुणाचल		
6. अरुणाचल	-	-
बिहार		
7. के.एस.दरभंगा	332.40	607.73
गोवा		
8. गोवा	118.40	147.39*
गुजरात		
9. भावनगर	285.31	344.59
10. उत्तरी गुजरात	40.62	120.12*
11. सौराष्ट्र	272.62	554.18
12. सरदार पटेल	284.23	402.31
हरियाणा		
13. कुरुक्षेत्र	866.08	1316.39
हिमाचल प्रदेश		
14. हिमाचल प्रदेश	527.68	766.20
जम्मू-कश्मीर		
15. जम्मू	495.15	531.40
कर्नाटक		
16. कर्नाटक	1033.17	1205.54
केरल		
17. महात्मा गांधी	277.00	558.04
मध्यप्रदेश		
18. देवी अहिल्या	274.68	398.61
19. डा. हरिसिंह गौड़	292.59	771.78
20. रानी दुर्गावती	348.47	उ.न.
21. विक्रम	292.77	374.73

क्र.सं.	राज्य/ विश्वविद्यालय	वि.अ.आ. से योजनेतर अनुरक्षण अनुदान	कुल योजनेतर आवर्ती व्यय
(ग)	**राज्य विश्वविद्यालय**		**(रु० लाख में)**
महाराष्ट्र			
22.	अमरावती	61.82	330.74
23.	बम्बई	950.67	1274.81
24.	उत्तरी महाराष्ट्र	45.87	50.82
25.	शिवाजी	20.71	731.08
26.	एस.एन.डी.टी.महिला	342.63	801.46*
27.	यशवंत राव चव्हाण मुक्त	110.00	71.40
मणिपुर			
28.	मणिपुर	187.00	260.55
उडीसा			
29.	बरहामपुर	279.26	265.91
30.	सम्बलपुर	260.71	398.38
पंजाब			
31.	गुरु नानक देव	930.87	1146.26
32.	पंजाब	2129.57	2423.29
33.	पंजाबी	1523.42	1790.33
राजस्थान			
34.	कोटा मुक्त	79.27	286.42
35.	एम.एल.सुखाडिया	457.40	436.98
36.	महर्षि दयानंद सरस्वती, अजमेर	162.49	215.43*
तमिलनाडु			
37.	अलगप्पा	80.66	130.06
38.	अन्नामलाई	50.64	919.27
39.	भरतियार	93.68	273.94*
40.	भारतीदासन	114.28	377.70
41.	डा. एम.जी.आर.मेडिकल	-	-
42.	मद्रास	135.00	1101.63*
43.	मदर टरेसा महिला	40.00	71.38
त्रिपुरा			
44.	त्रिपुरा	56.86	72.89
उत्तर प्रदेश			
45.	एच.एन.बहुगुणा	226.26	427.88
पश्चिम बंगाल			
46.	कलकत्ता	1907.11	3158.75*
47.	जादवपुर	1321/86	1751.89
48.	उत्तरी बंगाल	528.29	619.11

उ.न. = उपलब्ध नहीं   * = अनंतिम आंकड़े

टिप्पणी -

1. केंद्रीय विश्वविद्यालयों और समविश्वविद्यालय संस्थाओं के मामले में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदत्त अनुरक्षण अनुदानों तथा विश्वविद्यालयों द्वारा सूचित किए गए व्यय को दिखाया गया है । इस परिशिष्ट में राज्य विश्वविद्यालयों के मामले में दिए गए आंकड़े विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों से प्राप्त सूचना पर आधारित है ।

2. यथास्थिति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या राज्य सरकारों से विश्वविद्यालयों द्वारा प्राप्त केवल अनुरक्षण अनुदानों तथा कुल आवर्ती व्यय (योजनेतर) को दिखाया गया है । विश्वविद्यालयों द्वारा राज्य सरकारों (राज्य विश्वविद्यालयों के लिए) तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (केंद्रीय विश्वविद्यालयों और समविश्वविद्यालय संस्थाओं के लिए) को छोड़कर अन्य स्रोतों से प्राप्त निधियों को नहीं दिखाया गया है ।

3. आवर्ती व्यय (योजनेतर) में ये मदें शामिल है - शिक्षण स्टाफ तथा प्रशासनिक स्टाफ़ का वेतन, रसायनों की खरीद, उपस्करों का अनुरक्षण, परीक्षाएं संचालित करना, भवनों का अनुरक्षण तथा दिन-प्रति-दिन के कार्यकलापों पर होने वाला व्यय ।

NIEPA DC
D09605

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC. No .... D - 9605
Date 05-09-97